खण्ड-137, अंक-3
बुधवार, 22 वैशाख, शक संवत् 1876
(12 मई, 1954 ई0)

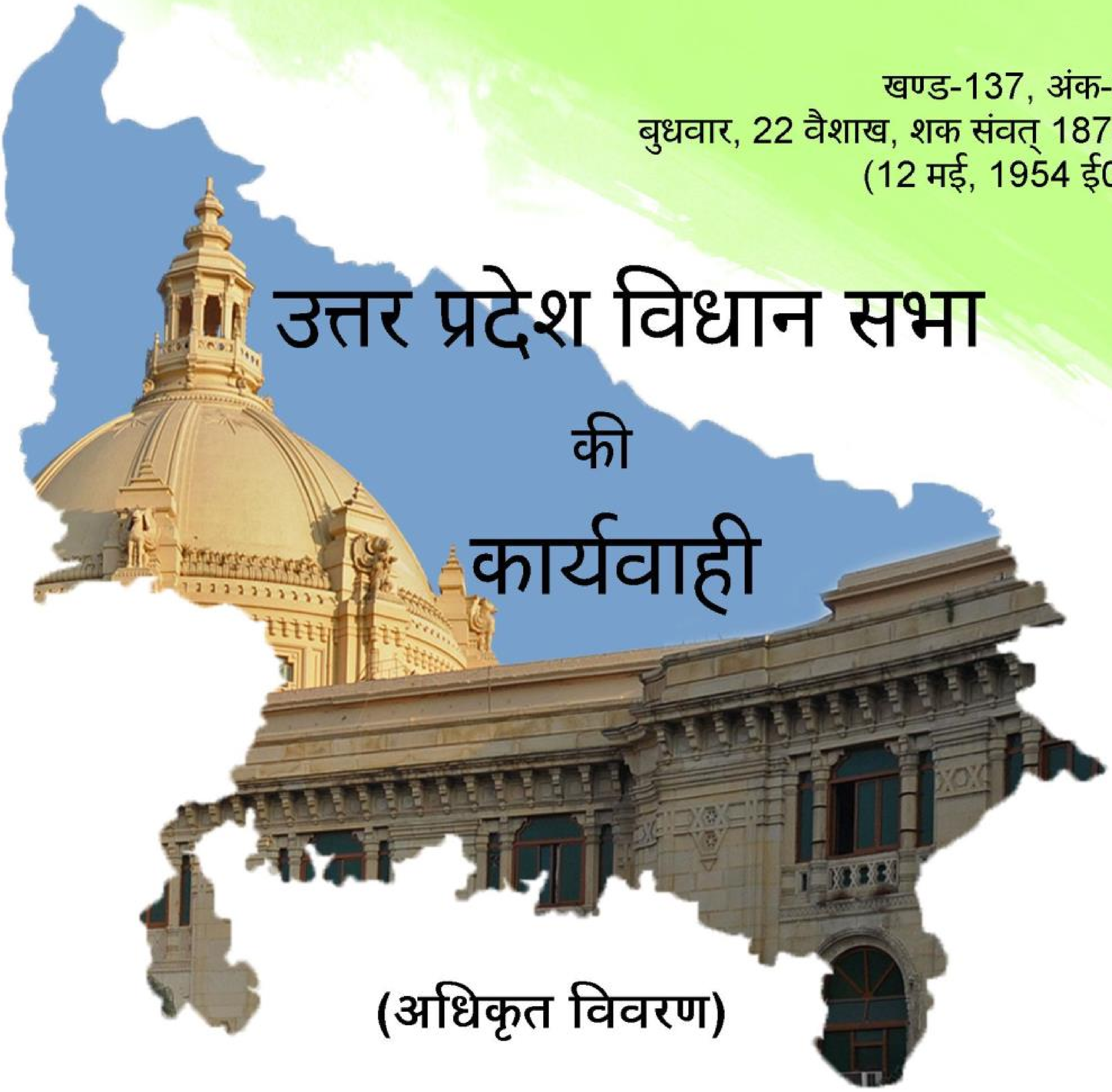

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 137 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १२ मई, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३११)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री

चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम, श्री
तुलसी राम, श्री
तुला राम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर , श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दु शाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री

मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मही लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र, विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीदास मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी श्री,
हरि सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

बस्ती जिले में नमक का वितरण

*१—श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नमक इम्पोर्टरों के पास माह दिसम्बर, १९५३ तथा माह जनवरी, सन् १९५४ में कितना कितना नमक था और उसके वितरण का क्या तरीका जिला पूर्ति विभाग ने अपनाया था ?

अन्न-मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—आवश्यक सूचना तालिका के रूप में माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नमक के वितरण का तरीक़ा यह रक्खा गया था कि प्रत्येक फुटकर व्यापारी किसी न किसी आयात करने वाले थोक व्यापारी के साथ नत्थी कर दिया गया था। फुटकर व्यापारी को इस प्रकार निर्धारित मासिक कोटा प्राप्त होता था। किन्तु दिसम्बर तथा जनवरी में कुछ व्यापारियों के पास माल की आमद न होने के कारण और कुछ क्षेत्रों में नमक की विशेष कमी की रिपोर्टों के कारण कुछ फुटकर व्यापारियों को परमिटों पर नमक दिलाया गया।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२८-२३३ पर)

*२—श्री धनुषधारी पाण्डेय—क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि जिला बस्ती के नमक इम्पोर्टरों का नमक उपर्युक्त दोनों महीनों का परमिट द्वारा बांटा गया था? यदि हां, तो किन-किन रिटेलरों को किन-किन क्षेत्रों के लिये किसने परमिट दिया था?

श्री बनारसी दास—जी हां। जिन क्षेत्रों के लिये और जिन फुटकर व्यापारियों को नमक दिया गया था उनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

श्री धनुषधारी पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर में पर्याप्त नमक होने के पश्चात् भी परमिट दिये गये?

श्री बनारसी दास—जी हां, दिसम्बर में परमिट दिये गये।

श्री धनुषधारी पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जिले के पूरे हिस्से में नमक के अभाव के कारण असंतोष रहा?

श्री बनारसी दास—यह तो उत्तर में बतलाया है कि दिसम्बर और जनवरी में नमक की कमी रही, इसलिये हो सकता है कि असंतोष रहा हो।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि नमक के वितरण में अव्यवस्था होने के कारण बस्ती जिले के नागरिकों ने हाईकोर्ट में ऐप्लीकेशन दाखिल की है?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार की मुझे तो कोई सूचना नहीं है लेकिन जैसा आप कहते हैं वह सत्य ही होगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आज़मगढ़)—क्या यह सही है कि बस्ती जिले में १००० रिटेलर्स हैं और सिर्फ १२६ रिटेलर्स को ही स्पेशल परमिट्स दिये गये हैं?

श्री बनारसी दास—यह तो जैसा कि कहा गया है कि सबका मासिक कोटा निश्चित है और इम्पोर्टर्स की संख्या काफी है। इसलिये जहां से कमी की शिकायत आई वहीं लोगों को स्पेशल परमिट दिये गये।

श्री धनुषधारी पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि फी रिटेलर १०/१५ बोरे नमक दिया जाता है जब कि दिसम्बर में १०० बोरे नमक के स्पेशल परमिट दिये गये हैं?

श्री बनारसी दास—यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि निश्चित मासिक कोटा के अतिरिक्त यह नमक के स्पेशल परमिट दिये गये हैं।

अति वृष्टि तथा बाढ़ के कारण जौनपुर जिला बोर्ड की सड़कों आदि को क्षति

*३—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या स्वशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस साल अति वृष्टि तथा बाढ़ के कारण जौनपुर जिला बोर्ड की सड़कों, पुलियों, स्कूलों आदि की बहुत बड़ी क्षति हुई है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—अतिवृष्टि तथा बाढ़ के कारण जिला बोर्ड, जौनपुर, के केवल पाठशाला भवनों को अधिक क्षति पहुंची है।

*४—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या जिला बोर्ड जौनपुर ने इस सम्बन्ध में सहायता प्राप्त करने के लिये सरकार को आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला बोर्ड, जौनपुर, ने पाठलशाला भवनों के लिये २६,१०० रुपये की याचना की थी जिस पर यह आज्ञा प्रसारित की गयी थी कि राजकीय पाठशालाओं के आवर्तक अनुदान में बचे १,२५,२४० रुपये में से वह २६,१०० रुपये सरलता पूर्वक उक्त भवनों की मरम्मत पर व्यय कर सकता है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पाठशालाओं का यह बचा हुआ रुपया किस सन् का है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। यह ऐजूकेशन से संबंधित है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या पंचायतों द्वारा भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अलावा कुछ नदियों में बाढ़ से नुक्सान हुआ था उसकी लिस्ट सरकार के पास आयी है ?

श्री मोहन लाल गौतम—बाढ़ के इलाके में जिलाधीशों से यह पूछा गया है कि उनके यहां क्या क्या हानि हुई है वह लिस्ट अभी तक नहीं आयी है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या जिलाधीश की तरफ से नदियों के किनारे जिन गांवों में काफी नुक्सान हुआ है उसकी भी लिस्ट अभी तक आयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—अभी सब जिलों की लिस्ट नहीं आयी है, इसलिये कागज़ पूरे नहीं हुए।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड ने कुल कितना रुपया मांगा था ?

श्री मोहनलाल गौतम—उत्तर में कह चुका हूं कि २६,१०० रुपया।

बदायूं जिले के कुछ ग्रामों में हैजे का प्रकोप

*५—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पिछले दो सप्ताह से अदालती पंचायत सीकरी (जिला बदायूं तहसील बिसौली) के लगभग सभी ग्रामों में और सटे हुये जिला मुरादाबाद के ग्रामों में जोरों से हैजा फैल रहा है और अभी तक कोई सरकारी सहायता उस क्षेत्र में नहीं पहुंची है ?

श्री बनारसी दास--जिला स्वास्थ्य अधिकारी बदायूं तथा मुरादाबाद से प्राप्त सूचना द्वारा ज्ञात हुआ कि पंचायती अदालत सीकरी के अन्तर्गत पहारपुर तथा बसोमी ग्रामों में पाकाशय शोथ, दस्त तथा कय से २३ व्यक्ति बीमार पड़े और २ की मृत्यु हुई। सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त ही आवश्यक उपचार हेतु ग्रामों में ४९ कुओं तथा २४ घरों को शुद्ध किया गया, साथ ही ८०० हैजा निवारक टीके लगाये गये। हैजे की सूचना किसी ग्राम से नहीं प्राप्त हुई। मुरादाबाद जिले में उक्त ग्रामों से सटे पुलिस स्टेशन चन्दौसी के ग्रामों से कहीं से भी हैजे की सूचना नहीं प्राप्त हुई।

*६--श्री शिवराज सिंह यादव--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उपर्युक्त क्षेत्र के किस-किस ग्राम में कितने व्यक्ति हैजे के रोग में पिछले दो सप्ताह में ग्रस्त हुए और कितनी मौतें हुईं ?

श्री बनारसी दास--हैजे से कोई भी कथित ग्राम ग्रस्त नहीं हुआ, केवल पाकाशय शोथ, दस्त तथा कय से ही निम्नलिखित ग्रामों में लोग बीमार पड़े तथा मृत्युएं हुईं :

ग्राम		बीमार	मृत्यु
सीकरी	..	१५	१
पहारपुर	..	४	१
बसोमी	..	४	०

श्री शिवराज सिंह यादव--क्या सरकार कृपा कर बतालायेगी कि जवाब में तथा कथित हैजे से मृत्यु हो जाने के बाद पहली सूचना कब सरकार के पास पहुंची ?

श्री बनारसी दास--इस प्रकार की यह सूचना जनवरी के महीने में मिली और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तुरन्त ही स्वास्थ्य अधिकारी वहां पर पहुंचे और उन्होंने आवश्यक उपचार किया।

श्री शिवराज सिंह यादव--क्या सरकार यह बतायेगी कि यह बीमारी कौन से महीने में फैली ?

श्री बनारसी दास--यह उसी समय फैली जब कि उससे पहले उसकी सूचना मिली थी।

लखनऊ चिड़ियाघर में पुलिस की तैनाती

*७--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ चिड़ियाघर में प्रवेश के क्या नियम हैं ?

श्री बनारसी दास--चिड़ियाघर (जिन्दा अजायबघर) प्रातः ५ बजे से सायंकाल १० बजे तक खुला रहता है। पैदल चलने वालों के लिये किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। प्रातःकाल ८ बजे से १० बजे तक और अपराह्न में २ बजे से ४ बजे तक की अवधि को छोड़ कर शेष समय के लिये इस अजायबघर का मुख्य फाटक वाहनों के लिये बन्द रहता है। फाटक बन्द रहने के समय १ रु० प्रति वाहन शुल्क देने पर मोटरें और तांगे अन्दर जा सकते हैं।

*८--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार के पास ऐसी सूचना तथा शिकायत आई है कि लखनऊ चिड़ियाघर में देखने जाने वाले सभ्य नागरिकों को कुछ असामाजिक तत्त्वों के जरिये काफी अपमान तथा कष्ट उठाना पड़ता है? अगर हां, तो इसकी रोकथाम के लिये सरकार कौन उपाय कर रही है?

श्री बनारसी दास--२७ मार्च, सन् १९५४ को एक अंग्रेजी अखबार में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ कि लखनऊ चिड़ियाघर में गुंडागिरी बढ़ रही है। शहर कोतवाल ने इस मामले की जांच की जिससे पता चला कि कथित घटनाओं में से कुछ तो पुरानी थीं समाचार कुछ अतिरंजित था, परन्तु ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिये चिड़ियाघर में पुलिस का उचित प्रबन्ध कर दिया गया है।

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि चिड़ियाघर में कितनी पुलिस की डियूटी है और उनको क्या विशेष आदेश दिये गये हैं?

श्री बनारसी दास--जब इस प्रकार की सूचना मिली तो वहां पर ८ पुलिसमैनों की डयूटी लगा दी गयी है, जो सुबह से रात के १० बजे तक रहते हैं और वह इस बात पर आंखें रखते हैं कि कोई इस प्रकार की घटना न हो।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि अखबार में खबर निकलने के पहले भी पुलिस को इस प्रकार की सूचनायें मिली थीं और पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी?

श्री बनारसी दास--जी हां। पत्रों में समय-समय पर निकलता था और खासतौर से मार्च के महीने में। उसके बाद अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया। उन्होंने उसकी जांच की और जांच के फलस्वरूप यह नतीजा निकला कि जो रिपोर्ट दी गई थीं वह कुछ तो ६, ६ और ७, ८ साल पुरानी थीं और उनको एक जगह दे दिया गया था। जिन रिपोर्ट्स के बारे में पता चला कि सत्य हैं उनके ऊपर कार्यवाही भी की गई।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो घटनायें घटित हुईं वह किस प्रकार की घटनायें थीं?

श्री बनारसी दास--इस प्रकार की शिकायतें हैं जो कुछ पत्रों में प्रकाशित हुईं कि वहां पर कुछ लोग जुआ खेलते हैं और उन्होंने वहां अड्डा बना रखा है। कुछ का कथन था कि वहां पर कुछ लड़कियां पिकनिक के लिये गईं और कुछ लड़कों ने उनका पीछा किया। कुछ इस प्रकार की शिकायतें मिलीं कि वहां पर कुछ लोगों के अन्दर झगड़ा हुआ और मारपीट हुई। एकाध चोरी वग़ैरह की भी शिकायतें मिलीं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो शिकायतें आयी हैं उनमें से कौन सी सही जांच के बाद निकली, कौन सी अतिरंजित और कौन सी शिकायतें गलत निकलीं?

श्री बनारसी दास--जैसे यह सही है--लेकिन इसमें अतिरंजित इतना था कि यह कहा गया कि इसे जुए का अड्डा बना लिया गया है--कुछ लड़के वहां पर ताश खेल रहे थे, तो कोई वहां पर जुआ तो होता नहीं था। लेकिन फिर भी उनको पकड़ लिया गया और उसके बाद इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। इसी प्रकार से यह कहा गया कि वहां पर कुछ स्त्री और पुरुष टहलने के लिये गये और उनको कुछ लोगों ने छेड़ा, यह अभियोग लगाया जाता है। लेकिन सच यह है कि वह स्वयं ही आपस में मजाक

कर रहे थे और उसमें एक दो लड़के भी शरीक हो गये। इस पर कहा जाता है कि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। तो इसमें कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती थी। इसी प्रकार से सन् ४७ की एक घटना का जिक्र किया गया था कि वहां पर चोरियां हुईं। तो इस तरह से सन् ४७ और ४८ तक की घटनाओं का उसके अन्दर जिक्र था। वास्तव में कोई ज्यादा इस प्रकार के अपराध वहां नहीं होते हैं जिससे कि किसी प्रकार का असन्तोष हो।

जिला बोर्ड बस्ती की सड़कों आदि को वर्षा व बाढ़ से क्षति

*९—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि विगत वर्षा व बाढ़ के कारण जिला बोर्ड बस्ती को सड़कों, पुलियों, स्कूल भवनों आदि की बहुत बड़ी क्षति हुई है?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां, क्षति हुई है।

*१०—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में उक्त बोर्ड को सहायता देने का निश्चय किया है? यदि हां, तो कितना?

श्री मोहन लाल गौतम—अभी सरकार इस बात की जांच कर रही है कि किस किस जिला बोर्ड की सड़कों और भवनों को बाढ़ तथा वर्षा से कितनी क्षति पहुंची है और प्रत्येक को कितनी सहायता दी जा सकती है।

*११—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बोर्ड बस्ती की सड़कों को बनाने के लिए सन् १९५३-५४ में कितना रुपया दिया गया है?

श्री मोहन लाल गौतम—सड़कों को बनाने के लिये जिला बोर्ड, बस्ती को १९५३-५४ में कोई अनुदान नहीं दिया गया था क्योंकि इस प्रयोजन के लिये सरकारी आय-व्ययक में प्राविधान नहीं था। परन्तु कच्ची सड़कों के रख रखाव के लिये इस बोर्ड को १९,४०० रु० का अनुदान दिया गया था।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री महोदय कृपया यह बतलायेंगे कि यह जांच जो सरकार द्वारा करायी जा रही है वह कब तक खत्म हो जायगी?

श्री मोहन लाल गौतम—जिला मैजिस्ट्रेटों को लिखा गया है और आशा है कि जल्दी ही उनकी रिपोर्ट आ जायेगी और उसके अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—क्या आगामी बरसात के पहले ही जिन भवनों को क्षति पहुंची है उनके लिये सहायता दी जा सकती है?

श्री मोहन लाल गौतम—कोशिश की जायगी।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि १९,४०० रु० जो बस्ती डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को २५ सड़कों की मरम्मत के सिलसिले में दिया गया था, वह खर्च हुआ इन सड़कों पर या नहीं?

श्री मोहन लाल गौतम—इसके लिये सूचना चाहिये।

आजमगढ़ जिले में जच्चा-बच्चा अस्पतालों की कमी

*१२—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने और कहां-कहां जच्चा-बच्चा अस्पताल हैं?

श्री बनारसी दास---आजमगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग के जच्चा-बच्चा केन्द्र निम्न स्थान पर हैं:--

१---घोसी
२---फूलपुर
३---मुहम्मदाबाद
४---मऊ
५---आजमगढ़

*१३---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के जच्चा-बच्चा अस्पतालों को राजकीय सहायता कितनी मिलती है?

श्री बनारसी दास---आजमगढ़ जिले में किसी नगर पालिका अथवा जिला बोर्ड के केन्द्र को राजकीय सहायता नहीं दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो केन्द्र हैं उनका सब व्यय सरकार सहन करती है।

*१४---श्री राम सुन्दर पाण्डेय---क्या स्वास्थ्य मंत्री आजमगढ़ जिले में जनसंख्या के अनुपात से जच्चा-बच्चा के अस्पतालों की कमी का ख्याल करते हुये और अस्पतालों को खोलने का विचार रखते हैं?

श्री बनारसी दास--इस वर्ष आजमगढ़ जिले में और कुछ केन्द्र खोलने का विचार है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या अन्न मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कोसी, फूलपुर और मुहम्मदाबाद के बच्चा केन्द्र राजकीय हैं या जिला बोर्ड के?

श्री बनारसी दास---यह राजकीय केन्द्र हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---इन तीनों बच्चा केन्द्रों पर कितना रुपया सालाना सरकार का व्यय होता है?

श्री बनारसी दास---प्रत्येक केन्द्र पर ३४ सौ रुपया वार्षिक।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष जो जच्चा-बच्चा केन्द्र जिले में खोले जाने वाले हैं वह कहां कहां खोले जायेंगे?

श्री बनारसी दास---यह प्रश्न विचाराधीन है। इसके बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है।

*१५---श्री रणंजय सिंह---[१४ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१६---१७---श्री रघुराज सिंह (जिला गोंडा)---[२६ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

गोंडा जिले में नवीन औषधालयों के खोलने पर विचार

*१८---श्री रघुराज सिंह---क्या सरकार जिला गोंडा की तहसील तरबगंज में घाघरा और सरयू नदी के बीच के निवासियों के सेवार्थ कुछ स्थानों पर औषधालय खोलने का विचार कर रही है?

श्री बनारसी दास---जी हां।

श्री रघुराज सिंह---कब तक आशा की जाय कि यह काम पूरा हो जायगा?

श्री बनारसी दास--इस सम्बन्ध में श्री रघुराज सिंह, एम० एल० ए० का प्रार्थना-पत्र मिला था जिसको संचालक के पास रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद विचार किया जायगा।

मुरादाबाद जिले की नगरपालिकाओं में मेहतरों के क्वार्टर्स की आवश्यकता

*१९--**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद की नगरपालिकाओं को अलग-अलग कितना-कितना धन मेहतरों के क्वार्टर्स बनाने के लिए दिया गया है और उसमें से कितना-कितना अंश प्रान्तीय सरकार व भारत सरकार का है ?

श्री मोहन लाल गौतम--कुछ नहीं।

*२०--**श्री महीलाल**--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन नगर पालिकायें कब तक कितने कितने क्वार्टर्स बनाने का निश्चय कर चुकी हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम--प्रश्न नहीं उठता।

श्री महीलाल--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मेहतरों के क्वार्टर्स बनाने के लिए प्रान्तीय सरकार को धनराशि दी है ?

श्री मोहन लाल गौतम--नहीं।

श्री महीलाल--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले में नगरपालिकाओं ने यह मांग प्रान्तीय सरकार से की है कि मेहतरों के लिए क्वार्टर्स बनवाने के लिये सरकार उनको सहायता दे ?

श्री मोहन लाल गौतम--पूरा मामला इस प्रकार है कि मेहतरों के क्वार्टर बनवाने के लिए सरकार ने यह सुझाव रखा कि २५ लाख रुपया मेहतरों के क्वार्टर्स के लिए उस रुपये में से जो कि मजदूरों के क्वार्टर बनवाने के लिए हैं, दिये जायं।

उस पर इसी आधार पर यहां से सूचना दी गई कि म्यूनिसिपल बोर्ड्स को २५ लाख रुपया तो वह और कुछ लाख अपने उस रुपये में से जो ५० लाख रुपया उनको अगले साल मिला था जो कि उनको उधार दिया गया था उसमें से ४, ५ लाख रुपया लेकर यानी इस तरह से ३२, ३३ लाख रुपये की योजना बनाई गई थी और उस पर पत्र-व्यवहार हुआ था लेकिन अब यह प्रश्न विचाराधीन है कि सारा रुपया लोन के रूप में दिया जाय तो जो उनका किराया होगा वह इतना अधिक होगा कि वाल्मीकि भाई उसको नहीं दे सकेंगे। इसलिये यह बात विचाराधीन है कि अगर ऐसा हो सके कि आधा रुपया लोन दिया जाय और आधी ग्रान्ट दी जाय तो उन मकानों का किराया, जो वाल्मीकि भाइयों के लिये बनेंगे, आधा हो जायगा और तब वे उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। इसलिये यह प्रश्न रुका हुआ है और यह फैसला होने पर जो स्कीम बनाई गई थी वह कार्य रूप में परिणत हो सकेगी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--जो मेहतर लोग कैण्टूनमेंट में रहते हैं क्या उनके लिये भी वहां क्वार्टर्स बनाये जायंगे ?

श्री मोहन लाल गौतम--कैण्टूनमेंट हमारे अधिकार में नहीं हैं। अगर वहां बनाने का विचार होगा तो कैण्टूनमेंट अथारिटीज बनायेंगे। उसकी हमें कोई सूचना नहीं है।

*२१-२२--**श्री बाबू नन्दन**--[२ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२३—२५—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—[९ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२६—श्री झारखंडे राय—[२६ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

लखनऊ तथा कानपुर में क्षय रोग चिकित्सा का प्रबन्ध

*२७—श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५१–५२ तथा १९५२–५३ में क्रमशः लखनऊ और कानपुर शहरों में कुल कितनी मौतें हुईं और उनमें क्रमशः टी० बी० से मरने वाले कितने व्यक्ति थे?

श्री बनारसी दास—लखनऊ और कानपुर नगरों की सन् १९५१–५२ और ५३ की मृत्यु संख्या तथा टी० बी० से जो मृत्युएं हुईं उनकी संख्या नीचे दी हुई तालिका में स्पष्ट है:—

लखनऊ व कानपुर की नगरपालिका में १९५१, १९५२ व १९५३ में कुल मरे हुये लोगों की संख्या तथा क्षय रोग से मरे हुओं की संख्या की तालिका:—

वर्ष	लखनऊ नगरपालिका		कानपुर नगरपालिका	
	तपेदिक से मृत्यु	कुल मृत्यु	तपेदिक से मृत्यु	कुल मृत्यु
१९५१	५१६	८,४७२	३५२	१५,७२८
१९५२ ..	५३५	८,४१६	५०३	१६,७६८
१९५३ ..	४३१	७,६७२	४२१	१४,९१७

*२८—श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र—क्या सरकार यह सूचित करने की कृपा करेगी कि लखनऊ में टी० बी० के इलाज का क्या प्रबन्ध है और कानपुर में क्या प्रबन्ध है तथा सन् १९५१–५२ और १९५२–५३ में क्रमशः लखनऊ और कानपुर में टी० बी० पर सरकार ने कितना खर्च किया?

श्री बनारसी दास—सूचना निम्नलिखित है:—

जगह का नाम	संस्था का नाम	शय्याओं की संख्या	सालाना व्यय १९५१–५२	सालाना व्यय १९५२–५३
			रु०	रु०
१—लखनऊ	कस्तूरबा टी० बी० क्लीनिक	६०	१,१२,६००	९१,६४०
२—कानपुर	(१) टी० बी० वार्ड लाला लाजपतराय अस्पताल।	२२	यह वार्ड लाला लाजपतराय अस्पताल का एक हिस्सा है इसलिये इसका हिसाब अलग नहीं रक्खा जाता। फिर भी लगभग २५,००० रु० साल १९५१–५२ और १९५२–५३ में खर्च हुआ है।	
	(२) लेबर टी० बी० क्लीनिक।	४	२०,६९७ रु०	३३,९४६ रु०
	(३) सेंट्रल टी० बी० क्लीनिक।	१२	यह कानपुर टी० बी० लीग द्वारा चलाई जाती है।	

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र--क्या सरकार यह स्पष्ट करने की कृपा करेगी कि जो मृत्यु संख्या तालिका में दी गई है यह वह है जो अस्पतालों में दाखिल हुए हैं या वह संख्या भी सम्मिलित है जो अस्पतालों में दाखिल नहीं हुए ?

श्री बनारसी दास--म्युनिसिपल नियमों के अनुसार प्रत्येक परिवार के मुखिया के लिये आवश्यक है कि घर में जो मृत्यु होती है उसकी सूचना म्युनिसिपल आफिस में दे और मृत्यु का कारण भी बताये। इसलिये जो मृत्यु संख्या दी गई है वह वही है जो म्युनिसिपैलिटी के कार्यालय में रजिस्टर की गई।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र--क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि जो तालिका इस वक्त दी गई है उससे यह प्रकट होता है कि कानपुर के बनिस्बत लखनऊ में टी० बी० का मर्ज ज्यादा बढ़ रहा है ?

श्री बनारसी दास--जी हां, तालिका थोड़ी भ्रमात्मक अवश्य मालूम होती है लेकिन जो संख्या दी गई है उसके अलावा कोई आधार सरकार के पास नहीं है और सरकार को उसी पर निर्भर करना पड़ता है जो सूचना कि उसको नगरपालिकाओं से मिलती है और वही सदन के सामने वह रख सकती है। यह हो सकता है कि जिन्होंने मृत्यु की संख्या दी हो उन्होंने वहां पर सही कारण न बतलाया हो और यही कारण हो सकता है कि कानपुर के अन्दर तपेदिक से मृत्यु संख्या कम दिखाई गई हो।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ और कानपुर के दोनों टी० बी० हास्पिटल्स में अलग अलग कितने बेड्स हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह तो मृत्यु संख्या से संबंधित है, बेड्स से नहीं।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र--क्या सरकार यह स्पष्ट करने की कृपा करेगी कि कानपुर में दो वर्ष तक प्रति वर्ष ११२६ रुपया और लखनऊ में प्रतिवर्ष दो वर्ष तक ३४०४ रुपया क्यों खर्च किया गया ?

श्री बनारसी दास--जहां तक लखनऊ का सवाल है यहां पर लखनऊ मेडिकल कालेज से यह बेड्स अटैच हैं और वहां पर मेडिकल कालेज के विद्यार्थी भी शिक्षा पाते हैं और एक एक बेड पर कई विद्यार्थी का नम्बर आता है। इसलिये वहां पर खर्चा कुछ अधिक आता है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह शय्याओं की संख्या को बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री बनारसी दास--जी हां, इन ५,४ साल के अरसे में काफी बढ़ायी गयी हैं और आगे भी बढ़ाने का विचार है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि लखनऊ और कानपुर के टी० बी० के अस्पतालों को छोड़कर अन्य जिलों में भी टी० बी० अस्पताल खोलने की व्यवस्था की गयी है ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--जी हां, कई जगह खोले गये हैं और अन्य जगहों में खोले जा रहे हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ और कानपुर में जो टी० बी० के अस्पतालों का प्रबन्ध किया गया है उनमें कानपुर और लखनऊ के लोग अधिक रहते हैं या बाहर से भी लोग आते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सारे प्रदेश के व्यक्ति कम से कम लखनऊ के अस्पताल में जरूर आते हैं क्योंकि यह तो एक हमारे प्रदेश का प्रमुख अस्पताल है।

आयुर्वेदिक औषधालयों में शल्यक्रिया का प्रबन्ध

*२९—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आयुर्वेदिक औषधालयों में चीर-फाड़ के कार्यों को चालू करने के लिये वह क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री बनारसी दास—कुछ औषधालयों में जहां पर शल्यक्रिया के जानकार वैद्य या हकीम हैं, साधारण शल्यकर्म की व्यवस्था है। अन्य औषधालयों में भी शल्य कर्म की ट्रेंड वैद्यों और हकीमों के उपलब्ध होने पर सुविधा कर दी जावेगी। वैद्यों और हकीमों को शल्य कर्म की ट्रेनिंग देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी सरकारी कालेजों और सरकारी औषधालयों में रखे हुये हकीमों और वैद्यों को मेडिकल कालेज में चीरफाड़ की ट्रेनिंग देने का विचार इसी वर्ष से कर रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—जी हां, मेडिकल कालेज में तो इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती लेकिन डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में उनको तीन महीने की ट्रेनिंग देने का विचार है और इन अस्पतालों में जो बनारस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं उनको तो आज भी इजाजत है कि वे शल्य कर्म कर सकते हैं।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्राइवेट आयुर्वेदिक औषधालयों में जो चीरफाड़ का काम जानते हैं उनको मान्यता दी जायगी ?

श्री बनारसी दास—वह तो अब भी है कि जो वैद्य बनारस यूनिवर्सिटी से शिक्षा पाये हुय हैं या जो हकीम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से तालीम पाये हुए हैं उनको शल्य कर्म करने की इजाजत है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जो तीन महीने की ट्रेनिंग जिले की डिस्पेंसरियों में देने का सरकार का विचार है, क्या इस वर्ष उसे कार्य रूप में दिया जा सकेगा ?

श्री बनारसी दास—हम आशा तो करते हैं कि इस साल उसे कार्य रूप में परिणत किया जा सकेगा।

मुरादाबाद जिले के चिकित्सालयों में औषधियों का अभाव

*३०—श्री खयाली राम (जिला मुरादाबाद)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले में कितने एलोपैथिक आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालय किस किस स्थान पर हैं ?

श्री बनारसी दास—सूचना संलग्न तालिका में ही है जिसकी कि एक प्रति माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २३४ पर।)

श्री खयालीराम—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह चिकित्सालय तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालय जिनको सहायता सालाना मिलती है उसमें औषधियों के अभाव के कारण जनता उनसे पूरा लाभ नहीं उठा रही है ?

नोट :—तारांकित प्रश्न २९ श्री वीरेन्द्र वर्मा ने पूछा।

श्री अध्यक्ष—यह तो राय का सवाल है ।

श्री खयाली राम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन चिकित्सालयों में दवाइयों के अभाव के कारण जनता उनसे पूरा लाभ नहीं उठा रही है ?

श्री बनारसी दास—ऐसा तो नहीं है किन्तु वहां पर और दवाइयों का प्राविजन हो जाय तो इसमें संदेह नहीं कि उससे और ज्यादा लाभ हो सकता है ।

श्री खयाली राम—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले के बिलारी और राजा का सहसपुर इत्यादि कई अस्पतालों की शिकायतें सरकार के पास आयी हैं कि उनसे पूरा-पूरा फायदा जनता को नहीं पहुंच रहा है ?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

मतलबपुर स्टेशन, तहसील अमरोहा में डिस्पेंसरी भवन का निर्माण

*३१—श्री खयाली राम—क्या यह सच है कि मतलबपुर स्टेशन, तहसील अमरोहा पर एक डिस्पेंसरी खोलने के लिये केन सोसाइटी मुरादाबाद ने २०,००० (बीस हजार) रुपये डिस्पेंसरी की इमारत के लिये सरकारी कोष में जमा कर दिये हैं ? यदि हां, तो सरकार यह डिस्पेंसरी कब से प्रारम्भ करने जा रही है ?

श्री बनारसी दास—जी हां । भवन निर्माण हो रहा है, पूर्ण होने पर चिकित्सालय खुलेगा ।

श्री खयाली राम—इस भवन निर्माण का अनुमान क्या है ?

श्री बनारसी दास—वहां की केन सोसायटी ने इसके लिये २० हजार रुपया स्वीकृत किया है ।

श्री खयाली राम—सरकार उसमें अपने पास से कितना रुपया लगा रही है ?

श्री बनारसी दास—सरकार ने कोई सहायता उसमें नहीं दी है ।

श्री खयाली राम—क्या २०,००० के अतिरिक्त सोसाइटी ने और रुपया जमा किया है ?

श्री बनारसी दास—अभी तक २० हजार के अलावा कुछ और जमा नहीं किया है ।

भदोही तहसील में राजकीय औषधालयों के भवन

*३२—श्री वंश नारायण सिंह (जिला बनारस) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भदोही तहसील, जिला बनारस में कुल कितनी राजकीय डिस्पेंसरियां हैं और उनमें से कितनों के सरकारी भवन हैं ?

श्री बनारसी दास—१५ डिस्पेंसरियां हैं जिनमें से ७ डिस्पेंसरियों के सरकारी भवन हैं ।

*३३—श्री वंश नारायण सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उन सरकारी भवनों की मरम्मत बराबर हुआ करती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—मरम्मत समय पर होती रहती है ।

नोट :—तारांकित प्रश्न ३३ श्री देवमूर्ति राम ने पूछा ।

श्री देवमूर्ति राम (जिला बनारस)--क्या सरकार इन डिस्पेंसरियों के नाम बतलाने की कृपा करेगी जिनके पास सरकारी भवन हैं ?

श्री बनारसी दास--जी हां, तीन एलोपैथिक डिस्पेंसरियां हैं जो भदोही, ज्ञानपुर और गोपीगंज के अन्दर हैं। इसके अलावा बरवा, कुरियावां और दुर्गागंज में आयुर्वेदिक औषधालय हैं जहां पर कि भवन की व्यवस्था है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रति वर्ष इन डिस्पेंसरियों की मरम्मत के लिये वह कितना रुपया देती है ?

श्री बनारसी दास--उसके लिये कोई निश्चित रकम तो निश्चित नहीं है। आयुर्वेदिक औषधालयों की मरम्मत के लिये इस साल के बजट में ४० हजार रुपया रखा गया है। उसी में से उनको भी दिया जा सकता है।

श्री देवमूर्ति राम--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन ७ डिस्पेंसरीज की इमारतों में कुछ ऐसी भी हैं जिनको जनता ने सरकार को दे दिया है ?

श्री बनारसी दास--जी हां, कुछ तो बनारस राज्य का भवन था और केवल एक इस प्रकार का भवन है जिसको वहां के एक दानी सज्जन ने अपना भवन दान करके दे दिया।

श्री देवमूर्ति राम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन इमारतों को जनता ने थोड़े दिन के लिये दिया है, उन अस्पतालों की सरकारी इमारत बनाने की व्यवस्था क्या सरकार करेगी ?

श्री बनारसी दास--जहां तक सरकार की ओर से भवन बनाने का सवाल है वह तो इस वक्त बड़ा कठिन है लेकिन यदि जनता की ओर से धन एकत्रित हो जायगा तो सरकार भी उचित सहायता दे सकती है।

श्री देवमूर्ति राम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो ८ डिस्पेंसरी ऐसी हैं, जिनकी इमारत नहीं है, वह किराये की इमारतों में चल रही हैं।

श्री बनारसी दास--इसकी ठीक सूचना नहीं है लेकिन वह या तो किराये की हैं या जनता की ओर से जो मुफ्त इमारतें मिली हुई हैं उनमें से हैं।

पिथौरागढ़ क्षेत्र, जिला अल्मोड़ा में चिकित्सा के प्रबन्ध का अभाव

*३४--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला अल्मोड़ा के इलाका पिथौरागढ़ के परगना जोहार में जहां ३० हजार आबादी है कोई अस्पताल नहीं है।

*३५--क्या सरकार उपर्युक्त परगने के नर-नारियों और पशुओं के स्वास्थ्य-रक्षा हेतु केन्द्र स्थान मुनस्यारी में एक मरदाना, एक जनाना तथा एक पशु अस्पताल खोलने का यथाशीघ्र प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास--मुनस्यारी में एक सरकारी मरदाना अस्पताल खोलने के लिये अभी आदेश गये हैं। इसके अतिरिक्त जिला परिषद द्वारा संचालित एक आयुर्वेदिक अस्पताल है जो अब तक गरमी के ६ माह मुनस्यारी में तथा जाड़ों के ६ माह तेजम में कार्य करता है जनाना अस्पताल तथा पशु अस्पताल खोलना अभी संभव नहीं मालूम होता।

श्री खुशी राम--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह आयुर्वेदिक अस्पताल कब खुला था और उसका संचालन कौन डाक्टर या वैद्य करता है ? नाम क्या है ?

श्री बनारसी दास--यह काफी समय से है और सरकार ही इसका संचालन करती है।

श्री खुशीराम--मरदाना अस्पताल जो खुलने के लिये कहा गया है यह कब से कार्यान्वित होगा ?

श्री बनारसी दास--इसके आदेश जारी कर दिये गये हैं और आशा की जाती है कि शीघ्र ही खुलेगा।

श्री खुशीराम--जनाना अस्पताल के लिये अभी खुलना क्यों नहीं संभव है ?

श्री बनारसी दास--धनाभाव के कारण।

फतेहगढ़ सरकारी अस्पताल में टी० बी० वार्ड की आवश्यकता

*३६--श्री पातीराम (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फतेहगढ़ सरकारी अस्पताल में टी० बी० वार्ड बढ़ाये जाने की योजना कब आरम्भ होकर कब तक पूर्ण हो सकेगी और उसमें कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री बनारसी दास--प्रश्न विचाराधीन है।

श्री पातीराम--क्या सरकार फतेहगढ़ अस्पताल में ही टी० बी० वार्ड्स खोलने का विचार रखती है या उससे मिली जमीन एक्वायर करने की सोच रही है?

श्री बनारसी दास--यह प्रश्न विचाराधीन है कि आया अस्पताल के अहाते में हो, या अलहदा जमीन एक्वायर की जाय या किसी किसी संस्था को इसके लिये रुपया दें।

श्री पातीराम--सरकार इस पर कब तक विचार करेगी ?

श्री बनारसी दास--शीघ्र ही इस वर्ष में इस पर निर्णय होगा।

जिला बस्ती के अन्तर्गत कुदरहा बाजार में अस्पताल व लालगंज में पशु-चिकित्सालयों की आवश्यकता

श्री राम लाल (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला व तहसील बस्ती में कुदरहा बाजार के मुकाम पर एक अस्पताल व लालगंज के मुकाम पर एक पशु चिकित्सालय खोले जाने की मांग सरकार से किसान मजदूर सम्मेलन के प्रस्ताव द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या किया ?

श्री बनारसी दास--जी हां। कुदरहा बाजार से ३ मील की दूरी पर एक सरकारी औषधालय और ४ मील की दूरी पर एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अस्पताल है। इसलिये इस स्थान पर अस्पताल की कोई खास जरूरत नहीं मालूम होती। इसके अतिरिक्त कुदरहा में अस्पताल के लिये कोई इमारत उपलब्ध नहीं है।

वेटेरिनरी स्टाफ की कमी के कारण इस समय सरकार के लिये लालगंज में पशु चिकित्सालय खोलना संभव नहीं है जब ट्रेंड स्टाफमैन उपलब्ध होंगे तो लालगंज और काली-जगदीशपुर या उस क्षेत्र में दो केन्द्रीय स्थानों पर स्टाफमैन सेन्टर्स खोलने का सरकार इरादा कर रही है।

गोंडा जिले के ट्रांस राप्ती क्षेत्र में अस्पताल की आवश्यकता

*३८--श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि गोंडा जिला के Trans rapti भाग में, चौधरी डीह के चारों ओर लगभग ८ मील तक कोई अस्पताल नहीं है ?

श्री बनारसी दास--जी हां।

नोट--तारांकित प्रश्न ३८-३९ श्री रघुराज सिंह ने पूछे।

*३९—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि उपयुक्त क्षेत्र के निवासियों, ग्राम प्रधानों, सरपंचों तथा पंचों ने कोई प्रार्थना-पत्र इस हेतु सरकार के पास भेजा है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, एक प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आया है। अस्पताल खुलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री रघुराज सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बलरामपुर राज द्वारा अस्पताल की इमारत तथा डाक्टरों और कम्पाउण्डरों के रहने की जगह तथा आपरेशन करने का स्थान दानस्वरूप देने की मंजूरी दी है।

श्री बनारसी दास—वहां से एक प्रार्थनापत्र आया था जिस पर रिपोर्ट मांगी गयी है। यदि भवन आदि उपलब्ध हुआ तो सारी बातों पर विचार करके निर्णय किया जायगा।

श्री रघुराज सिंह—क्या सरकार को विदित है कि राजा साहब बलरामपुर इमारत को अस्पताल के लिये दे देना चाहते हैं ? यदि सरकार चाहे तो ?

श्री बनारसीदास—इस प्रकार का आफर तो था, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थीं जिन पर अभी विचार किया जा रहा है। यदि उन्होंने बिला शर्त इमारत दे दी तो अवश्य ही उसका उपयोग किया जायगा।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा में जच्चा बच्चा तथा दाई केन्द्र कोई नहीं है।

श्री बनारसी दास—जी हां, नहीं है।

श्री रघुराज सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि इस इलाके में मलेरिया कालाजार का पूरे जोर के साथ नंगा नृत्य होता है ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता, आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे राजा साहब की मकान देने की शर्तें क्या-क्या थीं।

श्री बनारसी दास—वह इस समय तो मेरे पास नहीं है सूचना देने पर उनको बता सकूंगा। लेकिन वे शर्तें कुछ इस प्रकार की थीं कि उसका उपयोग करने के बाद उस पर उन्हीं का कब्जा होगा।

कुम्भ मेला सम्बन्धी विज्ञापनों का प्रकाशन

*४०—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुम्भ मेले, प्रयाग के विज्ञापन में प्रदेश सरकार का कितना खर्चा पड़ा।

श्री मोहनलाल गौतम—सरकार ने कुम्भ मेले के विज्ञापन में कोई खर्चा नहीं किया।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुंभ मेले के लिये जो पेम्फलेट्स, पोस्टर्स तथा पत्र-पत्रिकायें प्रकाशित की गयी थीं वे किन अधिकारियों की ओर से हुई थीं या किन संस्थाओं की ओर से हुई थीं।

श्री मोहनलाल गौतम—यह प्रश्न साफ नहीं है, मैं नहीं समझ सका कि उनका इशारा किस पुस्तिका की तरफ है। वैसे मेला कमेटी की ओर से उसका प्रकाशन हुआ होगा।

टाउन एरिया छतारी, जिला बुलन्दशहर की सीमा

*४१—श्री किशनस्वरूप भटनागर (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या टाउन एरिया छतारी, जिला बुलन्दशहर की सीमा बढ़ाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहन लाल गौतम—टाउन एरिया छत्तारी की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

*४२—श्री किशनस्वरूप भटनागर—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सीमा बढ़ाते समय टाउन एरिया कमेटी छतारी को या जनता को कोई अवसर एतराज करने का दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहन लाल गौतम—यह प्रश्न नहीं उठता।

*४३—श्री किशनस्वरूप भटनागर—क्या सरकार को मालूम है कि जमींदारी समाप्त होने के बाद जिस भूमि का लगान खरीफ १३६० फसली में सरकार ने अमीन द्वारा वसूल कराया था क्या इस बढ़ी हुई सीमा में वह भूमि भी आ गई है और क्या अब रबी १३६० फसली से उस भूमि का लगान सरकार के बजाय रियासत छतारी वसूल कर रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम—खरीफ १३६० फसली में कुछ भूमि का लगान सरकारी अमीन द्वारा गलती से वसूल हो गया था। बाद में यह गलती ठीक कर दी गई और अब उस भूमि का लगान वहां के जमींदार द्वारा वसूल किया जा रहा है।

श्री किशन स्वरूप भटनागर—क्या सरकार यह बतायेगी कि यह टाउन एरिया किस सन् में कायम हुआ ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता, यह आप नया सवाल पूछ रहे हैं।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि छतारी टाउन एरिया की जो सीमा या नक्शा जमींदारी अबालीशन से पहले था उसमें अब बहुत कुछ रद्दोबदल हो गयी है ?

श्री मोहन लाल गौतम—अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री बसन्त लाल (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लगान ग़लती से वसूल हो गया है वह लोगों को वापस कर दिया जायगा ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां, जो गलती से किसी से पैसा आ जाता है वह जरूर वापस हो जाता है।

तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती का राजकीय औषधालय

*४४—श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बस्ती, तहसील खलीलाबाद के दक्षिणी क्षेत्र में जो दो नदियों के बीच में है कोई सरकारी अस्पताल है ?

श्री बनारसी दास—हरिपुर में एक सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय है।

सरसावां टाउन एरिया, जिला सहारनपुर में गबन

*४५—श्री राजनारायण (जिला बनारस) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि टाउन एरिया कमेटी सरसावाँ, जिला सहारनपुर के चेयरमैन के विरुद्ध जिन्होंने कमेटी का ६,६०० रु० गबन किया था, क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह सत्य है कि टाउन एरिया कमेटी, सरसावा के लेखे में लगभग ४,२०० रुपये का ग़बन पकड़ा गया है। प्रन्तु अभी इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और यह निश्चियात्मक रूप से नहीं कहा जा ता कि अभियुक्त कौन है।

*४६ श्री राजनारायण (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि गबन किया हुआ रुपया उनसे बरामद होने पर भी वह अभी तक चेयरमैन पद पर मौजूद हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह सत्य है कि ग़बन किया हुआ धन अध्यक्ष ने जमा कर दिया है। परन्तु जब तक पुलिस की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती तब तक किसी के विरुद्ध नियमानुसार कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह ग़बन कब पकड़ा गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—सन् १९५२-६५३ के आडिट के समय।

श्री जगन्नाथ मल्ल—जब कि अध्यक्ष दोषी नहीं समझे गए तो उनसे रुपया क्यों जमा कराया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—उन्होंने रुपया केवल जमा कर दिया अपनी जेब से, कौन दोषी समझा जायगा इससे इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सन् १९५२-५३ में ४,२०० रुपये की लम्बी रक़म का गबन पकड़े जाने के बाद २ साल का लम्बा अर्सा इन्क्वायरी में क्यों लगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—सन् १९५२-५३ के आडिट के समय यह गबन पकड़ा गया था और अब वह पुलिस के हवाले है।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—वह आडिट पार्टी कब गई और वह गबन कब पकड़ा गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—सूचना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस की जांच कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—जल्द ही समाप्त करने की कोशिश की जायगी।

श्री बाबूनन्दन—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गबन किस मामले का था ?

श्री मोहनलाल गौतम—जो रुपया टाउन एरिया का आता था उसमें बख्शी ने कुछ दिनों तक गबन किया था।

नोट—तारांकित प्रश्न ४५-४६ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या शिकायत आने पर सम्बन्धित चेयरमैन कुछ दिनों तक ससपेंड रहे ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी सूचना चाहिए।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आडिट के पहले सरकार के पास गबन की कोई शिकायती दरख्वास्ती आई थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके गबन का पता पहली बार आडिट पार्टी ने लगाया था।

अतारांकित प्रश्न

१–२—श्री बाबूनन्दन—[९ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

मेस्टन रोड, कानपुर में एक जुलूस पर कथित लाठी चार्ज के संबंध में गृह मंत्री का वक्तव्य

गृहमंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं अपना बयान उपस्थित करता हूं, लेकिन इसके पहले मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो बात मैंने कल कही थी वह सही है और इस लाठीचार्ज के सिलसिले में जो दो सज्जन गिरफ्तार हुये थे श्री रामनरेश सिंह और श्री धर्मवीर, उन दोनों सज्जनों पर मुकदमे चल रहे हैं और उन दोनों सज्जनों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल हो गई है। इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके बाद आप श्रीमन् जैसा उचित समझें।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जो मुकदमा चल रहा है उसके ऊपर कोई असर जिसमें पड़ता है ऐसा कोई वक्तव्य आप नहीं दे सकेंगे और उचित भी नहीं होगा। उसको छोड़ कर अगर कोई मालूमात आप दे रहे हैं तो दे सकते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—फैक्ट्स की बात है कि कौन से साहब शरीक हुये और कौन से साहब जलूस में शरीक नहीं हुये थे। यह सब फैक्ट्स की बातें हैं और वही बातें १४४ के मुकदमों में होंगी।

श्री अध्यक्ष—उस जलूस में आम तौर पर क्या हुआ यह आप कह सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, यह मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी यहां सिर्फ फैक्ट्स बयान करेंगे। तो उन फैक्ट्स पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकते न कि फैक्ट्स कहने से सबजुडिस वाला मामला आता है। मैं समझता हूं कि फैक्ट्स के कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये चाहे मुकदमा अदालत में ही क्यों न हो।

श्री अध्यक्ष—जी हां, उसी के ऊपर उनको बताना चाहिये, टीका छोड़ कर, जो इत्तिला आई हो वह दे सकते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैंने उन घटनाओं के सम्बन्ध में काफी जांच की परन्तु मैं देखता हूं कि मेरे बयान का रूप आज भी उस दिन जैसा ही होगा। हमें अब तक की इत्तिला यह है कि २५ अप्रैल को सायंकाल ७ और ८ बजे के बीच लगभग तीन सौ व्यक्तियों का एक जुलूस चौक की ओर से ए० वी० रोड जिसे मेस्टन रोड भी कहते हैं जा रहा था। जब वह पी० एस० पी० के दफ्तर के पास मन्दिर के निकट आया तो एस० डी० एम० रूरल और एस० पी० रूरल ने दफा १४४ का हवाला देकर उसे भंग होने का आदेश दिया। परन्तु ऐसा कहा जाता है कि जो सज्जन जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे उन का नाम हमारी अब तक की सूचना के

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

अनुसार श्री रामनरेश और श्री धर्मवीर गोस्वामी था। उन लोगों ने जुलूस को भंग करने से इन्कार किया; इस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और हल्के लाठी चार्ज से जुलूस को तितर-बितर कर दिया गया।

मैं इतना और आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई है। सदन के दो माननीय सदस्यों, श्री रामसुन्दर पांडेय, तथा श्री मलखान सिंह ने अपनी आंखों देखी बातों का वर्णन किया है। मेरी रामनरेश सिंह जी से भी बातें हुई हैं। इन तीनों सज्जनों के बयान भिन्न-भिन्न हैं। श्री रामनरेश सिंह जी हमारे पुराने साथी हैं, मैं उनका आदर करता हूं और यह मैं कह नहीं सकता कि वे गलतबयानी करते हैं न मैं इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों ने जानबूझकर ग़लत बातों को कहा, इसको कहने का साहस करता हूं, लेकिन कुछ गलत बयानी हो गई। उदाहरण के लिये अपने भाषण में श्री रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा था कि उस वक्त जहां तक मुझे याद है वह यही है कि दफ्तर में मलखान सिंह जी बैठे हुये थे और उन्होंने श्री रामनरेश सिंह जी और श्री गोपालनारायण जी को भेजा था कि वह जाकर पूछें कि लाठी चार्ज क्यों किया जा रहा है और जब गोपाल नारायण जी और रामनरेश जी पूछने गये थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और श्री मलखान सिंह जी ने अपने भाषण में कहा कि कि उन्होंने श्री रामनरेश जी और धर्मवीर गोस्वामी को भेजा था। एक सज्जन कहते हैं कि श्री गोपालनारायण सक्सेना और श्री रामनरेश सिंह जी को भेजा गया और दूसरे सज्जन कहते हैं कि उन्होंने श्री रामनरेश सिंह जी और धर्मवीर गोस्वामी को भेजा था। दोनों ही प्रत्यक्षदर्शी हैं। इन दोनों बातों में साथ ही अन्तर भी है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ और नहीं कहना चाहता।

श्री अध्यक्ष--(श्री रामसुन्दर पांडेय से) आप कोई परसनल एक्स्प्लेनेशन देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, हमने जो काम रोको प्रस्ताव रक्खा था उससे माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया है इससे कोई सम्बन्ध ही नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी ने सात बजे और आठ बजे की घटना का जिक्र किया है लेकिन हमने जो काम रोको प्रस्ताव रक्खा था वह साढ़े आठ बजे रात की घटना का था जब कि मैं वहां मौजूद था। उस घटना का जिक्र तो माननीय मंत्री जी करते नहीं हैं। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे फिर कहना चाहता हूं कि जो घटना साढ़े आठ बजे घटी है हम लोगों के सामने, मैं मेस्टन रोड में मौजूद था, चुपचाप कार्यकर्ता रास्ते से आ रहे थे उस समय पुलिस ने हम लोगों के सामने निरीह लोगों पर लाठी चार्ज किया उसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने नहीं किया है। इसलिये साढ़े आठ बजे जो घटना घटी है उसका जिक्र माननीय गृह मंत्री जी करें।

श्री अध्यक्ष--माननीय गृह मंत्री, क्या आपने इस घटना के सम्बन्ध में भी कोई जांच कराई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि दूसरी कौन सी घटना घटी। उस रोज जिस घटना का जिक्र हुआ था जिसके सम्बंध में श्री राम सुन्दर पांडेय और श्री मलखान सिंह जी के भाषण हुये, उसी के सम्बन्ध में मैंने बयान दिया है। इसके अतिरिक्त मैं नहीं जानता कि दूसरी कौन सी घटना हुई जिसमें लाठी चली या क्या हुआ।

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष--माननीय राजस्व मंत्री, अभी मेरे पास इसकी कापी पहुंची नहीं है, शायद इसकी कापियां अभी बंटी नहीं हैं, इसलिये अभी आप इसको पेश नहीं कर सकते।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--शाम तक आ जायंगी।

श्री अध्यक्ष--जब आ जायंगी तब आप पेश कर देंगे।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४*

खण्ड २८ (क्रमागत)†

श्री अब्दुल मुईज खा (जिला बस्ती)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं इस संशोधन के बारे में। एजेंडे में ५८-झझ और ५८-झझझ पर जो संशोधन रक्खे गये हैं वही संशोधन हैं जिनके बारे में कल आपत्ति उठायी गई थी कि कांस्टीट्यूशन की धारा २०७ के अधीन यह पेश नहीं किये जा सकते। उस पर चेयर की यह रूलिंग हुई थी कि हां, ऐसा नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष--पहले जो दो संशोधन रक्खे हुये हैं वह चूंकि अभी खत्म नहीं हुये हैं, इसलिये उनका जिक्र कार्यवाही में है। इस समय तो माननीय गजेंद्र सिंह जी के संशोधन पर बहस होने जा रही है।

श्री अब्दुल मुईज खा--श्रीमन्, नियमावली की धारा ११३ (२) का आखिरी जो पोर्शन है उसमें दिया हुआ है--

श्री अध्यक्ष--किसके बारे में आप कह रहे हैं?

श्री अब्दुल मुईज खा--यह जो शुरू में दो अमेंडमेंट्स हैं।

श्री अध्यक्ष--वह अभी नहीं लिये जा रहे हैं।

श्री अब्दुल मुईज खां--लिये तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि वह एजेंडे में नहीं आ सकते, नियम ११३ (२) के अधीन।

श्री अध्यक्ष--बात सही है। आइन्दा के लिये मैं इसके बारे में हिदायत दे दूंगा कि एजेंडे पर इस किस्म के संशोधन न आया करें। अब यह आ चुके हैं और सदन ने ही इस बात की इजाजत दी कि इनके ऊपर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त करने के लिये तीन चार रोज दिये जायं। इसलिये सदन के सामने रखना आवश्यक है इस सूचना के लिये कि वे यहां उपस्थित हो चुके हैं। इसलिये इस परिस्थिति में नियम २२३ के अनुसार मैंने यह निर्णय दिया है कि जब एक दफा संशोधन उपस्थित हो जाय और सदन कोई निश्चय कर ले कि वह बाद में आये तो यह जरूरी है कि कार्यवाही में वह बात छपे ताकि माननीय सदस्यों को मालूम हो कि वह पेंडिंग है।

---

* संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २२ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

† ११ मई, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अब्दुल मुईज़ खां--श्रीमन् मैं गुज़ारिश करूंगा कि कल सदन ने कोई निर्णय नहीं किया। अपोज़ीशन को एक तरह से फेसिलिटी देने के खयाल से चेयर ने एक मदद के तौर पर ऐसा किया था। दूसरी बात आप देखेंगे कि नियम १७७ का क्लाज़ ३ जो है उसके अनुसार वह अवैधानिक हो जायगा। ऐसी सूरत में वह नहीं आ सकेगा।. बाद में .....

श्री अध्यक्ष--सदन में जो निर्णय अध्यक्ष ने दिया अगर उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई तो यह माना जायगा कि सदन ने इसकी स्वीकृति दे दी। तो यह इस तरह से सदन की स्वीकृति हुई। उस वक्त कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। आपकी आपत्ति के ऊपर ही अध्यक्ष ने निर्णय दिया कि जब तक राज्यपाल की अनुमति न हो तब तक फैसला नहीं हो सकता। इसमें ग़लती यह हुई कि ११३ नियम को न देखते हुए यह छाप दिया गया और वह ले भी लिया गया। उस वक्त आपने इन संशोधनों पर आपत्ति की। जिस वक्त वे पेश हो चुके थे और बहस जारी थी, तो इसके सिवाय और कोई रास्ता न था कि उनको स्थगित करके राज्यपाल की अनुमति के लिये भेज दिया जाय। इसलिये यह छपा है कि यह पेंडिंग हैं। यह तरीका उचित प्रतीत होता है।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--आपकी कल की आज्ञा का यह मतलब नहीं है। जहां तक इन अमेंडमेंट्स का सम्बन्ध है क्योंकि ये फ़ाइनेन्शियल बिल से सम्बन्ध रखते हैं इसलिये बग़ैर राज्यपाल की आज्ञा के यह पेश नहीं किये जा सकते। अब जब पेश हुए तो आब्जेक्शन हुआ। आपको यह निर्णय देने की आवश्यकता पड़ी कि वह आउट आफ आर्डर हैं या नहीं, क्योंकि वह आउट आफ़ आर्डर थे। इसलिये आपने सुविधा उनको दी, थोड़ा समय दे दिया कि राज्यपाल की आज्ञा ले लें और फिर अमेंडमेंट को उपस्थित करने का अधिकार होगा। अब अगर राज्यपाल की आज्ञा नहीं हुई तो क्या स्थिति हुई। इसलिये सदन के सामने तभी आ सकते हैं जब कि राज्यपाल की आज्ञा हो जाय। मैं तो यही अर्थ समझता हूं कि आपने इन अमेंडमेंट्स के मूवर को यह रिआयत दी है कि पहले आज्ञा प्राप्त करने के बजाय अब वे आज्ञा प्राप्त करके तब अमेंडमेंटस मूव कर सकते हैं। इसलिये इस स्थिति में अमेंडमेंट्स को सदन के सामने रखना कहां तक मुनासिब है क्योंकि राज्यपाल की इच्छा है कि अनुमति दें या न दें। तो अध्यक्ष महोदय, मैं तो कल आपकी आज्ञा का यह अर्थ समझा।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में माननीय स्वशासन मंत्री से इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या माननीय स्वशासन मंत्री के कहने का अर्थ यह है कि इस खंड को पास समझा जाय। यदि इस खंड को पारित हुआ न समझा जाय वैसी हालत में एजेन्डा की क्या हालत होगी। कल उस समय तक जब तक अब्दुल मुईज़ खां खड़े नहीं हुए उन्होंने भाषण दिया और माननीय स्वशासन मंत्री जी की तरफ़ से या उनकी तरफ़ से कोई आपत्ति नहीं हुई। फिर जिस समय माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने यह रूलिंग दी कि इसके लिये समय दिया जा रहा है कि माननीय राज्यपाल की अनुमति ली जाय उसके बाद भी कोई आपित्त किसी माननीय सदस्य ने नहीं की और न यह कहा उस समय कि उस खंड को पारित समझा जाय, बल्कि यह कहा कि इस खंड को तब तक के लिये मुल्तवी समझा जाय। फिर एजेंडे पर यह न रखा जाय यह कठिनाई माननीय सदस्य को और जो माननीय सदस्य संशोधन पेश करना चाहते हैं उनको भी है। तो इसके लिये मैं ज़रा उनका स्पष्टीकरण चाहता था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--उनके स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका जवाब मैं दूंगा।

श्री गेंदा सिंह--मैं तो समझता हूं कि इसको एजेंडे पर रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--आपने जो यह प्रश्न उठाया कि एजेंडे में होना चाहिये, क्योंकि खंड २६ पारित नहीं हुआ है यह बिल्कुल स्पष्ट बात है कि खंड २६ स्थगित कर दिया गया है। उनकी आपत्ति यह नहीं है कि २६ खंड का जिक्र न हो। उनकी आपत्ति यह है कि यह संशोधन कार्य सूची में नहीं दर्ज होना चाहिये क्योंकि ११३ नियम के अनुसार तब तक सूची में दर्ज नहीं हो सकता जब तक कि उसके लिये राज्यपाल की अनुमति न हो। यह नियम में स्पष्ट दिया हुआ है। इसीलिए मैंने यह स्वीकार किया कि यह गलती हो गई। लेकिन गलती होने के बाद जो परिस्थिति हुई कि वह पेश हो गया था और पेश होने की इजाजत नहीं देनी चाहिये थी, लेकिन किसी की नजर में यह नहीं आई बाद में अब्दुल मुईज साहब की नजर में आ गई और उन्होंने सुझाव दिया और यह आपत्ति भी उठाई कि यह नहीं पेश हो सकता, यह वैधानिक आपत्ति थी। उसका निर्णय यह हुआ कि नहीं पेश हो सकता। तो ऐसी हालत में संशोधन कार्यवाही में छपना चाहिये या नहीं छपना चाहिये यही प्रश्न रह जाता है। खंड २६ तो अभी रहेगा कायम और अगर अनुमति मिल जाय तो संशोधन भी उस वक्त छाप दिये जायेंगे। आज से इन्हें छपना तो नहीं चाहिये। मैंने तो उसके लिये उत्तर यही दिया था कि इस पर विचार किया गया और इसलिये आ गये कि यह पेश हो चुके थे, यह कल्पना थी हमारे सचिवालय की। अब इसमें भी अगर आपत्ति है कि इस शक्ल में भी कार्यवाही में न आयें तो उसका एक तरीक़ा यह हो सकता है कि ऐसा लिखा जाय कि खंड २६ कुछ संशोधनों की वजह से नहीं पास हुआ, इसलिये वह स्थगित कर दिया गया या यह लिख दिया जाय कि यह संशोधन खंड में पेश किया जा चुका है परन्तु अनुमति की प्रतीक्षा है। मेरा ख़याल है कि उनकी आपत्ति का कारण यह है कि इससे प्रचार होता है, इसलिये कार्य-सूची में दर्ज नहीं होना चाहिये। कार्य-सूची में दर्ज होना इस हालत में व्यर्थ सा है। कार्य सूची में अगर कोई प्रश्न दर्ज हो जाता है तो वह सदन के सामने है, ऐसा नहीं माना जायगा। कार्य सूची में कुछ भी अगर दर्ज हो जाय जब तक वह वैधानिक रीति से पेश नहीं होता तब तक "यह सदन के सामने है" ऐसा नहीं माना जायगा। तो मैं आयन्दा यह कर सकता हूं कि खंड २६ के बारे में इतना ही दर्ज हो कि यह अभी पेंडिंग है, यानी जारी है कुछ प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में विचार करना है इसलिये। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि कुछ संशोधन उपस्थित किये जा चुके हैं, उनके ऊपर अभी राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त नहीं हुई, इसलिये अभी उनके ऊपर विचार नहीं किया जा सकता। यह तो महत्व का विषय रहा ही नहीं क्योंकि इनके ऊपर विचार होता ही नहीं, वे संशोधन सदन के सामने नहीं हैं यह मानकर चलना ही पड़ेगा, लेकिन चूंकि इस बार यह दर्ज हो चुका है, यह ग़लती आयन्दा दुहराई नहीं जावेगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल कहा था कि इस प्रदेश में सरकार के पास रुपये की कमी नहीं है अगर वह गांव में रहने वाले छोटे-छोटे दुकानदारों के प्रति अगर बुरे तरीके से टैक्स लगाने का इरादा रखती है, उसको वह छोड़ दे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आदरणीय सदन को बतलाना चाहता हूं कि इधर दो-चार साल में जो टैक्स वसूल करने का गांव पंचायतों को अधिकार दिया गया था और गांवपंचायतों ने टैक्स वसूल किया है, उनकी क्या दशा हुई है। मैं समझता हूं कि इस सदन का हर एक माननीय सदस्य जो गांवों से संबंध रखते हैं वह जानते होंगे कि पंचायतों के जरिये जो टैक्स वसूल हुआ है वह सरकारी खजाने में जमा होता रहा है और पंचायत अफसरों के नाम से जमा होता रहा है।

[श्री राम सुन्दर पांडेय]

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रुपया पंचायतों के काम के लिये वसूल होता रहा है वह भी पंचायतें खुद अपने काम में नहीं ले सकती हैं। हां, गांव पंचायतें प्रस्ताव पास कर देती हैं और वह पंचायत इंसपैक्टर के पास जाता है वहां से वह जिला कार्यालय जाता है और उसके स्वीकृत होने में सालों लग जाते हैं और प्रस्ताव ज्यों का त्यों पड़ा रहता है और सरकार उस रुपये को क्या करती है। जहां वह चाहती है वहां वह उस रुपये को खर्च करती है और गांव सभा वालों को पता तक नहीं होता कि रुपया कहां, कैसे खर्च हो गया।

अध्यक्ष महोदय, दो साल पहले सेक्रेटरीज का वेतन देने की जिम्मेदारी गांव सभाओं पर थी तो सारा रुपया सैक्रेटरीज की तनख्वाह पर ही खर्च होता था। इधर पिछले साल से सरकार ने इनको अपने कोष से देने का निश्चय किया है। इसके बाद अध्यक्ष महोदय पंचायत सम्मेलन हर साल जिले और तहसीलों में होते हैं जिनमें मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल के सदस्य अधिकतर जाते हैं। पंचायतों के कोष का जो रुपया होता है, गांव सभाओं से पूछा तक नहीं जाता है और वह रुपया निकाल कर पंचायत सम्मेलन में मंत्रिमंडल के स्वागत में खर्च किया जाता है। इसके अलावा पंचायत राज्य पत्रिका निकलती है और हर जिले से निकलती है और सरकार से भी जाती है और मैं समझता हूं कि बिना गांव सभाओं के पूछे रुपया इस पर खर्च किया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचायतें जो रुपया वसूल करती हैं, वह जनता की राय से नहीं बल्कि सरकारी आदेश से वसूल करती हैं फिर भी गांव सभा के लोग उस रुपये को खर्च नहीं कर सकते हैं और सरकार उसको खर्च करती है।

अध्यक्ष महोदय, जो काम गांव सभा के होते हैं वह श्रमदान से या किसी और चीज की सहायता से होते हैं और सरकार उनमें कोई सहायता नहीं देती है। सवाल यह आता है कि इस तरह से इनका काम कैसे चलेगा। अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साथी गेंदा सिंह जी तथा राम नारायण त्रिपाठी और अन्य जो पार्टी के सदस्य हैं वह वर्षों से कहते चले आ रहे हैं कि गांव की जो इकाई है उसे मजबूत करने के लिये सरकार को १/४ हिस्सा देना चाहिये। इसके अतिरिक्त सरकार के पास दूसरे तरीके आमदनी के हो सकते हैं। सरकार अपने दिल पर हाथ रखकर कड़ाई के साथ पैसा वसूल करे उनसे जो जनता की कमाई का शोषण करते हैं, उनके पैसे से गांव का निर्माण किया जा सकता है। हालांकि माननीय गजेन्द्र सिंह का प्रस्ताव इस तरह का है, जोकि हमारे मन के अनुकूल नहीं है, लेकिन अध्यक्ष महोदय डूबते को तिनके का सहारा है। जहां माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ६ रुपये टैक्स लगाने का अधिकार चाहते हैं वहां माननीय गजेन्द्र सिंह ३ रुपया ही सही, लेकिन इतना तो कर दीजिये कि उस गरीब दूकानदार के ऊपर इस तरह की आफत न आने पाये और यह जो बीच का प्रस्ताव रखा गया है माननीय मंत्री जी उसको अवश्य स्वीकार करें और इससे भी उनकी आमदनी बढ़ेगी और इस रुपये से जो सिस्टम आज है गांव पंचायत का अगर उसमें परिवर्तन हुआ तो उस रुपये से काफी कार्य हो सकेगा।

श्री राम दास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गजेन्द्र सिंह जी के द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

आज हमारे देश में अधिकांश संख्या देहात में रहती है और देहात की जैसी दशा है वह हम से छिपी नहीं है। देहात में रहने वाले कुछ लोग हाथ का कार्य करते हैं। मसलन कुम्हार बरतन बनाता है, बढ़ई लकड़ी का काम करता है, लोहार लोहे का काम करता है और तेली तेल निकालता है, जुलाहा कपड़ा बुनता है, और चर्मकार जूते का काम करता है, और छोटे-छोटे व्यवसायों में लोग लगे हुये हैं। आज हमारी माननीय सरकार उनसे छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों को उन्नति देखना चाहती है और यह चाहती है कि उन लोगों की इसमें सहायता की जाय, जो छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे कर रहे हैं। आज देहात में जो बरतन बनाता है, वह किसान की जरूरत और गांव वालों की जरूरत को पूरा करता है। आज बढ़ई भी जो लकड़ी का काम करता है

वह फसलाने में काम करता है और हर ६ महीने में उसका एक अंश लेता है। इसी तरह लोहार और दूसरे लोग हैं जो किसानों और अन्य लोगों की गांव में जरूरत पूरी करते हैं। उनकी आर्थिक समस्या हमारे सामने है। वह इतनी कमजोर है कि उसकी बिना पर वह अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर रहे हैं। इसका करण यह है कि ये लोग अपने बच्चों के पढ़ाने में अपने मकानात के बनाने में, अपने रहन-सहन में भी उन्नति नहीं कर सके हैं। आज टैक्स की भरमार इस प्रकार से कर देने से उनकी समस्या और भी नीचे चली जायगी और जो स्तर उनका उठने वाला है वह नीचे की ओर आयेगा। इसके अलावा और मजदूर लोग जो खेतों पर काम करते हैं जोकि रोजाना मजदूरी पर काम करते हैं, उनको मुश्किल से आठ आना छः आना रोज मिलता है, तो भी सारे दिन, सारे साल उनकी मजदूरी नहीं लगती है, बल्कि सीजनल तीन महीने, छः महीने किसान के यहां वह काम करते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी का विशेष इस तरफ ध्यान दिलाऊंगा कि उन खेतिहर मजदूरों की, चाहे वह सीजनल हों या साल में काम करने वाले हों, उनकी आर्थिक समस्या को ध्यान में रखते हुये, जोकि भूखों मर रहे हैं, टैक्स से बरी किया जाय। न उनकी आमदनी ही इस प्रकार की है। तो इस तरह से उनको मौका मिले कि अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें और अपने मकानों की हालत सुधार सकें। आज श्रमदान की महत्ता है और जो कार्य श्रमदान का हमारे सामने है वह कितना महत्वपूर्ण है। श्रमदान से हम अपने गांव के रास्ते और सड़कें बनाते हैं और उसमें हमें गांव वालों का बड़ा भारी सहयोग मिलता है। जिस काम के करने में हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं उस काम को हम श्रमदान के जरिये से कर रहे हैं और इस तरह से कितना धन बचता है। अपने शरीर से दान के रूप में कार्य करके हम उस कार्य को जो रुपयों से पूरा होने वाला है, अपने श्रम से करके पूरा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं हमारी सरकार इसमें पीछे नहीं रहेगी। उन लोगों को जो कि मजदूर पेशा हैं जो मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं या जो थोड़ी बहुत खेती का काम कर लेते हैं उनको तो बिलकुल इससे आप मुक्त कर दें और जो हाथ का काम करने वाले हैं उन पर ६ रुपये के बजाय ३ रुपया टैक्स लगायें तो उचित होगा और वह इस कर को आसानी से अदा भी कर सकेंगे। उनके सामने कोई दिक्कत नहीं होगी।

इस सिलसिले में मैं तो आपकी आज्ञा से यह भी कहना चाहता हूं कि यह न होना चाहिये कि गांव सभा भी टैक्स लगाये और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी टैक्स लगाये। एक तरफ से ही टैक्स लगना चाहिये। यह चाहे आप कर दें कि वह उस टैक्स का कुछ हिस्सा गांव सभा को दें। यह अगर यहां साफ हो जाय तो यह बात जनता के दिलों में एक प्रकार से जगह करेगी कि हमारा जो टैक्स है वह एक जगह जाता है और वह फिर हमारे काम में आ जाता है। यह सारी बातें इस प्रकार की हैं कि जो ध्यान देने योग्य हैं। इन पर यदि अमल हुआ तो मैं समझता हूं कि आपके टैक्स लगाने की जो शैली है, उसका जो आधार है, वह सक्सेसफुल हो सकेगा और वह लाभदायक होगा, क्योंकि जब टैक्स अदा होगा तभी तो वह किसी कार्य में लग सकेगा और यदि अदा ही नहीं होगा तो क्या लाभ हो सकता है। मैंने यहां तक परिस्थिति देखी है कि बेचारे गरीबों के बरतन तक नीलाम करा लिये गये। तो ऐसे जो गरीब हैं, जो कि टैक्स देने के लायक नहीं हैं उनको यह आवश्यक है कि इससे मुक्त किया जाय और ऐसे उद्योग-धंधों को करने वाले जो लोग गांव में हैं, जो कि हाथ के काम करते हैं उनको भी सहूलियत दी जाय ताकि वह अपना उद्योग धंधा भी कर सकें और उस टैक्स को भी अदा कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसे इसी रूप में स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय मैं इस अमेंडमेंट का स्वागत करता अगर आज गजेन्द्र सिंह जी यह कहते कि यह टैक्स न लगाया जाय। लेकिन वह स्वयं रजामन्द हैं इसके लिये। उन्होंने कहा है कि तीन रुपया टैक्स लगाया जाय। ६ रुपये के बजाय तीन रुपये लगायें जायं। तीन और छः में कोई विशेष अन्तर नहीं है। हमारे कुछ सम्मानित सदस्यों ने प्रीजुडिस माइंडेड होकर यहां बातें कही हैं। मैं सुनता रहा कल से। मैंने माननीय धर्म सिंह जी को सुना, आज माननीय रामदास जी को सुना.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप नाम ले रहे हैं और प्रीजुडिस साथ-साथ कह रहे हैं, यह ठीक नहीं है। नाम न लीजिये।

श्री शिवनारायण--मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूं जो बोले हैं, किसी बाहरी का नाम नहीं ले रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं यह बताना चाहता हूं और जरा बिल को पढ़ देना चाहता हूं। उसमें लिखा है--

"a fee subject to a maximum of six rupees per annum on persons carrying on any trade, calling or profession within the jurisdiction of the Gaon Sabha."

ट्रेड लव्ज आया है। ट्रेड न किसी ब्राह्मण का है, न किसी चमार का है, न किसी बनिया का है। कोई भी आदमी अगर ट्रेड करता है तो गवर्नमेंट को अधिकार है कि उस पर टैक्सेशन करे। आज दुनिया की सारी हुकूमतें टैक्स के लिये क्या-क्या प्रबन्ध कर रही हैं, किस किस्म से लोग अपना हिसाब चुराकर रखते हैं और गवर्नमेंट परेशान होती है, यह सबको मालूम है। कोई आदमी इनकम करता है तो उस इनकम पर टैक्स लगाना अनिवार्य है। उसके बगैर गवर्नमेंट चल नहीं सकती। मालगुजारी से गवर्नमेंट चलती है, टैक्स से गवर्नमेंट चलती है। फिर यहां गवर्नमेंट का क्या क्वेश्चन है? यहां तो गांव सभा की बात है। अगर गांव सभा को आप टैक्स लगाने को अधिकार नहीं देते हैं, तो वह आपसे कहेंगे कि आपने कानून तो बनाया लेकिन अधिकार नहीं दिया कि हम किसी पर टैक्स लगायें, तो हम काम कैसे करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि गांवों में जो बनिये रोजगार कर रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है? किसी के यहां जब डकैती होती है तो दस-दस हजार रुपये चले जाते हैं। गांव में एक कहावत है कि बनिया अपना मुंह छिपा कर खाता है। हमारे यहां हीरालाल बनिया हाल ही में मारा गया है दसियों हजार रुपया उसके पास से हमला करके ले गये। मुझे बड़ा खेद है कि सोशलिस्ट लोग कैपिटलिस्ट क्लास को सपोर्ट करने के पक्ष में हैं। अगर उसका संशोधन यह आया होता कि यह बिलकुल न रखा जाय तो मैं उससे सहमत होता। आज सरकार पंचायत राज में अधिकार दे रखा है कि गांव में गरीबों पर किसी प्रकार का टैक्सेशन न हो।

रामदास जी ने अभी कहा कि नाई, धोबी, बढ़ई, लोहार वगैरह जो हैं उनको सालाना फसल पर अनाज दिया जाता है। और गवर्नमेंट ने रखा है कि पांच सौ से ज्यादा जिसकी आमदनी होगी उस पर यह टैक्स लगेगा। तो गांव में बढई, नाई, धोबी, कुम्हार किसकी आमदनी पांच सौ रुपये साल होती है। कुम्हार दिवाली पर कुछ बर्तन बनाता है और घड़े वगैरह बनाता है। तो अगर किसी की पांच सौ रुपया साल की आमदनी हो तो उस पर टैक्स लग सकता है। पांच सौ रुपये से कम आमदनी पर टैक्स लगने का सवाल ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि संशोधन में कोई ऐसा सार है नहीं। और मैं चाहूंगा कि वह इस संशोधन को वापस ले लें। क्योंकि वह स्वयं नीमरजा हैं कि ६ रुपये के बजाय तीन रुपया रख दिया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम--इसमें अगर एक सफाई आपकी आज्ञा से दे दूं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अब तो आप कह चुके हैं। आपके बाद कोई बोल नहीं सकेगा।

श्री मोहनलाल गौतम--मैं सिर्फ एक प्वाइन्ट कहना चाहता था।

यह जो फी है रूल्स में पहले ही ग्रेडेड विजुअलाइज किया गया है। २२१वें रूल में ग्रेडेड है। इसलिये इस हिसाब से इस पर बहस हो।

श्री अध्यक्ष--मैंने आपसे पहले ही एक वक्त कहा था कि हर समय गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है। यह क्लाज में दिया ही है।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गजेन्द्र सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे माननीय शिवनारायण जी का भाषण सुनने के बाद आश्चर्य मालूम हुआ। माननीय शिवनाथ काटजू जी जब बोलते हैं तो मुझे थोड़ा सा संतोष होता है। वह कस्बे के रहने वाले हैं। गांवों से सम्पर्क नहीं है। इसलिये बोल देते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन माननीय शिवनारायण जी जो कि गांव के रहने वाले हैं गांवों की अच्छी तरह से जानकारी रखने वाले हैं वह जब ऐसी बातें कहने लगते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के जितने माननीय सदस्य बैठे हैं वह सब गांवों से करीब-करीब परिचित हैं। आजकल गांवों की तरफ जाने पर यह दृश्य नजर आता है कि गांव की मड़इया दिनोंदिन गिरती और उजड़ती चली जा रही है। जब कस्बों की तरफ निगाह जाती है तो उस वक्त दिखाय देता है कि कस्बे थोड़ी सी दिन-दिन उन्नति की तरफ जा रहे हैं। माननीय शिवनारायण जी लखनऊ के बड़े-बड़े मकानों की तरफ देखते हैं गांव की मड़इया की तरफ नहीं देखते जो गिर रही है। उनके बारे में माननीय गजेन्द्र सिंह प्रकाश लाये हैं। उन गांवों में जो छोटे-छोटे आदमी हैं जिनके पास जीवनयापन के लिये कोई रोजगार नहीं है खेत नहीं है वह छोटा सा कोई रोजगार कर लेते हैं। वह दाल, चावल, नमक, तेल, सेतुआ, भूजा आदि की छोटी सी दूकान खोलकर अपनी जीविका चलाते हैं और अपने बाल-बच्चों का उस रोजगार से पालन-पोषण करते हैं। वह किसी से कर्जा लेकर रोजगार कर लेता हैं। उस दूकान से नित्य प्रति जो कमा लेता है उससे बड़ी मुश्किल से वह अपनी जीविका चला पाता है। अगर ऐसी दूकानों पर यह टैक्स लगाया जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जायगी। अभी माननीय शिव नारायण जी ने कहा कि ६ रुपये और तीन रुपये में कोई फर्क नहीं मालूम होता, उनको यह ज्ञात नहीं देता कि इसमें दूने और आधे का फर्क है। गांवों में अगर एक पैसा भी टैक्स लगता है तो वह अधिक मालूम होता है और उनको कष्ट होता है, यह तो ६ रुपये की बात है। ६ रुपये उनको अपने बाल-बच्चों की जीविका से निकाल कर देना होगा। गजेन्द्र सिंह जी का विचार तो यही था कि टैक्स लगाया ही न जाय लेकिन उन्होंने सोचा कि माननीय मंत्री जी यह बात मानेंगे ही नहीं इसलिये उन्होंने सोचा कि ६ के बजाय तीन रुपया कर दिया जाय। इससे उनकी बात भी रह जायगी। वह कहेंगे कि अगर टैक्स न लगाया जाय तो ग्रामोत्थान कैसे होगा। इसलिये उनकी बात को मानने के लिये तीन रुपये रख दिये। मेरी राय तो यह है कि उन उजड़ी हुई मड़ैइयों पर टैक्स न लगा कर जो बहुत बड़े बिजनेस मैन हैं, जो बड़े-बड़े रोजगारों को करते हैं उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाय तो ग्रामोत्थान के काम में कोई अड़चन न होगी। जो गांवों के आस-पास बड़ी-बड़ी मिलें खड़ी हैं, बड़े-बड़े रोजगारी हैं उन पर टैक्स लगाया जाय और वह गांवों को दिया जाय तो वहां की तरक्की हो सकती है। हमारी तरफ से यह भी प्रस्ताव आया था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो रुपया वसूल करे उसका एक चौथाई हिस्सा गवर्नमेंट गांव को दे दिया करे तो हमें किसी प्रकार का टैक्स लगाने की जरूरत न पड़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने भाषण में बतलाया कि वे लोग अपनी स्वेच्छा से गांवों में टैक्स लगाते हैं। मुझे भी इसका अनुभव है, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, अभी कोई गांव वाला अपनी स्वेच्छा से अपने ऊपर टैक्स लगाने वाला नहीं है। जिन पर टैक्स लगता है वह स्वेच्छा से नहीं वरन् उस पर जबरदस्ती लाद दिया जाता है। जो कर्मचारी गांव में रहते हैं वे बैठ कर प्रस्ताव टैक्स का पास कर देते। दो तीन दफा कमेटी बुलायी जाती है और प्रस्ताव पास हो जाता है और बस जबरदस्ती टैक्स लाद दिया जाता है। मुझे मालूम है कि एक आदमी से जब टैक्स वसूल करने का वक्त आया तब उसको मालूम हुआ कि उस पर टैक्स लगा है। उन्होंने बतलाया कि मुझे मालूम भी नहीं था कि कैसा टैक्स लगाया गया है। जब कुरकी आई तो मालूम हुआ कि हमारे ऊपर टैक्स है इस तरह से जो यह ६ रुपये का टैक्स गांव के उन गरीबों पर लगाया जा रहा है जो छोटी-छोटी दूकानें करते हैं इससे उनको कष्ट होगा। जिनकी आमदनी ५०० रुपये साल की भी होती है अगर उनकी रोजमर्रा की आमदनी को देखा जाय तो मालूम होगा कि उनकी जीविका चलना भी मुश्किल होता है। ऐसी हालत में वे

[श्री रामसुभग वर्मा]

६ रुपया कहां से देंगे। बजाय इसके कि इन छोटे-छोटे दूकानदारों पर टैक्स लगाया जाय अगर माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि गाँव तरक्की करें तो उनको सहूलित दी जाय अगर मंत्री महोदय चाहते हैं कि वह अपने गांवों की तरक्की कर सकें तो छोटे-छोटे उद्योग-धंधे खोल कर छोटी-छोटी दुकानें करके अच्छी तरह से अपने गांव को सजा सकें और अपने गांवों को आगे बढ़ा सकें। इन सब बातों को रखते हुये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह माननीय गजेन्द्र सिंह जी के संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं उनके संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन पेश हुआ है मैं उसका विरोध करता हूं। उसका कारण यह है और जैसा कि संकेत भी किया गया कि हमारे मित्र ने कल भी एक संशोधन इस तरह का पेश किया था कि २५ परसेंट लैंड रेवेन्यू का हिस्सा गांव सभा को सरकार दे। उसका कारण यह बताया गया कि गाँव सभा के पास फंड की बहुत कमी रहती है और उसको गाँव का निर्माण करना है। इसलिये आवश्यक है कि उनके पास फंड होना चाहिये। तो यह देखकर मुझे बड़ी परेशानी होती है कि विरोधी दल की तरफ से एक तरफ तो आरगुमेंट इस तरह के आते हैं कि हमको गांव का निर्माण करना है और गांव सभा को एक आदर्श यूनिट बनाना है, जिसके आधार पर देश का डेमोक्रेटिक ढांचा बनने वाला है। एक तरफ तो वह इस बात को मानते हैं कि गांव सभा के पास फंड नहीं है और जब सवाल टैक्स का आता है चाहे वह किसी किस्म का हो, उसका विरोधी दल की तरफ से विरोध होता है। कहा गया कि यह गवर्नमेंट टैक्स लगाने से अनपापूलर हो जायगी। सो मैं अपने उन साथियों से यह निवेदन करूंगा कि अब उनको हिम्मत करनी चाहिये। इस तरह से भयभीत होना कि टैक्स लगाने से देश का निर्माण नहीं होगा, सही बात नहीं मालूम होती है। अब भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप जरा हिम्मत करें और जो हमारा ग्रामीण जीवन है उनको थोड़ा सा टैक्सेशन की तरफ ले जाने की चेष्टा करनी चाहिये और उनकी मनोवृत्ति को टैक्सेशन की तरफ ले जाया जाय और उनको टैक्स देने पर तैयार करना चाहिये। और फिर जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो महज ६ रुपये की बात है सो तो मैक्सिमम लिमिट है। इसके अन्दर ग्रेडेशन भी है कि जिसकी जितनी इनकम होगी उससे उसी अनुपात से टैक्स लगा कर रुपया लिया जायगा। इसमें तो केवल ६ रुपया मैक्सिमम रखा गया है। हम इस बात को साफ कह चुके हैं और पास भी कर चुके हैं कि जो काश्तकार हैं उनका जो लैंड रेवेन्यू (लगान) है उस पर एक आना रुपया बतौर टैक्स के लिया जायगा। जब हम खेती करने वालों से इस प्रकार का टैक्स लेना पास कर चुके हैं कि वह एक आना रुपया देंगे तो फिर जो खेती नहीं करते हैं, दुकानदारी करते हैं या जिनका आमदनी का जरिया दूसरी तरह का है अगर उनके ऊपर टैक्स न हो तो यह गलत तथा अनुचित मालूम होता है। इसलिये सब के ऊपर कुछ न कुछ टैक्स लगाने की बात जो है वह मैं समझता हूं उचित है। टैक्स न लगाने की बात कहना और फिर गांव सभा के पास रुपये के न होने की बात कहना यह दोनों बात साथ-साथ नहीं चल सकती हैं। जिन व्यक्तियों की आमदनी ५०० से अधिक होगी उनको अगर ६ रुपया देना पड़े और इससे ग्राम सभा के पास कुछ रुपया आजाय और ग्रामीण लोगों को कुछ सुविधायें हो सकें तो इसमें क्या विरोध की बात है। मैं समझता हूं कि यह उचित ही बात है। मैं यह आशा करता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अगर वाकई गांवों का निर्माण करना है और वाकई यदि हम चाहते हैं कि गांव सभा के पास इतना फंड हो जाय कि वह निर्माण कर सके तो हमको कोई रचनात्मक उपाय पैसा प्राप्त करने का सोचना पड़ेगा और मैं यह सोचता हूं कि इस जरिये से कुछ रुपया इकट्ठा हो सकेगा और गाँव सभा का कार्य सुचारु रूप से चल सकेगा।

जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गजेन्द्र सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह ठीक है जैसा कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिवनारायण जी ने कहा कि सोशलिस्ट होने के नाते वह टैक्सेशन के खिलाफ हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव का मतलब यह है कि टैक्स हो यह बिलकुल तो खत्म नहीं हो सकताहै, लेकिन जितना कम हो जाय उतना ही अच्छा है। माननीय शिवनारायण जी यहां पर नहीं हैं नहीं तो मैं उनको बताता जैसा कि वर्मा जी ने कहा कि तीन और तीन ६ होते हैं, लेकिन उनकी समझ में ऐसा नहीं है और उसके लिये कोई सामंजस्य भी नहीं है। वह कहते हैं कि ३ और ६ में कोई अन्तर नहीं है लेकिन एक गरीब आदमी के लिये काफी अन्तर है। शिवनारायण जी ने कहा कि यह टैक्स कैपिटलिस्ट पर लग रहा है। इसमें यह साफ लिखा हुआ है कि कालिंग प्रोफेशन ट्रेड अब गांव सभा जिस पर भी लगा, यह उसकी सूझ है। यह उसमें बहुमत का सवाल है। अगर यह भी कहा जाय कि यह कैपिटलिस्ट के ऊपर टैक्स है तो वह रुपया भी तो ग़रीबों को कम मजदूरी देकर जमा करते हैं। मैंने जैसा कल कहा था, यह सेक्शन ऐसा है जिसमें कोई कैटगरी नहीं प्रोफैशन, कालिंग या ट्रेड की। अगर कैटेगरी होती तो अच्छा था। ऐसा एकाध ही केस होगा कि किसी बिजनेसमैन की आमदनी बड़े से बड़े किसान से अधिक हो। इस संशोधन से गरीबों का अधिक हित होगा, क्योंकि उन पर कम टैक्स लगने की गुंजायश रह जायगी। इसलिये यह संशोधन बड़ा ही अच्छा है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे अवश्य स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री अब्दुल मुईज खां--श्रीमन्, इसका शुरू ही का अंग है कि गांव सभा मे लैवी, (Gaon Sabha may levy) जिससे यह जाहिर होता है कि ६ रुपया "मैक्सिमम" है, जैसा आपने भी स्पष्टीकरण किया और मजीद मंत्री जी ने भी किया था कि हैसियत से यह कमोवेश किया जा सकता है। मगर इसमें एक दिक्कत यह पैदा होती है कि जहां बढ़ई या लोहार तक पर ६ रुपये लगाया जा सकता है वहां ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी-बड़ी दूकान रखते हैं, सैकड़ों रुपये जिनकी रोज आमदनी होती है, उनके लिये इस सेक्शन से यह पाबन्दी हो जाती है कि उनके ऊपर ६ रुपये से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता है। मैं यह समझता हूं कि इस सेक्शन के किसी सब सेक्शन में यह बात नहीं आती कि ६ रुपये से ज्यादा भी, अगर किसी की आमदनी या सम्पत्ति अधिक हो, उसके ऊपर लगाया जा सकता है।

इसी के आगे (के) में जो लिखा है कि--

"(*k*) a tax, not exceeding such rate as may be prescribed, on buildings owned by persons who do not pay any of the aforesaid taxes and whose annual income exceeds three hundred rupees."

यहां तो अवश्य एक टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन यह उन लोगों पर है जिनके ऊपर और किसी पहले सबसेक्शन में कोई टैक्स नहीं लगाया गया हो। इसके बाद जो सब सेक्शन (सी) में आ जाता है वह सबसेक्शन (के) में नहीं आ सकता है। ऐसी सूरत में मैं यह समझता हूं कि अगर इसमें कोई ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाय जिससे ज्यादा हैसियत वाले पर ज्यादा टैक्स लगाया जा सके तो अच्छा होगा। मेरी राय में कुछ ऐसा प्रावीजन करना चाहिये और अगर सरकार ऐसा कर दे तो बेहतर होगा।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो ६ रुपये से ३ रुपया करने के लिये आया है मैं उसके सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं और वह यह है कि जहां तक ग़रीब आदमियों का सम्बन्ध है, उनके लिये तो कुछ न कुछ गुंजाइश देनी ही पड़ेगी। गरीब लोगों में कुछ ऐसे हैं जो अपने बाल-बच्चों की गुजर भी नहीं कर सकते हैं और उनकी मजदूरी भी ऐसी नहीं है, जो हमेशा यकसां रहती हो और वह हमेशा एक सी नहीं रहती। ऐसी हालत में यह कहना कि उनकी साल भर की आमदनी पर हम असेस कर लेंगे। अगर एक रुपया रोज की उनकी आमदनी है तो ३६० रुपया साल के हो जायेंगे, लेकिन उनके लिये ऐसा फारमूला लगाना

[श्री जयपाल सिंह]

मुश्किल होगा। इसलिये उनकी आमदनी को जोड़ असेस करने के लिये इसमें कोई संकेत अवश्य होना चाहिये, कोई नाम अवश्य होना चाहिये। इस प्रकार से असेस करने का नतीजा यह होता है कि मजदूर फंस जाता है बावजूद इसके कि गांव सभाओं में उसका बहुमत होता है, लेकिन उन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं होता और गांव-सभा के सेक्रेटरी और प्रधान सब कुछ कर डालते हैं। आखिरकार जब वह शैंक्सन (sanction) हो जाता है तब मजबूरन रुपया अदा (pay) ही करना पड़ता है। जिन लोगों को दूसरा कोई सहारा नहीं होता है उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। मजदूरों के अलावा और भी छोटे-छोटे पैसे वाले हैं जैसे पान, सिगरेट बेचने वाले, उनकी आमदनी किस प्रकार आंकी जायगी, इस प्रकार के और पेशे वालों की आमदनी को असेस किये जाने के बारे में भी इसमें कुछ डिफाइन नहीं किया गया है। बहुत से मजदूर तो ऐसे हैं जिनको, जहां तक नकदी का सम्बन्ध है, ५-६ रुपया ६ महीने में मिल पाता होगा। लेकिन यहां सब को नाप लिया जाता है। जो झाड़ू लगाने वग़ैरह का काम करते हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया जाता है। ऐसी दशा में मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि अगर उन लोगों के लिये गुंजायश नहीं छोड़ी तो उनको नाप लिया जायगा, जो बहुत ही अनुचित होगा।

हमारे यहां मेरठ में एक रजपुरा गांव है वहां के ३६ मेंबरों में से २६ ने दरख्वास्त की कि उनके ऊपर ग़लत टैक्स लगा दिये गये हैं, जिनके बारे में उनको कुछ ज्ञात भी नहीं हुआ, कुछ पता भी नहीं लगा। दो साल के बाद जब वह लाद दिया गया तब पता लगा। आखिरकार यह झगड़ा बढ़ कर एस० डी० और कलेक्टर के पास गया। कलेक्टर ने डी० एस० पी० को कहा उसने एस० ओ० को हिदायत की। जब धमकी दी गयी तब मामला वहीं सुलझ गया। इस प्रकार से टैक्स वसूल किये जाते हैं। प्रतिवर्ष इस प्रकार की ज्यादतियां होती हैं। ऐसी हालत में हम भी नियमों में कोई परिवर्तन न करें और कहें कि ५०० रुपये से कम की आमदनी वाले लोग तो ऐक्जेम्प्ट (माफ) कर दिये जायेंगे। आमतौर से गांवों में देखने में आता है कि वहां हर प्रकार के लोग हैं जिन पर टैक्स लगा दिया जाता है। उनके पास गुजारे के कोई साधन नहीं है, अपने बालबच्चों की शिक्षा का भी वे प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं। तो फिर ऐसी हालत में उन पर टैक्सों का लगाना अनुचित है। अगर आपको टैक्स ही लगाना है तो लक्जरी की चीजों पर टैक्स लगाइये। लोग घोड़ा रखते हैं, मोटर रखते हैं, ऊंट रखते हैं और रेडियो भी रखते हैं। गो कि ये जरूरत की चीजें भी हैं, लेकिन देहातों में लक्जरी की चीजें हैं उनके रखने वालों पर अधिक टैक्स लगाया जा सकता है और छोटी कैटेगरी के लोगों को माफ (exempt) कर दिया जाना चाहिये। जैसे कि खेतिहर मजदूर हैं, उनकी आमदनी किस तरह से आंकी जा सकती है, किस तरह से उनकी साल ब साल की आमदनी आंकी जा सकती है, क्योंकि उनकी आमदनी बराबर एक सी तो रहती नहीं है। साल में तीन महीने, छः महीने या आठ महीने रोजाना मजदूरी लगती है। तो ऐसी अवस्था में जो आम लोग होंगे, मजदूरों में, उन पर एक आफत आ पड़ेगी। इस टैक्स के जरिये और सेक्रेटरी तथा प्रधान लोग जान बूझ कर टैक्स लगायेंगे। तो ऐसी हालत में इस चीज को जरूर देखना होगा कि जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ तबका है, सबसे अधिक ग़रीब है उसको इस प्रकार से न नापें, उस पर सब प्रकार के टैक्स का बार न डाला जाय। आखिर टैक्स लगाने का भी कोई कायदा-कानून होता है। जिसके अनुसार अमीरों पर अधिक से अधिक टैक्स लगाना चाहिये और गरीबों को माफ (एक्जेम्पट) करना चाहिये या उन पर जहां तक हो सके कम से कम होना चाहिये। देहातों की जिन्दगी सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से ग़रीब मजदूर किसानों के खेतों में मजदूरी करते हैं, लेकिन आज एक वायुमंडल ऐसा बन गया है कि किसान आखिर किसान हैं। लेकिन आज के किसान उतने गरीब नहीं हैं जितने कि मजदूर। क्योंकि

किसानों के यहां ही ये काम करते हैं और उनसे मजदूरी लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में यह कहना कि मजदूरों को उनमें शामिल कर लें और उनसे भी टैक्स वसूल करें, यह बहुत ही अनुचित है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करता हूं कि यहां न सही, लेकिन दूसरी जगह इस तरह की गुंजायश की जाय कि जिससे गरीब लोग जिनकी आमदनी स्थायी नहीं है और जो अपने बच्चों की गुजर नहीं कर सकते हैं उनको एक्जेम्प्ट कर दिया जाय।

*श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि विचार करने की कुछ दृष्टि के अभाव के कारण ही यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है। यह बहुत सीधी सी बात है कि पहले इसी धारा के अन्तर्गत प्रापर्टी टैक्स के आधार पर २५० रु० तक लिया जाता था। पिछले वर्ष जो कार्यवाही हुई है यह २५० रु० तक वसूल किया जाता था और फिर उसी दृष्टि से सरकार एक टैक्स और चाहती है। इसका नाम यहां पर फीस रखा गया है। और वह अधिक से अधिक ६ रुपये है। अब हमें यह विचार करना है कि एक आना लैंड रेवेन्यू पर जब किसानों से लेते हैं तो ९६ रुपये के ऊपर जिनकी आय होती है उनको तो ६ रुपया ही देना है। अब रह गये नीचे के लोग जो कि दरिद्र हैं या जो कुछ बहुत हीनावस्था में हैं, उनकी बचत हर तरह से की गयी है। क्योंकि ग्राम सभाओं को ही यह तय करना है और मान लीजिये कि ग्राम सभाओं ने बहुमत के बल पर कोई अन्याय किया, तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को अधिकार है कि वह इन्क्वायरी करावे और स्टेट गवर्नमेंट को भी अधिकार है कि वह उसी चालू वर्ष के ही बारे में नहीं बल्कि पिछले वर्ष के बारे में भी इनक्वायरी करावे व तय करे। हमको यहां यह भी विचार करना है कि प्रापर्टी टैक्स जो किसान देता है वह तो उसे देना ही है। इसके अलावा जो बड़े-बड़े हैं उनको एक टैक्स और देना है। अब जो बार-बार कहा गया है कि दरिद्र नारायण को इससे बचत नहीं होगी, तो मैं फिर उसको दोहराना नहीं चाहता हूं कि उनकी बचत की पूरी रक्षा की गयी है। और हमारा विश्वास है कि ग्राम सभाओं में ऐसे व्यक्ति ही होंगे जो उनसे अच्छी तरह परिचित होंगे। फिर कोई कारण नहीं है कि ६ रुपया जो अधिक से अधिक रखा गया है, जैसी उनकी अवस्था होगी उनके ऊपर टैक्स लगेगा और मान लिया कि किसी के साथ अन्याय हुआ तो उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट और प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी विचार कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि सब बातों की तरफ हमारी दृष्टि न जाने के कारण ही हम इस ६ रुपये और ३ रुपये में बंध गये हैं। ३ रुपये लगाना तो हास्यास्पद है। एक आना रुपया जब लैंड रेवेन्यू पर किसानों से लेते हैं तो चाहे कितना ही धनवान हो, व्यवसायी हो, उससे ३ रुपया ही लिया जाय, मैं समझता हूं कि यह न्याय संगत और युक्ति संगत नहीं मालूम होता है। कलेक्टिव विजडम डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। बुद्धि के बलाबल पर विधान सभा किसी चीज पर विचार करे तो इस दृष्टिकोण से यह एक सुन्दर बात है। तो इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है कि कोतवाल जी दुबले शहर के अन्देशे से। यही कहावत श्री काटजू जी पर पूरी तरह से एप्लाई होती है। उनको इस बात की चिन्ता है कि अगर ६ रुपये के बजाय ३ रुपया रखा जायगा तो गांव सभाओं के फंड बहुत कम हो जायंगे और वह इससे गांव निर्माण का काम ठीक से न कर सकेंगी। मैं माननीय काटजू साहब से कहना चाहता हूं कि अगर वह सही मानों में गांव का निर्माण करना चाहते हैं तो वह टैक्सेज की भरमार करने से न होगा बल्कि इस तरह से तो गांव के रहने वालों की जहनियत को खराब कर दिया जायगा और खास तौर से इस देश में जहां आज ग्रामीण जनता की आर्थिक दशा और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गजेन्द्र सिंह]

क्रय शक्ति खराब होती जा रही है वहां अगर आप इस तरह से टैक्स लगा कर निर्माण करना चाहते हैं तो वह हरगिज नहीं हो सकता।

आज गांवों में पैसे का अभाव है। परन्तु वहां मानव शक्ति भरी पड़ी है, वहां तो आप इस मानव शक्ति के द्वारा ही देश का और ग्रामों का निर्माण-कार्य कर सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मैंने कांग्रेस सरकार की मानमर्यादा की रक्षा के लिये और इस देश की जनतंत्र की रक्षा के लिए ही यह संशोधन रखा है। आज देश में ग्रामों की जनता की यह जहनियत होती जा रही है कि यह सरकार बराबर टक्सेज की भरमार करती चली जा रही है। इधर सरकार के पास कोई ऐसे साधन नहीं हैं कि जिनके द्वारा देश की छिपी हुई मानव शक्ति को इकट्ठा करके ग्रामों का वास्तविक निर्माण कर सके। काटजू साहब ने कल सब कमेटी की रिपोर्ट से पढ़ कर सुनाया और कहा कि पहले १० रुपया टैक्स था और ढाई सौ रुपए की हैसियत पर था और उसको बाद में कम कर दिया गया। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी ने उसको कम कर दिया और उन्होंने यह अच्छा किया लेकिन यहां जो ६ रुपये तक रखा गया है वह भी बहुत ज्यादा है और कम होना चाहिए और ३ रुपये तक वह होना चाहिए। लेकिन वुडवी डिप्टी मिनिस्टर साहब ने इस संशोधन का विरोध करते हुए कहा था कि मैंने बजाय इसके अगर यह संशोधन रखा होता कि वहां बिल्कुल टैक्स न लगाया जाय तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया होता। अगर वह सपोर्ट करें तो मैं ऐसा संशोधन लाने को तैयार हूं। मैंने तो उसी समय कह दिया था कि मैं इस फ़ेवर में नहीं हूं कि गांव सभाओं के द्वारा वहां की जनता पर कोई टैक्स लगाया जाय और अगर इस तरह से टैक्स लगवाया जायगा तो उसकी प्रतिक्रिया यह होगी कि जो निर्माण कार्य आप वहां की जनता के द्वारा करवाना चाहते हैं उसमें काफ़ी रुकावट पैदा हो जायगी।

इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि मैं तैयार हूं कि वहां की जनता पर पंचायतों द्वारा कोई टैक्स न लगवाया जाय, बल्कि राज्य सरकार इन पंचायतों के कार्य संचालन के लिए पैसा दे और जब उनकी आर्थिक दशा और क्रयशक्ति बढ़े तब टैक्स लगाने पर विचार करे तब वह सम्भवतः स्वतः देश के निर्माण कार्य में और ग्रामों के निर्माण कार्य में अवश्य सहयोग देंगे। लेकिन आज जब उनके पास पैसा नहीं है और जब कि वह पैसे के अभाव में परेशान हैं उस समय मैं आपके द्वारा सदन से कहूंगा कि हमारा तजुर्बा है कि पिछली बार जो टैक्स लगाया गया वहां पर उसका कोई पैमाना नहीं रहता। मंत्री महोदय ने जो ५०० रुपये की लिमिट रखी है तो ५०० रुपये होते ही क्या हैं, एक दो तीन चार और उसके आगे ५०० रुपये गिनने में अधिक हो जाते हैं, पर उनकी वेल्यू क्या है? ४१ रुपया मास का हिसाब पड़ता है उससे साल में कितना सामान आ सकता है, जो कुम्हार है, जो मोचीगीरी करता है या जो चमड़े का काम करता है या जो पान का दूकानदार है या परचूनी की या तम्बाकू की दुकान करता है उसकी क्या हैसियत है? ४–५ आदमी खाने वाले हैं तो ४१ रुपया मास का क्या मूल्य है? कहां से कपड़ा आयेगा कहां से बच्चों को शिक्षा देगा, कहां से दवादारू का प्रबन्ध करेगा, इन सारी बातों के लिये पैसा कहां से आयेगा। ४० रुपये बहुत थोड़ी आमदनी होती है। वे कहते हैं कि ऊपर की लिमिट ५ सौ रखी है तो मैं उनसे कहूंगा कि पांच सौ तक तो तीन रुपया कर दीजिये और जो इससे ऊपर की आमदनी के लोग हैं उन पर जो १ हजार से ऊपर वाली आमदनी के लोग हैं उनके ऊपर ६ रुपये कर दें तो मैं ऐसा संशोधन करने को तैयार हूं। लेकिन आप वह करने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं जानता हूं कि अगर यह विधेयक पास हो जायगा तो आपकी गांवों में काफी बदनामी भी हो जायगी और गांव के लोगों की विचारधारा सरकार के खिलाफ़ हो जायगी, क्योंकि पिछली मर्तबा जो टैक्स आपने उन पर लगाया और इससे

वहां के लोगों पर दो-दो तीन-तीन साल का टैक्स बकाया हो गया और इसकी वजह से लोगों में काफी बचैनी है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन लोगों की तरफ भी निगाह डालिये जो वाकई में बहुत गरीब हैं, जो छोटे आदमी हैं। उनपर बहुत ज्यादा वजन पड़ जायगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि इसमें रियायत की गई है तो मैं कहता हूं कि रिय यत जो कम आय वाले हैं, जो ग़रीब हैं उनके साथ कीजिये। इसके साथ ही साथ जो आप यह समझते हैं कि गांव-सभाओं के कोष को बढ़ा देने से गांवों का निर्माण हो जायगा वह गलत है। मेरा अपना तजुर्बा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत से टैक्सेज़ बढ़ा दिये हैं उन टैक्सेज़ से बहुत सारा रुपया आता है। मैं यह तो नहीं कहता कि उनकी नीयत ख़राब है, सरकार तो उनको ईमानदारी से यूटिलाइज़ करना चाहती है, जनता के फायदे के लिये। लेकिन कम से कम एक चौथाई रुपया तो ग़लत तरीके से खर्च हो जाता है सरकार की मशीनरी ख़राब होने की वजह से देश को ग़लत वातावरण की ओर ले जाने की वजह से और ठीक तरीका न होने की वजह से बहुत सा रुपया बेकार खर्च हो जाता है। अगर उसी तरीके से गांव सभाओं के जरिये से टैक्स लगा कर उस रुपये का ठीक से यूटिलाइजेशन न हुआ तो उससे अच्छा तो यह होगा कि ऐसा क्रान्तिकारी कदम उठाया जाय जिससे मानवशक्ति का उपयोग हो, मानवशक्ति का हम निर्माण कार्यों में उपयोग करें बजाय इसके कि रुपये के द्वारा गड्ढे खुदवायें, सड़कें बनवायें, नालियां खुदवायें, मानवशक्ति का उपयोग किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवनारायण जी ने यह भी कहा कि हम इस संशोधन के द्वारा कैपिटलिस्ट क्लास, जो गांवों में रहता है उसको राहत पहुंचाना चाहते हैं। मैं माननीय शिवनारायण जी से कहना चाहता हूं कि हमारा मंशा कैपिटलिस्ट क्लास को राहत पहुंचाने का नहीं है आप स्वयं कैपिटलिस्ट क्लास को राहत पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पैसों से ही आपकी सरकार पल रही है, तो मैं माननीय शिवनारायण जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप गांवों में देखें तो गांवों में कैपिटलिस्ट क्लास रहता ही नहीं है, क्योंकि वहां उनका बिजनेस होता ही नहीं है, उनका बिजेनस शहरों में होता है और अगर कोई हजार दो हजार रुपया गांव में पैदा कर लेता है तो मैं उसे कैपिटलिस्ट नहीं मानता हूं, क्योंकि वह अपने परिश्रम से पैदा करते हैं और वे कैपिटलिस्ट नहीं है। हम तो कैपिललिस्टों को राहत नहीं पहुंचाना चाहते हैं बल्कि अपने संशोधन के द्वारा उन गरीबों की जिनकी हालत ख़राब है जिनके पास धन का अभाव है उनको परेशानी से रोकना चाहते हैं। अगर आप कैपिटिलिस्टों पर लेवी बढ़ाना ही चाहते हैं तो बढ़ाइये एक हजार रुपये से जो ज्यादा हों उन पर ६ रुपये लीजिये, २ हजार वाले हैं उनसे १२ लीजिये और जिन की ज्यादा आमदनी हो उनसे और ज्यादा लीजिये तो हमें कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन माननीय शिवनारायण जी तो स्वयं कैपिटलिस्ट क्लास की पैरवी करना चाहते हैं और हम से शिकायत करते हैं, माननीय धर्मसिंह जी ने कितने धर्म का काम किया है जो मेरे संशोधन का समर्थन किया है और ट्रेजरी बेंचेज़ के दूसरे आदमियों ने इसको सपोर्ट किया है। लेकिन माननीय शिवनारायण जी ने इसका बहुत ही घोर विरोध किया। ठीक है, अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई एतराज नहीं? अगर वह विरोध करते हैं और अगर विरोध करने से उनकी इच्छा पूरी हो जाय और अगर वह बढ़ जायं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह शब्द आप वापस ले लें।

श्री गजेन्द्र सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह शब्द वापस लेता हूं। इन शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, मालूम होता है कि चाहे जितनी बहस की जाय कुछ लोग समझने से इंकार करते हैं। इस संशोधन के पेश करने वाले अभी यह कह रहे थे कि हजार पर १० रु० लगाइये १२ लगाइये या १५ लगाइये, मंजूर है, यानी ६ रुपये से ज्यादा लगाने के लिये वह तैयार हैं। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा ६ रु० रक्खें जायं तो उसको तीन रुपये करने के लिये भी तैयार हैं। यह बातें मेरी समझ में कुछ आई नहीं। जो तर्क माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने दिया वह यही था कि अगर १ हजार की आमदनी पर १२ रु० लगाइये, मंजूर है, २ हजार की आमदनी पर २४ रु० लगाइये, वह भी मंजूर है, इसी तरह से यह बढ़ता चला जायगा और इसका वह समर्थन करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने जो ६ रु० ज्यादा से ज्यादा रक्खे हैं उनका विरोध करते हैं। तो इसलिये सुनना और समझने की कोशिश करना इस भवन के लिये जरूरी है।

यह सब बातें अब्दुल मुईज खां साहब ने एक्सप्लेन कर दी हैं इसलिये अब जरूरत नहीं है कि मैं उनका जवाब दूं।

एक मैं अध्यक्ष महोदय और निवेदन करूं कि पहले जो प्रापर्टी पर टैक्स था वह अब टैक्स नहीं रहा। पहले कांस्टीटयूशन के हिसाब से ढाई सौ रुपये तक टैक्स लग सकता था, लेकिन अब वह सवाल नहीं रहा। अब सवाल है फी का। मैं यह भी निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, कि जो रूल्स हैं उसमें २२१--ए में बिजुलाइज किया गया है कि किस तरह से वह किसी पर लगाई जायगी।

श्री अध्यक्ष---अगर आप उसको पढ़ कर सुना दें तो अच्छा है।

श्री मोहनलाल गौतम---२२१--ए में यह है---

"A Gaon Sabha may by a resolution require that no person shall carry on the profession or trade of a weighman, palledar, mazadoor, sugar refiner, or a dealer for sugar, grain or cloth or of plying the vehicles for hire or animal without obtaining a licence for the sale on payment on annual fee not exceeding thar given below:

		Rs.
1.	Mazaoor	2
2.	Weighman or palledar	3
3.	Merchant of grain, sugar or cloth or refiner of sugar ..	8

यह इस तरह से है। तो मैं आपसे निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, कि यह चीज सिर्फ प्रोफेशन पर ही नहीं बल्कि सब पर लगेगी। यहां पर गांव सभा को अधिकार देने की बात है। एक ओर तो यह कहा जाता है कि गांव सभाओं को अधिकार नहीं दिया जाता है। क्योंकि हमें गांव-सभाओं पर विश्वास नहीं है, डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, और भी न मालूम क्या-क्या कहा जाता है, लेकिन दूसरी ओर जब अधिकार दिया जाय तो कहा जाता है कि इसकी जरूरत नहीं है। हम टैक्स यहां पर नहीं लगा रहे हैं। हम केवल गांव सभाओं को अधिकार दे रहे हैं कि वह टैक्स लगा सकती है, अगर वह चाहें तो गांव सभा की बैठक करके। जब हम अधिकार यह दे रहे हैं तो कहा यह जा रहा है कि यह अधिकार न दो। और न मालूम कितनी दलीलें दी गईं कि अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है।

तो हमारे सामने हेडेक यह है कि no taxes and all amenities जनता के सामने तो हम कहते हैं, लेकिन लेजिस्लेचर के सामने उसे दोहराने पर हमें कठिनाई और संकोच होता है। सवाल यह है कि किस जादू से सब हो जायगा यह कुछ पता नहीं है। चाहे केन्द्रीय सरकार हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, म्युनिसिपैलिटी हो, गांव सभायें हों उनकी कार्य करने की क्षमता इस बात में सीमित है कि उनकी क्या आमदनी है और अब सवाल यह है कि क्या यह टैक्स बिलकुल न हो। इस पर मैं अभी कोई कमिट नहीं करता हूं जब विधेयक आजायगा तो विचार हो सकता है।

लेकिन जब तक गांव सभाओं को अपने अधिकार नहीं होंगे तब तक वे लोकल बाडीज की हैसियत नहीं प्राप्त करेंगी। गांव सभाओं की आमदनी अपनी हो। वे एक एजेंसी होंगी उसी प्रकार की जैसे मुखिया या नम्बरदार होते हैं। इसलिये लोकल बाडीज को अगर डेवलप करना है उनको अधिकार देने पड़ेंगे। मैं यह मानता हूं कि लोकल बाडीज को अधिकार दिया है तो वे कभी-कभी गलती भी करेंगी, यह बरदाश्त करना पड़ेगा। इसलिये गांव सभाओं को जब टैक्स लेने के अधिकार की बात आती है तो यह अविश्वास क्यों किया जाता है। इसलिये मैं कहता हूं कि ६ रुपया मैक्सिमम है। और गजेन्द्र सिंह जो १२, १५ लगाने की बात कहते हैं। मैं वहां तो नहीं जाता। इसलिये मैं समझता हूं कि वे अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 (1) के भाग (c) की प्रथम पंक्ति में शब्द "six" के बजाय "three" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

*श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :--

खंड २८ में प्रस्तावित धारा ३७ की उपधारा (1) (c) के Proviso की पंक्ति ४ में 'one rupee' के स्थान पर "five rupees' रख दिया जाय और शब्द "as may be approved by the prescribed authority" निकाल दिये जायं।

माननीय मंत्री जी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने सिनेमा और थियेटर पर फीस लगाने की व्यवस्था रखी। लेकिन मैं तो यह देखता हूं कि इसमें उन्होंने इसकी रक्षा भी की। १ रुपया से ज्यादा प्रतिदिन के हिसाब से उन पर कोई फीस लगाई नहीं जा सकती और उस पर भी कि जब तक प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी एप्रूव न कर दे तब तक वे लगा नहीं सकती। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी तो इस विधेयक में बहुत ज्यादा आयी है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस फीस के लगाने में वे बहुत ज्यादा इस दिशा में बढ़े नहीं। मंत्री जी, मेरा संशोधन केवल इतना था कि १ रुपये को बढ़ा करके ५ रुपये तक हो जाय। अक्सर गांवों में जो सिनेमा थियेटर वाले बहुत कम जाते हैं। जो जाते हैं उन पर फीस लगाने की.....

श्री अध्यक्ष--आप कुछ समय लेंगे। अब हम उठते हैं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)।

श्री तेज प्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि माननीय मंत्री जी ने जो सिनेमा और थियेटर आदि पर कर लगाने की व्यवस्था की है और जो उसकी सीलिंग एक रुपया रखी है वह बहुत कम है। पता नहीं यह किस खयाल से उन्होंने रखा है। गांव में जब सिनेमा और थियेटर आदि जाते हैं वे सैकड़ों रुपये तक रोज कमाते हैं। ऐसे बड़े-बड़े गांव हमारे यहां हैं।

श्री मोहनलाल गौतम--मंजूर है, खत्म करिये जल्दी से।

श्री तेज प्रताप सिंह--चूंकि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि यह उन्हें मंजूर है इसलिये मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

श्री मोहनलाल गौतम--जो असल में फीस लगाने की बात थी वह यह थी कि उनका नियंत्रण गांव सभा के अधिकार में हो जाय। अभी तक उनका नियंत्रण इनके ऊपर नहीं है। ५ रुपये से ज्यादा न हों, यह संशोधन और दूसरा जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का है ये दोनों संशोधन मुझे स्वीकार हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 की उपधारा (1) (c) के Proviso की पंक्ति ४ में 'one rupee' के स्थान पर 'five rupees' रख दिया जाय और शब्द 'as may be approved by the prescribed authority' निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)---उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 की उपधारा (1) के भाग (c) के अन्त में निम्नलिखित एक्सप्लेनेशन बढा दिया जाय:---

"*Explanation*:—Trade, calling or profession do not mean and include a seasonal Mazdoor, weighman (पल्लेदार), sweeper, landless Agricultural labourer or domestic servant."

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें डोमेस्टिक शब्द रक्खा गया है, इसलिये मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं कि शब्द "सर्वेंट" से पहले इसको रख दिया जाय और इसमें जो शब्द पल्लेदार लिखा हुआ है वह अंग्रेजी में हो जायगा और हिन्दी में भी हो जायगा इसलिये हिन्दी वाले को काट दिया जाय और इस शब्द पल्लेदार को विदिन ब्रैकिट्स रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस खंड का संबंध है आज प्रातःकाल से इस पर बहस चल रही थी और इस सदन ने यह निश्चय किया कि जहां तक ग्राम सभाओं को टैक्स लगाने का अधिकार है वह ६ रुपये तक का है, वह रहे लेकिन प्रश्न यह होता है कि आखिरकार जैसा कि मैंने कल कहा था कि ट्रेड, कालिंग और प्रोफेशन चले आते हैं लेकिन वह भिन्न भिन्न होते हैं। ट्रेड में प्रोफेशन और कालिंग में अन्तर हो सकता है मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह जो टैक्स ६ रुपये लगाते हैं ठीक है लेकिन मैंने जो संशोधन में कुछ क्लासेज रखे हैं जिनमें ऐसे लोगों का संबंध है जो मजदूरों से संबंधित है।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इस ऐक्सप्लेनेशन में जहां कालिंग और प्रोफेशन की बात वहां पर सीजनल मजदूर और रख दिया जाय अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो वह है कि जिनको आज काम मिल गया कल नहीं मिला और छै दिन तक नहीं मिला या महीने भर लगातार काम मिल जाय तो वक्तन-फवक्तन उनको काम मिल जाता है, वह सीजनल मजदूर कहलाते हैं। मेरा अभिप्राय यह है कि अगर उन पर टैक्स को लगा दिया जाय या उन पर न रखा जाय तो हम उनका हित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद दूसरी कैटेगरी के जो आदमी हैं वह पल्लेदार हैं हालां कि छोटे छोटे गांव में पल्लेदार नहीं होते हैं लेकिन बड़े बड़े गांवों में तोलने वाले वगैरा हो सकते हैं। उनकी बहुत थोड़ी आमदनी होगी। यदि उनके ऊपर टैक्स की व्यवस्था की जाती है तो यह देने में असमर्थ होंगे। इसके बाद तीसरी कैटेगरी स्वीपर्स की आती है। गांवों के और शहरों के स्वीपर्स में बहुत अन्तर है। गांव के स्वीपर्स की आमदनी उतनी नहीं होती है जितनी कि म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया में रहने वाले स्वीपर्स की होती है कुछ टुकड़ों पर काम करते हैं और पंचायतें यह कर रही हैं कि खरंजे लगाये जायेंगे और अन्य प्रकार से सफाई की व्यवस्था की जायगी। ऐसी हालत में उसको पार्टटाइम ही इंगेज किया जायगा, इसके माने यह है कि महीने में २, ४ रुपये ही उसको मिलेंगे जिससे उसका भला नहीं हो सकता है। इसलिये उनको भी इसमें से निकाल दिया जाय। चौथा नम्बर लैंडलैस लेबरस का है। इनके पास जमीन नहीं है और दूसरे के यहां यह काम करते हैं और काम करने से अपना जो रोजगार है वह मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो इस बात का भी अगर विचार किया जाय तो मैं यह समझता हूं कि उचित होगा। अन्त में पांचवीं जो इसके अन्दर निकालने की बात है वह है डोमेस्टिक सर्वेंट की। उसके बारे में भी यही है कि जो आदमी दूसरे आदमियों के यहां थोड़े थोड़े समय के लिये या थोड़े रुपये के लिये काम करने के लिये जाते हैं और उनको

मजदूरी न होने के बराबर मिलती है तो इस तरीके से यदि उन पर टैक्स लगाया जायगा तो मैं समझता हूं कि वह देने में असमर्थ होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा था, मैं यह मानता हूं कि टैक्स लगाना बुरा नहीं है और टैक्स लगाना ही चाहिये और अगर नहीं लगाया जायगा तो हमारी पंचायतों का कार्य नहीं चल सकेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि जिस व्यक्ति पर या जिन लोगों पर आप टैक्स लगाने के लिये जा रहे हैं यदि उनकी पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है तो मैं यह समझता हूं कि जो पंचायत उस पैसे से गांव की भलाई करने जायगी तो उनसे भलाई नहीं होगी और कुछ लाभ नहीं होने वाला है। मैं समझता हूं कि जिन लोगों की मैंने व्याख्या की है तो उनकी आमदनी उतनी नहीं होती जितनी कि ट्रेड में, कालिंग में और प्रोफेशन में कही गयी है। माननीय मंत्री ने जो रखा ट्रेड, कालिंग और प्रोफेशन तो वह ठीक है, लेकिन जबतक आप इसकी व्याख्या नहीं करेंगे कि कौन कौन आदमी ट्रेड में आप मानते हैं, किस किसको कालिंग में और किसको प्रोफेशन में, और सबको एक तरह से मान लेना कि हर आदमी की चाहे वह कोई काम करता है, यह उसकी कालिंग है, तो मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त नहीं होगा। तो ऐसी दशा में अधिक न कहते हुये प्रार्थना करूंगा कि यह संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो टैक्स नहीं दे सकेंगे और इसको सोचने समझने के बाद मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन में दिया हुआ है उसकी भाषा भी और कुछ उसका अर्थ भी काफी कठिन है और उसमें दिक्कत पड़ सकती है और मैं समझता हूं कि इसको रूल्स के वक्त कंसीडर कर लिया जाय। जो हिस्सा कि पीछे है उस पर भी विचार उसी समय हो जाय तो मुनासिब होगा। क्योंकि हो सकता है कि एक आध कैटेगरी और भी हो जिसको इसमें रखना उचित हो। तो इसको रूल्स के लिए छोड़ दिया जाय और मैं इन शब्दों के साथ चाहता हूं कि माननीय धर्म सिंह जी इसको वापस ले लें?

श्री धर्मसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, मेरा तो अभिप्राय यही था कि किसी न किसी तरह से आ जाना चाहिये था। मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

श्री धर्म सिंह—उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (d) की प्रथम पंक्ति में शब्द 'Animals' के पश्चात् "other than domestic and milching animals" रख दिये जायं तथा पंक्ति २ व ३ में "other than mechanically propelled vehicles" निकाल दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम इस संशोधन को पढ़ते हैं तो इसमें किसी प्रकार के गांव में जो जानवर होते हैं उन पर भी टैक्स लगाया गया है और इसके साथ साथ जो वेहिकिल्स होती हैं, जैसे ट्रैक्टर्स होते हैं, कार होती है या साईकिल हो सकती है जो गांव में होती है उनको निकालने के बाद यह टैक्स लगाया जाता है तो उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इसके रखने का प्रश्न है मान लीजिये आपने ट्रैक्टर को इसमें से निकाल दिया तो ट्रैक्टर तो वही आदमी रख सकता है जिसकी आमदनी काफी हो, या जिसके पास में ज्यादा जमीन हो क्योंकि एक गरीब आदमी या इधर-उधर का आदमी तो ट्रैक्टर रख नहीं सकेगा। यदि उसको इसमें से निकाल देते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि उस आदमी पर आप टैक्स नहीं लगा सकते। इसके अलावा एनीमल्स की जहां तक बात है, उसमें मैंने यह अर्ज किया कि गांवों में जो दूध देने वाले जानवर होते हैं यदि हम उन पर भी टैक्स लगाते हैं तो यह उपयुक्त नहीं है क्योंकि एक तो हमारे यहां वैसे ही दूध की कमी है और यदि हम किसानों को या दूसरे आदमियों को जो गाय भैंस रखते हैं, उनको यह मौका नहीं देंगे कि वह गायें और भैंसें रख सकें या और जो दूध देने वाले जानवर हैं उनको रख सकें और उनका पालन-पोषण करें जिससे कि दूध की व्यवस्था हो सके तो वह ठीक

[श्री धर्मसिंह]

नहीं होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि विचार करने के बाद इसको यदि वह उपयुक्त समझें तो देख लें। वैसे यह ठीक ही तो मालूम होता है।

श्री मोहनलाल गौतम--इसमें मैं एक लफ्ज साफ कर देना चाहता हूं। जो यह धारा है उसमें एक लब्ज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह है प्लाइड फार हायर। डोमेस्टिक या मिल्चिंग एनीमल्स के लिये यह नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि--

"a tax payable by the owner thereof on animals and vehicles other than mechanically propelled vehicles kept within the area of the Gaon Sabha and plied for hire, at the rate."

प्लाइड फार हायर का मतलब उन जानवरों से है जो कि किराये के लिये चलते हैं। हो सकता है कि कोई मिल्चिंग एनीमल भी किराये के लिये चलता हो लेकिन अधिकतर तो डोमेस्टिक एनीमल्स या मिल्चिंग एनीमल किराये पर नहीं चलते हैं। इसलिये वह इसमें कवर नहीं होते।

दूसरा हिस्सा जो है वह यह है कि अदर दैन मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेहिकिल्स तो यह जो मोटर से चलने वाले वेहिकिल्स हैं वह मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट से गवर्न होते हैं और इसी वजह से कोई भी लोकल बाडी आज किसी कार पर या मोटर से चलने वाले किसी वेहिकिल्स पर कोई टैक्स नहीं लगाती। म्युनिसिपैलिटियां भी मोटर कारों पर टैक्स नहीं लगातीं। इसलिये अगर वह इस पर टैक्स लगाते हैं तो यह दिक्कत हो जायगी और सिवाय ट्रैक्टर के और जो गांवों में मोटर कारें हैं, उन पर टैक्स लगा हुआ है मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन के ऐक्ट के मातहत जो ट्रैक्टर्स हैं वह भी उसी से गवर्न हो जायेंगे। इसलिये यह अधिकार गांव सभा को इसी लिये नहीं दिया गया क्योंकि और किसी लोकल बाडीज को ऐसा अधिकार नहीं है। इसलिये मेरे ख्याल से यह दोनों अमेंडमेंट अगर वापस हो जायं तो अच्छा है।

*श्री जोरावर वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा वैसा ही मैं भी विचार रखता हूं कि डोमेस्टिक और मिल्चिंग एनीमल्स इससे कवर नहीं होते क्योंकि इसमें तो साफ लिखा हुआ है कि प्लाइड फार हायर। तो इसकी तो मैं समझता हूं कोई जरूरत नहीं है जहां तक यह है कि अदर दैन मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेहिकिल्स इसके बारे में मंत्री जी ने बताया कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट से यह गवर्न होता है। उसका मतलब यह है कि इस पर डबुल टैक्स नहीं हो सकता। लेकिन यह जो आगे चलकर है कि एनीमल्स पर जो कि किराये पर चलते हैं उनपर टैक्स लगेगा, तो माननीय मंत्री जी को मालूम होगा कि ये जो वेहिकिल्स आगे आने वाले हैं उनमें ऐसे भी होंगे, जिन पर गांव के लोगों को टैक्स लगाने का अधिकार दे रहे हैं, उन पर म्युनिसिपैलिटियां और नोटीफाइड एरियाओं ने भी टैक्स लगा रखे होंगे। तो अगर उनका अर्थ यह है कि किसी पर डबुल टैक्स नहीं लग सकता तो यहां इन पर डबुल टैक्स हो जाता है। या अगर यह उनका अर्थ नहीं है तो चाहे मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट से टैक्स लगता हो चाहे और जिससे लगता हो, अगर गांव वालों को अधिकार है टैक्स लगाने का तो इसमें से अदर दैन मेकेनिकली प्रोपेल्ड निकाल दिया जाय। उन्होंने कहा है कि किसी दूसरी लोकल बाडीज को अधिकार नहीं है कि टैक्स लगा सकें। मेरी समझ में यह कोई ठीक आर्गूमेंट नहीं है क्योंकि जब आप गांवों को उन पर टैक्स लगाने का अधिकार दे रहे हैं जिन पर नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया, म्यूनिसिपैलिटीज लगा रही हैं और उन पर गांव सभाएं भी लगाएंगी जैसे तांगा और इक्का है या ऐसे जानवर हैं जो सामान ढोते हैं। तो ऐसी दशा में आम तौर पर जो चलने वाली गाड़ियां हैं उन पर क्यों टैक्स न लगाया जाय? यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो यही समझूंगा कि जिनमें ज्यादा कैपिटल इनवेस्ट होता है शायद उनकी रक्षा करना चाहते हैं कि कहीं उन पर गांव वाले ज्यादा टैक्स न बांध दें। अगर ऐसा नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है तो जब डबल टैक्सेशन तांगा, इक्का जैसी छोटी छोटी सवारियों पर लग रहा है तो मोटर गाड़ियों पर क्यों न हो यह मेरी समझ में नहीं आता। यह शब्द निकल जाने चाहिए।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं संशोधन का समर्थन इसलिये करता हूं कि जैसा क्लाज अब रखा गया है :--

"a tax payable by the owner thereof on animals and vehicles other than mechanically propelled vehicles kept within the area of the Gaon Sabha and plied for hire,

इसका अर्थ ऐसा निकल सकता है कि ऐनिमल्स पर, हर एक पर कर लगता है। एनिमल्स ऐंड वेहिकिल्स जो प्लाइड फार हायर हैं, तो प्लाई शब्द का यूस ऐनिमल्स के लिये नहीं होता है। इसलिये ऐम्बीगुइटी दूर करने के लिए 'अदर दैन डोमेस्टिक ऐंड मिल्चिंग ऐनिमल्स' को रख दिया जाय तो ऐम्बीगुइटी दूर हो जायेगी।

जहां तक संशोधन के दूसरे हिस्से का सम्बन्ध है कि अदर दैन मेकैनिकली प्रोवेल्ड वेहिकिल्स निकाल दिया जाय, अगर मोटर टैक्सेशन ऐक्ट में कोई ऐसी बात है, उसमें कोई प्राहिबिटिंग सेक्शन हो कि कोई लोकल बाडी कर नहीं लगा सकती तब तो मेरा ख्याल है कि उपयुक्त है। वैसे हम यह समझते हैं कि जहां तक टैक्सेज का ताल्लुक है ऐसे टैक्सेज भी हैं जिनको लोकल बाडीज भी लगाती हैं और पंचायतें भी लगाती हैं। जैसे इससे ऊपर वाले क्लाज में परसन्स कैरींग आन एनी ट्रेड पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टैक्सेज हैं और गांव पंचायत को भी टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है। उसी प्रकार से मोटर पर भी टैक्स लगाने का अधिकार गांव पंचायतों को दिया जाय। जो आदमी मोटर रख सकता है और लग्जरी में इंडल्ज कर सकता है, जिसकी आमदनी ज्यादा है, उसको टैक्स से विमुक्त करना एक तरह से ज्यादती, होगी जब कि छोटे छोटे आदमी तो तांगा या इक्का रखते हैं, या रिक्शे वाले हैं वह मुश्किल से सारे दिन भर में डेढ़ या एक रुपया कमा पाते हैं उन पर तो टैक्स लगाया जा रहा है। तो ज्यादा उचित है कि जो ज्यादा आमदनी वाले लोग हैं, जो लग्जरी करते हैं, मोटर रखते हैं उन पर गांव पंचायत को टैक्स वसूल करने का हक दिया जाय तो कोई ग़लत बात नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपा शंकर)--मालूम होता है कि माननीय सदस्य की ग़लतफहमी अभी दूर नहीं हुई। जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि जो वेहिकिल्स हैं उन पर जहां सेंट्रल टैक्स है वहां लोकल अथारिटीज टैक्स नहीं लगा सकती हैं। अगर इसमें से "अदर दैन मेकैनिकली प्रोपेल्ड वेहिकिल्स" निकाल दिया जाय तो इस सम्बन्ध में जब हम लोगों को यहां इसका भ्रम है कि लगाने की पावर है या नहीं है, तो सम्भव है कि पंचायत के आदमी गांवों में टैक्स लगा दिया करें और वसूली भी करें तो आइन्दा चल कर पंचायत को वापस करना पड़ेगा। क्योंकि उनको ऐसा अख्तियार ही नहीं है। तो वह दिक्कत पैदा होगी। इसलिये ज्यादा अच्छा है कि यहां उनकी जानकारी के लिये यह शब्द रख दिये जायं ताकि वह उस पर न लगा सकें।

दूसरी बात यह कही गई कि खाली वेहिकिल्स वगैरह किराये पर चलती हैं इसके लिये उन्हें मालूम होगा कि गांव में खच्चड़, गाड़ी और बैल ऐसे भी हैं जिन पर सामान लादा जाता है और उसका किराया दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा और अगर ऐसे जानवर हैं जिन पर सामान लादा जाता है और किराया लिया जाता है तो गांव सभा उचित समझेगी तो लगा देगी और नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृपाशंकर]

समझेगी नहीं लगायेगी। तो ऐसी बात इसके अन्दर नहीं है कि एक आदमी बैलगाड़ी रखता है और किराये पर चलाता है उस पर टैक्स लगा दिया और एक आदमी दो खच्चर रखता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसमें दिक्कत हो जायगी। डबुल टैक्सिंग का जहां तक सवाल है कि एक आदमी इक्का, तांगा या गाड़ी रखता है और किसी नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया में जाता है उस पर वहां टैक्स लग जाता है, अगर कोई ऐसा प्राविजन हो सके कि नोटीफाइड एरिया, म्यूनिसिपैलिटी में अगर टैक्स लग जाता है तो गांव सभा उस पर टैक्स न लगाये, इस पर विचार किया जायगा और कोशिश की जायगी कि ऐसा न हो सके।

श्री अब्दुल मुईज खां--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय सदस्य वीरसेन ने जो बात कही वह मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने फरमाया कि पहले सेक्शन में यह है--

"a tax payable by the owner thereof on animals and vehicles other than machanically propelled vehicles"

इससे ऐसा मालूम होता है कि बेहिकिल्स को ही यह "प्लाइड फार" रेफर करता है। लेकिन वह देखेंगे कि उसके पहले जो भाग है "कैप्ट विदिन दी एरिया आफ दी गांव सभा" यह भी एनिमल्स और बेहिकिल्स दोनों को रिलेट करता है और उसके बाद यह "प्लाइड फार" आता है। तो यह "प्लाइड फार" उसके पहले के पोर्शन को रेफर करता है और दूसरे पोर्शन को भी रेफर करता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि "कैप्ट विदिन दी एरिया आफ दी गांव सभा" इस कंडीशन से एनिमल जो है वह मुक्त हो जाता है। गांव सभा के एरिया के अन्दर जो एनिमल्स भी हैं उनको यह रिलेट होता है जिस तरह से कि बेहिकिल्स के लिये होता है और उसके बाद जो कंडीशन आती है "प्लाइड फार" यह दोनों को रिलेट करती है। इसलिये इसमें कोई ग़लतफहमी नहीं हो सकती।

इसके बाद दूसरे में है "in the case of animals, not exceeding (Rupees 3) rupees three per animal per annum और "in the case of vehicles, not exceeding rupees six per vehicle per annum." तो बैलगाड़ी के सिलसिले में एक शुबहा पैदा हो सकता है क्योंकि वह आदमी दो बैल भी रखता है और गाड़ी भी रखता है। इसी तरह से उसके पास जानवर भी हो जाते हैं और बैलगाड़ी भी हो जाती है। बैलों के होने से तीन-तीन रुपये यानी ६ रुपये और बैलगाड़ी पर उसको अलग से ६ रुपये टैक्स देने होंगे यानी कुल मिला कर १२ रुपये हो जाते हैं। हालांकि इसमें यह इम्पलाइड हो सकता है कि बैल जो जुते हुए हैं, वे 'प्लाइड फार हायर" हैं। मगर एक शुबहे की बात हो जाती है। इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया जाय तो बेहतर है।

श्री धर्म सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहता। माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बाद मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री जोरावर वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा ३७ की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपधारा (१) के भाग (d) के उपभाग (i) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(i) (*a*) In the case of ponies and donkeys not exceeding one rupee per animal per annum:

Provided that in no case this tax will exceed five rupees per annum on any person.

(*b*) in the case of horses and camels between rupees two to five per animal per annum.

(*c*) in the case of elephants between rupees five to ten per animal per annum."

जैसा कि पहले बताया गया था कि यह जो (सी) सेक्शन है उसमें यह है कि आदमियों पर कितना टैक्स लगेगा। इसी प्रकार से जानवरों के विषय में भी उसमें अलग-अलग नहीं है कि किस जानवर पर कितना टैक्स लगेगा। किन्तु ऐसे लोग भी हैं जो ज्यादातर मिट्टी ढोते हैं वही लोग गदहे रखते हैं और उनकी संख्या १०, २० और ३० भी हो सकती है। माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन रखा है अगर उसको मान लिया जाय और गांव वाले यह तय कर लें कि ३ रुपये तक लिया जा सकता है। यदि एक जानवर पर एक रुपया लिया जाय तो अगर कोई आदमी ३० गदहे रखता है उसका ३० रुपया देना पड़ेगा और अगर कोई हाथी रखने वाला आदमी है तो उसको भी ३ रुपया देना पड़ेगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि गदहे रखने वाले की हैसियत और हाथी रखने वाले की हैसियत बराबर हो सकती है क्या? यदि आप गदहे रखने वाले पर इतना टैक्स लाद देंगे तो फिर वह गदहे भी नहीं रख सकेगा। तो इसमें इतनी उलझन है कि जिससे काफी मुश्किल हो जायगी। अगर किसी प्रधान जी ने यह कहा कि हमारे यहां ४ गदहा मिट्टी डाल दो और उसने नहीं डाली तो फिर आप समझिये कि उस पर टैक्स जरूर ही लग जायगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इस जानवरों की हैसियत को जो कि मेरे संशोधन में बतलायी गयी है इस प्रकार से रख दें तो अच्छा होगा। ऐसे भी लोग हैं कि जो घोड़ा रखते हैं और वह आन हायर के लिये रखते हैं उन पर भी टैक्सेशन की बात लागू होती है शायद कुछ लोगों को भ्रम हो सकता है कि यह उनका घोड़ा सवारी के लिये है और वह आन हायर के लिये नहीं जाता लेकिन बहुत से माननीय सदस्य जानते हैं कि यदि किसी के यहां शादी, विवाह और जलसा होता है तो घोड़े वाले आन हायर भी देने लगे हैं और २० रुपया रात तक लेते हैं। मैंने उसमें एक लिमिट कर दी है कि इतने रुपये तक उनसे लिया जाय।

इसी प्रकार से हाथी की बात है। पुराने जमाने में हाथी को कोई हायर नहीं करता था लेकिन चूंकि अब समय बदल गया है और परिस्थिति खराब हो गयी है और जमींदारी का विनाश हो गया है तो जो बड़े लोग उनको रखते थे अब वह भी विवाह शादी के लिये उसको किराये पर देने लगे हैं और एक एक शादी में ५० रुपया तक लेते हैं। इसलिये मैंने इसको कैटेगराइजेशन कर दिया है ताकि इस हिसाब से उनसे टैक्स वसूल किया जाय और गरीब लोगों की कुछ रक्षा हो सके। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि ज्यादातर किराये के लिये नहीं रखते है लेकिन फिर भी कुछ जातियां ऐसी हैं जैसे कि बेलदार हमारे यहां होते हैं वह अधिक गदहे रखते हैं लेकिन फिर भी उनकी हालत अच्छी नहीं है तो उनके लिये मिनिमम ३ रुपया रखा गया है वह १ रुपया रखा जाय। उनकी हालत बहुत खराब है और वह गरीब हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस कैटेगरी के संशोधन को यदि मान लें तो उनकी बड़ी कृपा होगी।

*श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)--श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने संशोधन रखने से पहले यह नहीं देखा कि यह सैक्शन किस तरह से शुरू होता है। वह बीच में कुछ जानवरों में फंस गये। इसमें लिखा है कि--

"Subject to the rules made or directions given or restrictions imposed by the State Government, the Gaon Sabha may levy"

इसलिये जो रूल्स बनेंगे उनमें इस बात की गुंजाइश रखी जा सकती है कि किस जानवर पर कितना टैक्स लगाया जाय। इस वक्त उन्होंने २,३ जानवरों के लिये ही बतलाया है लेकिन और भी कई किस्म के जानवर हो सकते हैं। इसलिये इस बात को यहां रखना अनुचित है आपने जो हाथी की बात कहीं तो जब से मोटर वगैरा आसायश के सामान हो गये हैं हाथी बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें अधिक से अधिक ३ रुपया रक्खा गया है। माननीय सदस्य को यह शंका हो सकती है कि हर जानवर पर ३ रुपया लगा दिया जायगा यह शंका उचित नहीं है। हर जानवर पर ३ रुपया लगा दिया जाय, यह जरूरी नहीं है। इसके लिये रूल्स बनेंगे कि किस एनीमल पर कितना टैक्स लगाया जाय। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को मानने में दिक्कत यह होगी कि यही कैटेगरी केवल जानवरों की हो जाती है जो किराये पर चलते हैं या और भी हैं, क्योंकि लिस्ट एग्जास्टिव सी हो जाती है। दूसरे इसमें कुछ मैक्सिमम भी काफी बढ़ गया है। हाथी का तो मुझे अन्दाजा नहीं कि कितने किराये पर वह चलते हैं लेकिन यह जरूर है कि घोड़ों और ऊंटों पर इसमें २ से ५ रुपये तक रखा गया है और बिल में ज्यादा से ज्यादा ३ रुपये है जिसके अन्दर कुछ भी हो सकता है, १ आना या २ आना भी हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में और जगह भिन्न-भिन्न आमदनी इन जानवरों से हो सकती है। इसलिये मुमकिन है कि भिन्न भिन्न अवस्थाओं में मुश्किलें पड़ें। इसलिये यह संशोधन ज्यादा मुनासिब नहीं मालूम होता और मैं इसे स्वीकार करने के लिये तैयार हूं।

श्री तेजप्रताप सिंह--मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसा माननीय जोरावर सिंह जी ने कहा कि किसी के पास १० गधे हैं तो उसके ऊपर पर एनीमल ३ रुपये से ३० रुपये तक टैक्स पड़ जायगा। और संशोधन में यह है कि ५ रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिये। गांवों में ज्यादा आमदनी करने वाले लोग नहीं हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह सीलिंग जो रखी गई है वह बहुत कुछ अच्छी है और उसे मान लेना चाहिये।

*श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता था लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह संशोधन जो प्रस्तुत किया गया है, बड़े महत्व का है और उसमें बड़ी न्याय की भावना है, क्योंकि हम देखते हैं कि गांवों में ऐसे तबके के लोग भी रहते हैं, जो बहुत गरीब हैं और टैक्स नहीं दे सकते। उदाहरण के तौर पर एक तबके को रख देना चाहता हूं उसके बाद माननीय मंत्री जी यह समझ सकेंगे कि वास्तव में यह संशोधन जो रक्खा गया है वह न्यायपूर्ण है। हम देखते हैं कि हमारे गांवों में कभी कभी ऐसा होता है कि वहां जाटव लोग मजदूरी का काम करते हैं। इसके लिये वे अपने पास गदहों को रखते हैं जिनसे वे ईंटों के ढोने का काम लेते हैं। एक-एक मजदूर के पास २०-२०, २५ २५-गदहे होते हैं। मंत्री जी ने जो ३ रुपये का हिसाब रक्खा है उससे उनके ऊपर ६० रुपया हो जायेगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि १ आना भी हो सकता लेकिन जहां तक गांव सभाओं का ताल्लुक है वे लोग कम की ओर ध्यान नहीं देंगे और ज्यादा से ज्यादा ही अपनायेंगे दूसरी मिसाल हालांकि मजाक सी मालूम होती है लेकिन उससे सत्य भी जाहिर होता है। कहीं-कहीं हम देखते हैं कि पूर्वी जिलों में लोग हाथियों को रखते हैं, जब लोग उन हाथियों को शादियों में ले जाते हैं तो उनसे किराया लिया जाता है। जो आदमी हाथी रखता है वह काफी मालदार अवश्य होता है। इस नियम से उनके ऊपर केवल ३ रुपया ही टैक्स लग पायेगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और उस गरीब जाटव पर ६० रुपया लग जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन अच्छी भावना से रक्खा गया है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर अवश्य विचार करेंगे तथा इसको स्वीकार कर लेंगे।

*श्री नौरंग लाल (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा कि बताया गया है यह संशोधन बहुत ही इम्पार्टेंट है। देहात में छोटे और बड़े जानवर होते हैं और मुकिल यह पड़ जाती है जैसा कि कहा गया है कि अगर किसी के पास छोटा जानवर गदहा है और १०–१५ की संख्या में है तो उन पर ३ रुपया के हिसाब से ३० रुपया हो जायगा। इसी प्रकार ४०–५०सूअरों पर और भी ज्यादा हो जायगा। इसलिये अगर पहली धारा में जो डंकीज, पौनीज लिखा हुआ है उसके आगे शीप और गोट्स भी बढ़ा दिया जाय तो ठीक होगा। और उनके लिये एक रुपये से ज्यादा न रक्खा जाय। इसके बाद जो (बी) और (सी) आते हैं उनके लिये ३ रुपया रख दिया जाय। कुछ इस तरह का डिस्टिंगशन कर दिया जाय तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। इससे उन लोगों को राहत मिल जायगी जो छोटे छोटे जानवर रखते हैं और उनसे अपनी रोजी कमाते हैं। दूसरी ओर घोड़ा गाड़ी या बैल गाड़ी चलाते हैं। बैल दो होते हैं और उनसे २००–३०० रुपया माहवार कमाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर जरूर गौर करेंगे जिससे यह डिफीकल्टी दूर हो जाय।

*श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन उपस्थित हुआ है उसमें जो सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है वह यह है कि जो आदमी जैसी हैसियत रखता है वैसा ही उसको टैक्स देना चाहिये। अब उस हैसियत के अनुसार टैक्स लगाने के लिये हमें अलग-अलग शरह से टैक्स लगाना ही होगा, अगर वह नहीं लगेगा तो टैक्सेशन के उस सिद्धांत को चोट पहुंचेगी जिसके ऊपर किसी भी वेलफेयर स्टेट में टैक्स लगाने की परम्परा कायम होनी चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि हाथी, घोड़े, गदहे, बकरी, सूअर इन सब पर भिन्न-भिन्न अलग–अलग शरह के टैक्स लगें और इस ढंग की वह शरह होनी चाहिए कि गदहे, घोड़े, बकरी, बैल, सब पर एक तरह का टैक्स न लगने पावें। साथ ही इस क्लाज को पढ़ने के बाद एक आशंका मन में और उत्पन्न हुई है और वह यह है कि इसमें लिखा हुआ है

"(d) a tax payable by the owner thereof on animals and vehicles other than machanically propelled vehicles kept within the area of the Gaon Sabha and plied for hire."

मैं यहां लफ्ज "केप्ट" पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं क्योंकि उससे उन गरीब बेचारों के लिये एक खतरा और है कि अगर वे एक गांव सभा के एरिया से दूसरे गांव सभा की एरिया में अपने गदहों को मिट्टी उठाने के काम के लिये दो महीना-डेढ़ महीना या ३० दिन तक रखना चाहें और उनको हायर पर ले जायं तो यह स्पष्ट नहीं है कि उस गांव सभा के क्षेत्र में उनके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तो टैक्स लेती है और वह लेगी ही, लेकिन शायद यह एनामाली पैदा हो जिसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं ताकि रूल्स बनाते समय यह बात साफ हो जाय। मैं समझता हूं कि निश्चय ही यह मानने के काबिल बात है और जिस बुनियाद पर यह संशोधन रखा गया है, मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई स्वीकार नहीं कर सकता कि गदहे को, घोड़े को और खच्चर को एक ही कतार में खड़ा कर दिया जाय और उनको एक ही तरह माना जाय और न मेरे ख्याल में इस संशोधन की मंशा ही यह है, अगर इस विधेयक के उपखंड (२) को देखा जाय तो उसमें यह बतलाया गया है कि जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवनाथ काटजू]

टैक्स उपधारा (१) में लगाया जायगा उसके संबंध में नियम बनाये जायेंगे। उपखंड (२) इस इस प्रकार है :—

"The taxes and fees under sub-section (1) shall be imposed and asessed in and such manner and realised in such manner and at such times as may be prescribed."

जहां तक जानवरों का संबंध है फी जानवर ३ रुपया सालाना लिया जायगा। जो संशोधन रखा गया है उसके अन्दर यह कहा गया है कि यह स्पष्ट कर दिया जाय कि गदहे, घोड़े, ऊंट और हाथी पर एक तरह का टैक्स न लगाया जाय। जहां तक हाथी का संबंध है अब हाथी रखने वाले ही बहुत लट गये हैं, कोई एका दुका हो सकता है, लेकिन वह कोई बड़ी समस्या नहीं है। जहां तक घोड़े और ऊंट का संबंध है इस संशोधन में कहा गया है कि उनके ऊपर ५ रुपये तक टैक्स लग सकता है। मूल विधेयक में टैक्स की सीमा ३ रुपये रखी गयी है। इसको देखते हुये अगर यह सिद्धांत मान लिया जाय तो विधेयक में संशोधन करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में यह मुनासिब भी मालूम पड़ता है। जहां तक ऊंट और घोड़े का संबंध है अगर उनके रखने वाले उनको किराये पर चलायें और उनसे नफा भी कमायें तो अगर २ से ५ रुपये तक टैक्स की सीमा रख दी जाय तो यह गैरमुनासिब नहीं होगा। अगर यह माना जाय तो उस में एक संशोधन जरूर करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं समझता कि उपखंड २ काफी था और नियम बनाते समय मंत्री जी इसको देख सकते थे। लेकिन संशोधन में घोड़े और ऊंट के लिये ५ रुपये की सीमा रखी है। यह नियम में नहीं आयेगा उसके लिये अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाये तो वह मैं समझता हूं कि नामुनासिब न होगा यह ३ रुपये के बजाय ५ रुपये हो सकता है मंत्री महोदय इधर ध्यान दें तो नामुनासिब न होगा।

श्री कृपा शंकर—उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है जैसा कि काटजू साहब ने बताया कि इस का प्राविजन रूल्स में कर दिया जाय और इस तरह से जानवरों की व्याख्या करना ठीक न होगा। मेरा सुझाव है कि (डी) में "एज प्रेस्क्राइब्ड" शुरू में रख दिया जाय तो ठीक होगा। इस तरह से रूल्स में रखने से आसानी होगी और जैसा कि बहुगुणा जी ने कहा डिटेल में वहां चलकर जानवरों के ब्लाक्स बना दिये जायं तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य यह संशोधन लिख कर दें।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से जो संशोधन आया हुआ है उसका भी विरोध करता हूं और मैं यह कहता हूं कि इस खंड को ही निकाल दिया जाय। जानवरों पर टैक्स लगने से बड़ी शिकायत है कि बैल बकरी पर टैक्स लग गया है।

श्री जोरावर वर्मा—प्वाइन्ट आफ आर्डर, जब वह कहते हैं कि खंड का विरोध करता हूं और खंड को हटा दिया जाय, इसलिये जब तक यह संशोधन पेश है तब तक वह नहीं बोल सकते।

श्री उपाध्यक्ष—विरोध तो कर ही सकते हैं।

श्री शिवनारायण—मैं कह रहा हूं कि जानवरों पर टैक्स न लगाया जाय, गाड़ी और वेहिकिल्स पर लगाया जा सकता है, लेकिन मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जानवरों पर कोई टैक्स न लगाया जाय। हमारे यहां हाथी किराये पर नहीं चलते, रईस लोग उनको रखते हैं और वह शादी ब्याह में मांगे जाते हैं और न ऊंट घोड़े ही कोई किराये पर चलाता है, कहीं एक आध कोई बनिये रखते हों तो दूसरी बात है। जानवरों को सरकार टैक्स से निजात दे क्योंकि वहां के रहने वाले लोग जानवरों के टैक्स से बहुत असंतुष्ट हैं। विरोधी दल के लोग बैठे हैं वे विरोध नहीं करते वह तो सरकार की पालिसी को मानते हैं। मैं सरकार से साफ तौर से कहना

चाहता हूं कि जानवरों को आप निजात दीजिये और इस टैक्स से छुट्टी दीजिये, न सुअर पर लगाइये न घोड़े पर, न बकरी पर, न बैल पर किसी पर न लगाइये, जो किराये पर गाड़ी चलती है जो वेहिकिल्स हैं उन पर आप लगा सकते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जानवरों की बातें सदन में घोड़ों, गदहों और खच्चरों, ऊंटों के बारे में हुई उनके संबंध में मैं एक बात तो यह कहना चाहता हूं कि संभवतः कुछ सदस्यों को इस बात की गलतफहमी है कि यह टैक्स कोई हैसियत टैक्स है और माननीय बहुगुणा जी ने कहा कि हाथी रखने वाले की हैसियत बड़ी होती है बनिस्बत गदहे रखने वाले के। प्रश्न तो यहां पर यह है कि जो जानवर रखता है किराये पर चलाने के लिये, और उनसे जो आमदनी उसको होती है उस आमदनी पर यह टैक्स है। हाथी रखकर किराये पर चलना कोई पेइंग प्रपोजीशन नहीं होता है। एक शादी या दो शादियों में साल भर में गया, तो एक शादी में या दो शादी में तो, तो कुछ पैसा प्राप्त हुआ और सालभर उसको रखने का, खिलाने का खर्चा हुआ तो कोई उसको किराये पर चलाने के लिये कैसे रखेगा। हाथी जो रखने वाले हैं उनकी हैसियत बड़ी होगी और दूसरे माने में उस पर टैक्स हो सकता है। मगर जो किराये पर चलने वाले जानवर हैं जैसे गदहे वगैरह उनसे आदमी आमदनी करता है उस आमदनी पर तो टैक्स होना चाहिये। अगर कोई शख्स १० गदहे रखता है तो जाहिर है कि उसकी आमदनी उस शख्स से जो एक गदहा रखता है और उससे माल ढोता है उससे १० गुनी आमदनी हो जायगी। अब एक गदहा रखने वाले पर भी तीन रुपया लगे और १० गदहे रखने वाले पर मैक्सिमम लिमिट करके पांच रुपया लगे तो यह बात सही नहीं मालूम होती। दूसरी बात बहुगुणा जी ने कही कि एक आदमी का एक जानवर किसी दूसरे गांव में यदि जाता है और वहां किराये पर चलता है तो संभवतः उस गांव में भी उस पर टैक्स लगे। लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी यह बात भी सही नहीं मालूम होती क्योंकि 'केप्ट' शब्द के अन्दर यह बात आ जाती है कि जिस गांव में वह जानवर रखा जाता है या जिस गांव में उसका ओनर रहता है वही टैक्स लगेगा। अब उसके लिये कोई रूट तो मुकर्रर हो नहीं सकता कि उस गांव से अमुक गांव तक जाय। यह भी नहीं हो सकता कि उसी एक गांव में वह चलेगा। तो यह साफ है है कि अगर किसी दूसरे गांव में जाता है तो किराये पर जायगा, लेकिन उस जानवर का ओनर जिस गांव में रहता है उसी में टैक्स लगेगा। मैं समझता हूं कि जानवर पर जो टैक्स रखा गया है वह उचित है और मैक्सिमम लिमिट फिक्स करना उचित नहीं है और गदहे और हाथी का भेद उस अर्थ में नहीं है इसलिये कि जैसा पहले कहा हाथी कोई किराये पर चलाने के लिये नहीं पालता। इसलिये जो धारा जैसी मूल विधेयक में है वह सही है और उसके बदलने की जरूरत नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—बिना हायर वाले पर भी देना पड़ेगा।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना—जी नहीं, जो हायर पर नहीं जाते हैं और कोई जानवर अपने घर के लिये रखा गया और किराये पर नहीं जाता है तो वह उस पर टैक्स नहीं देगा, मैं ऐसा समझता हूं।

*श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब इस संशोधन के रखने से यही था कि जानवर रखने वाला आदमी जिस हैसियत का हो उसी हिसाब से टैक्स लिया जाय। अभी अष्ठाना जी ने कहा कि उनको आश्चर्य है कि हाथी भी किराये पर चलते हैं। लेकिन मैं पचासों ऐसे आदमियों को जानता हूं जिनका हाथियों की आमदनी पर ही जीवन व्यतीत होता है और उन्हीं को हायर पर दे करके उसकी आमदनी से वे अपनी जीविका चलाते हैं। यह हो सकता है कि उनकी नोटिस में यह बात न हो लेकिन व्यावहारिक रूप में यह बात है। सम्भव है उन्होंने इस बात को उस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए कह दिया हो। अब बड़े बड़े लोगों से टैक्स लिया ही न जाय तो यह भी गलत बात है। मेरा मतलब यह है कि जितनी आमदनी जो करते हैं वेलफेयर स्टेट का कर्त्तव्य है कि उस आदमी पर उतना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जोरावर वर्मा]

ही टैक्स हो। शिवनारायण जी ने कहा कि वह तो इस सिद्धांत के ही विरुद्ध है कि जानवरों पर टैक्स लगे। चाहता तो मैं भी यही हूं लेकिन वह माना नहीं जाता। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी नहीं चाहता कि टैक्स किसी प्रकार न लगे। मैं चाहता हूं कि गांव के रहने वाले हैं उनसे टैक्स लिया जाय और जो अमीर से अमीर आदमी हैं उनपर ज्यादा से ज्यादा उसका हिस्सा हो क्योंकि जब तक वह नहीं होता है मैं समझता हूं कि गांव समाज या गांव उन्नति नहीं करता और न कोई यह समझेगा कि उसका उस गांव में कुछ है। बहुत से लोग गांवों में ऐसे भी हैं जो टैक्सेज़ जिस ढंग से रखे गये हैं उनमें उन दफाओं के अन्दर वे लोग जो एनीमल रखते हों न आते हों इसलिए यह रखा गया है कि जो जानवर रखते हों और आमदनी करते हों उन पर कम से कम टैक्स जरूर होना चाहिये।

अष्ठाना जी ने कहा कि जो बहुगुणा जी ने कहा कि दूसरे गांव वाले टैक्स नहीं ले सकते हैं तो मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा उन्होंने कैसे कह दिया। जिन लोगों के पास एनिमल आन हायर होते हैं वह तो चलते फिरते रहते ही हैं उनसे गांव वाले तो टैक्स लेंगे ही। लेकिन मान लीजिये कि कोई बन्धी बंध रही है वहीं यह लोग जाया करते हैं जिनके पास कि गधे या खच्चर हुआ करते हैं तो उनसे गांव सभा टैक्स ले लेगी ही। यह नहीं हो सकता है कि ऐसा न हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह टैक्सेशन आमदनी के अनुसार हो। मैंने हाथी वालों पर इस वास्ते ज्यादा रक्खा था क्योंकि माननीय मंत्री जी और सरकार यह चाहती है कि गांव सभाओं की आमदनी ज्यादा हो। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि जिनकी आमदनी ज्यादा है उनसे अधिक कर लेने में क्या परेशानी होगी। अगर गरीब लोगों को और ज्यादा गरीब बनाना हो टैक्स लगाकर जिनके पास कि घोड़े और गधे होंगे, अगर गवर्नमेंट की ऐसी नीति हो तब तो कोई बात नहीं है लेकिन मेरा मतलब यही था इस संशोधन से कि आपने जो एक जानवर पर तीन रुपया रख दिया है उससे दुरुपयोग होगा। गांव सभायें इसका दुरुपयोग करेंगी। सम्भव है कि माननीय मंत्री इसका यह जवाब दें कि आप गांव सभाओं पर विश्वास नहीं करते हैं तो माननीय मंत्री जी को खुद ही ऐसे बन्धन लगाने पड़ते हैं और खुद भी नहीं विश्वास करते हैं। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें उन लोगों के साथ अन्याय हो। मैं इसलिए चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी को इसे यहां स्वीकार करने में कोई आपत्ति हो तो रूल्स में ही प्रेस्क्राइब्ड करने की कृपा करें तो अधिक अच्छा होगा लेकिन वैसे तो मैं माननीय मंत्री जी से यही प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यहां पर एज प्रेस्क्राइब्ड इन दि रूल्स का सुझाव आया है वह तो मेरे खयाल में कवर ही हो जाता है क्योंकि इसमें जो पहला क्लाज है वह यही है :

"Subject to the rules made or directions given or restrictions imposed by the State Government, the Gaon Sabha may levy."

तो यह तो कवर हो ही जाता है। इसलिये रूल्स तो बनाये जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि रूल्स में डिफरेंस रक्खा जाय। एक तो मैं यह निवेदन कर दूं कि मेरा आइडिया यही है कि एक जानवर पर कम से कम एक ही गांव सभा में टैक्स लगाया जाय, जगह-जगह न लगाया जाय, लेकिन अगर वह कहीं बन्धी बनाने जाते हैं तो कौन लगाये, यह सवाल है लेकिन यह सवाल नहीं है कि दो जगह टैक्स लगाया जाय; यह मेरी राय है।

अब काटजू साहब ने जो सवाल किया वह यही है कि इस संशोधन में दस रुपया रक्खा गया है जबकि मेरे बिल में सिर्फ तीन रुपया तक है। तो अगर रूल्स बनाये भी गये फिर भी अगर हम दस रुपया रखना चाहेंगे तो नहीं रख सकेंगे। इसलिए अगर इस संशोधन को स्वीकार

करना हो कि दस रुपये कर दिये जायं तो उस हद तक मैं तैयार हूं। बाकी संशोधन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो इस वक्त आ सके। मेरी राय यह है कि इस हाउस को बजाय तीन रुपए के दस रुपए करने में आपत्ति होगी। इसलिए यह सवाल इस वक्त नहीं है। बाकी जो जरूरी हिस्सा है वह रूल्स में आ जायगा।

जोरावर वर्मा जी कहते हैं कि आमदनी पर टैक्स लगाया जाय। तो यह टैक्स आमदनी पर नहीं हुआ। अगर मान लीजिये कि एक बन्धी बंध रही है तो वहां पर एक घोड़े वाला उतनी आमदनी नहीं कर सकता जितनी कि एक गधे वाला कर सकता है। घोड़े और गधे में बड़ा अन्तर होता है। मेरे ख्याल में डंकी को घोड़े से इन्फीरियर कहना काफी विवाद की बात हो जायगी। इसलिए इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मानने के योग्य नहीं हैं। इसमें जो आवश्यक अंश होगा वह रूल्स में देख लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 की उपधारा (I) के भाग (d) के उपभाग (i) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(i) (*a*) In the case of ponies and donkeys not exceeding one rupee per animal per annum:

Provided that in no case this tax will exceed five rupees per annum on any person.

(b) in the case of horses and camels between rupees two to five per animal per annum.

(c) in the case of elephants between rupees five to ten per animal per annum."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गजेन्द्रसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं :

खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 (I) के भाग (d) के उपभाग (i) की पंक्ति २ में शब्द "three" के स्थान पर शब्द "one" रख दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा इस प्रकार है: "In the case of animals not exceeding 3 rupees per animal per annum." माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा बिदुर ने युधिष्ठिर को राजनीति समझाते हुये एक जगह पर यह कहा है कि राजा को जनता पर टैक्स उसी तरह से लगाना चाहिये जिस तरह से एक किसान अपने चने के खेत में चने की पत्तियां इस तरह से तोड़ता है कि तीसरे या चौथे दिन फिर वह उग आयें। इसी तरह से उसका जीवन चलता रहे और पत्तियां भी आगे बढ़ती रहें। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे टैक्स जो लगा रहे हैं उनकी भावना वही होनी चाहिये जो विदुर जी ने कही है। टैक्स भी लगायें लेकिन इस किस्म से टैक्स लगाना चाहिये जैसे सूरज तपन करता है, गर्मी पैदा करता है उतनी ही ज्यादा वर्षा भी करता है। तो जितना शोषण करता है उतना देता भी है। तो हमको यह देखना है कि हम जो टैक्स लगाते हैं, जितना पैसा इकट्ठा करते हैं वह ठीक से यूटीलाइज होता है। और अब मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि टैक्स की मिकदार को ज्यादा न बढ़ायें। टैक्स से कुछ काम चलायें और इसके साथ-साथ मानव-शक्ति को इस्तेमाल करें। क्योंकि इस प्रश्न को लाकर काफी डिस्कशन किया जा चुका है, इसलिए मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं जो आप जानवर पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, जो किसान एक, दो बैल रखता है, गाड़ी चलाता है तो अगर आपका संशोधन मान लिया जाता है तो ६ रुपया टैक्स हो जायगा। यह ज्यादा हैवी हो जायगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि तीन के बजाय एक रुपया रखें और टैक्सों को ज्यादा नहीं बढ़ने

[श्री गजेन्द्र सिंह]

देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय हमारे इस संशोधन को तो मानेंगे नहीं लेकिन फिर भी मैं सदन के सामने रखता हूं और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यदि मंजूर करना चाहें तो कर लें।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो गजेन्द्र सिंह जी ने संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं आपके जरिये मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि इधर जो सहायता पंचायतों को सरकार दे रही है वह तो बतलायी नहीं और टैक्स लगा कर बोझ लादना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सब तो गांव सभाओं पर छोड़ देना चाहिये। गांव सभा समझे कि वह जानवरों पर टैक्स लगायेगी या नहीं लगायेगी। आप यहां बैठकर एनीमल्स पर भी लगाते हैं। चींटी पर, हाथी पर, घोड़े पर, गधे पर लगायें, यह सब बातें भवन में न हों। जब कोई मदद नहीं करने जा रहे हैं तो टैक्स के लिए यहां बैठ कर निर्णय कर दें कि यह लगे और वह लगे, आप इतना टैक्स लगाइये। तो मैं तो यह समझता हूं कि मंत्री जी के लिए अभी उचित नहीं है। अगर गेंदासिंह जी का कोई प्रस्ताव पास हो जाय कि आप एक-चौथाई गांवों को देंगे उस वक्त अगर आप पेश करें तब तो हम समझ सकते हैं लेकिन देना लेना कुछ नहीं है और मान न मान मैं तेरा महमान। तो मैं कहता हूं कि सरकार को ऐसी छोटी-छोटी बातों में नहीं पड़ना चाहये कि गांव वाले यह समझें कि हमारे लिए एक इंच भी जगह नहीं रखी, इधर भी कीला ठुका हुआ है और उधर भी कीला ठुका हुआ है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसको निकाल दें और एक रुपया भी नहीं रखेंगे और मैं समझता हूं कि उनको बिल्कुल फ्री कर दिया जाय।

श्री रामसुभग वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हर एक जानवर पर ३ रुपये टैक्स लगाने की बात माननीय मंत्री जी ने रखी है उस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि जब आपने अपने यहां से कोई ऐसा अधिकार नहीं रखा था तब गांव में जो लोग गाड़ीबैल रखते हैं उनके ऊपर गांव सभाओं ने तीन रुपए टैक्स लगा रखा है। जब हर एक जानवर पर आप तीन रुपए टैक्स लगायेंगे तो एक गाड़ी में दो बैल लगते हैं और हमने तो देखा है कि कहीं-कहीं गाड़ियों में तीन बैल भी लगते हैं, तो तीन बैलों पर नौ रुपये और दो बैलों पर ६ रुपए और एक गाड़ी का टैक्स हो जायगा। तो यह चीज कहां तक उचित है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने खेत और खलिहान से अनाज लाने ले जाने के लिए गाड़ी रखते हैं। तो ऐसी गाड़ियों के ऊपर ९ रुपए टैक्स लगाना कुछ बहुत ठीक नहीं है। वह तो गांव सभाओं के ऊपर ही छोड़ देना चाहिये कि वे खुद देख कर कि अगर कोई रोजगार करने वाला है, या अपनी गाड़ी को किराये पर चलाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाये। माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने जो एक रुपए के लिये प्रस्ताव रखा है वह अगर स्वीकार हो जाता है तो दो बैलों के लिये साल में दो रुपए हो जाते हैं। यह कुछ हद तक ठीक कहा जा सकता है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जानवरों पर तो बिल्कुल टैक्स लगाना ही नहीं चाहिये लेकिन अगर वे लगाना ही चाहते हैं तो माननीय गजेन्द्र सिंह जी के संशोधन को स्वीकार कर लें।

*श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन उपस्थित किया गया है मैं इसका विरोध कर रहा हूं। इसमें मुख्य बात अभी हमारे राजा साहब ने जो उठायी उन्होंने तो अपने भाषण से इस विधान सभा की आवश्यकता को ही समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि विधान सभा टैक्स लगाने वाली कौन है। वह जानते हैं कि सरकार ने इस धारा में अधिकतम निर्धारित कर दिया है और उससे कम लगाने का गांव सभाओं को अधिकार है और एक नियम के रूप में इसे स्वीकार हमें करना ही चाहिये। यह सही है कि गाड़ियों के मुकाबिले में दूसरे जो जानवर भाड़े के हैं उन पर अगर कम हो तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ अच्छा है, लेकिन अगर हम गांव सभाओं की रचना और दूसरी चीजें करते हैं और जैसा कि आपने स्वीकार किया यह धन येन केन प्रकारेण तो गांवों से ही पहुंचता है और आज अगर वह स्वयं उसको देकर एक चीज तैयार करते हैं तो सिद्धांत के रूप में हमें इसे जरूर स्वीकार करना चाहिये। मैं जरूर आशा करूंगा कि जो दूसरे जानवर हैं, जो गाड़ी के समकक्ष नहीं हैं, गाड़ी में यह जरूर है कि भाड़ा अच्छा मिलता है और तीन रुपया आज है लेकिन और जो दूसरे जानवर हैं, जैसे गधा है या खच्चर है उनके बारे में हम भी जरूर चाहेंगे कि कुछ उदारता बरती जाय और उनके जो रेट्स हों वे कम किये जायं। इन शब्दों से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजा साहब को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने इस खूबसूरती से मेरे अमेंडमेंट का समर्थ . किया कि सुनने वाले समझते रहे कि वह विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव सभाओं को अधिकार दे दिया जाय। वह चाहे लगायें चाहे न लगायें। यही मैं भी चाहता हूं कि उनको अधिकार दे दिया जाय। लेकिन सुनने वाले समझते रहे कि वह विरोध में हैं। अपोजीशन में बैठने वाले हमेशा अपोजीशन की बात कहते हैं, इस खूबसूरती से उन्होंने यह बात कही, इसके लिये मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। अभी मुझे एक अमेंडमेंट से बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला है जो १० रुपए रख रहे थे। अब उनकी बात न मानने के बाद अगर मैं एक रुपया मान लूं तो मेरी बड़ी मुश्किल हो जायगी। मेरे साथी श्री जोरावर जी के साथ मैं न्याय नहीं करूंगा कि यदि मैं इसको मान लेता हूं। इसलिए अब इसको मान लेना मेरे लिये और भी मुश्किल हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 (1) के भाग (d) के उपभाग (i) की पंक्ति २ में शब्द "three" के स्थान पर शब्द "one" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***श्री तेज प्रताप सिंह**--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 की उपधारा (1) के भाग (d) के उपभाग (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(ii) in the case of vehicles between rupee one to rupees three per vehicle per annum;

Provided that those who generally ply their vehicles on hire will come under this section."

यह जो वेहिकिल्स पर फीस रखी है वह इस विधेयक में ६ रुपए है। एक तो यह ज्यादा है गांवों में किसान रहते हैं और उनका गांव टैक्सेशन से ही बनेगा। अब जो गाड़ी भाड़े पर चलाते हैं उनकी संख्या बहुत कम है और अगर ६ रुपए टैक्स रख दिया जायगा तो बहुत ज्यादा हो जायगा और गांव फंड भी बढ़ने वाला नहीं है और प्रोवीजन भी लगा दिया गया है कि हमेशा भाड़े पर चलाते हैं उन पर लगाया जाय। अब साल में कोई किसान मुश्किल से अपनी गाड़ी भाड़े पर ले जाता है, अगर उस पर भी ६ रुपए लग जायं तो यह अनुचित और ज्यादा होगा। मेरा ख्याल यह है कि इस पर मंत्री जी ध्यान देकर स्वीकार कर लेंगे। किसान भाड़े पर गाड़ी बहुत कम चलाते हैं। जो भाड़े पर ही गाड़ी चलाते हैं उनके ऊपर ही यह फीस लगायी जाय, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन है इसमें एक लोअर लिमिट रख दी गयी है एक रुपये की। आम तौर पर जो ला बनता है उसमें ऐसा होता है कि इससे ज्यादा न हो। लोअर लिमिट तो गांव सभा तय करेगी। लेकिन इस संशोधन से यह होगा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

कि एक रुपया जरूर लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई गाड़ी साल में केवल १०-१५ दिन ही चलती हो या किसी मेले वगैरह में ही चलती हो तो उस पर गांव सभा कम लगा सकती है। लेकिन इस संशोधन के बाद वह एक रुपये से कम नहीं लगा सकती है। एक तो इसमें दिक्कत यह है और दूसरी बात यह है कि छै रुपए ज्यादा है वह एक रुपया लगायें आठ आने लगायें और चाहे तीन रुपये लगायें। एक बात और है गांव वालों को देखना होगा कि वह कितना उपयोग करते हैं उन सड़कों का जो गांवसभा बनाती है। तो किराए वाली गाड़ियां ही ज्यादा उनको खराब करेंगे। इसलिए यह फैसला कि वह कितना लगायें यह काम हम गांव सभा पर ही छोड़ दें, मेरी यह प्रार्थना है और यह असंगत इसलिए हो जायगा कि जानवर पर तो ३ रुपया जब होगा तो पहाड़ में भेड़ भी है। अगर ३ रुपया रखा जाता है तो भेड़ों पर भी तीन रुपया लगेगा और गाड़ियों पर भी तीन रुपया, इसलिए यह ठीक नहीं बैठता। ३ रुपया जानवर पर और ६ रुपया गाड़ी पर ठीक बैठता है, क्योंकि दो बैल गाड़ी में होते हैं तो इसको अलग करने से काम ठीक नहीं चलेगा और वह मुनासिब नहीं होगा कि भेड़ पर तीन रुपया, बकरी पर तीन रुपया और गाड़ी पर भी तीन रुपया, ऐसा मतलब हो जायगा। यह जरा असंगत सा होगा।

*श्री जोरावर वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि अगर हम इसको मान लें तो एक बकरी पर उतना लगेगा और बैलगाड़ी पर भी उतना लगेगा, लेकिन अगर उन्होंने ध्यान दिया होता कि हमने छोटे जानवरों पर कम लगाने की कोशिश की है।

श्री मोहन लाल गौतम--कहां है इसमें ?

श्री जोरावर वर्मा--अभी जो पहला संशोधन खत्म हो चुका है उसमें।

श्री मोहन लाल गौतम--आन प्वाइंट आफ आर्डर, इस वक्त जो पेश है, इसी अमेंडमेंट पर बहस है। क्या किया था और क्या नहीं हो पाया, उसको आप मेरे आर्गुमेंट में इस्तेमाल करें, यह मुनासिब नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, यह इसलिए हमने रखा है कि एक तो गांव में बहुत ही कम ऐसा होता है, शायद ही किसी गांव में कोई आदमी ऐसा हो जो गाड़ी से ही जीवन-यापन करता हो। नहीं तो ज्यादातर किसान होते हैं। अगर उनको खेती से टाइम मिल जाय तो शायद किराये से काम चला लेते हैं। लेकिन अगर यह धारा जैसी है, पास हो गयी तो किसानों पर दूना ही नहीं न जाने कितने गुना टैक्स लग जायेंगे, क्योंकि जो लोग गाड़ी रखते हैं उनके पास खेती होती है और दूसरे काम करते हैं। तो इस किसान को माननीय मंत्री जी ने पता नहीं कितने ढंग से टैक्स करने की कोशिश की है। तो इसीलिए इसमें यह प्राविजन लगा हुआ है कि उन्हीं गाड़ी वालों पर टैक्स लगाया जाय।

"Provided that those who generally ply their vehicles on hire will come under this section."

तो यह उन्हीं लोगों से टैक्स लिया जायगा जो साल में ६ महीने से अधिक गाड़ी को किराये पर चलाते हैं। यह नहीं कि जो हमेशा खेती करते हैं, गल्ला वगैरह ले जाते हैं तो उन पर भी टैक्स लगाया जाय। तो ऐसा टैक्स उन पर नहीं लगना चाहिये लेकिन इस धारा के अनुसार हर प्रकार की गाड़ी पर साल में ६ रुपए टैक्स लगाया जायगा। अगर किसी प्रधान या उप प्रधान को गाड़ी पर कोई एक बार ले जाय तो वह जरूर मैक्सिमम टैक्स लगा देंगे। जब मिनिमम की लिमिट नहीं बांधी और मेक्सिमम की बांधी है तो जब यह आश्वासन लोगों को मिलेगा कि कानून में ऐसा प्राविजन हो गया है तो गांव वाले तो टैक्स वसूली के लिये अधिक से अधिक ही लगायेंगे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कम नहीं लगायेंगे। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि यह संशोधन गांव के हित और कृषकों के हित में अधिक जाता है। इसलिये इसको अवश्य स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री तेज प्रताप सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक रुपया तो कम से कम रखा है। तो अगर एक रुपया हटा लिया जाय, तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे? और क्या जो प्रोवाइजो लगा हुआ है इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे, कि जनरली जो प्लाई करते हैं वेहिकिल्स को उन पर यह लागू हो और अगर एक दफा कहीं कोई किसान ले जाता है तो उस पर लागू हो जाय तो यह ठीक नहीं होगा। क्या इस पर विचार करेंगे?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां, रूल्स के वक्त ले लेंगे। इसमें "प्लाई फार हायर" यह एक ऐसी चीज है जिस पर विचार कर लिया जाय कि कितने दिनों तक प्लाई करे तब उस पर लागू हो। तो अगर जरूरत होगी तो रूल्स में विचार कर लिया जायगा और कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिस पर मैं कोई ऐसी बात कहूं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय तेज प्रताप सिंह, क्या आप संशोधन वापस लेना चाहते हैं?

श्री तेज प्रताप सिंह---जी हां, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है इसलिये मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:---

खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 (1) के भाग (d) के उपभाग (ii) को इस प्रकार रख दिया जाय:---

"(ii) in case of vehicles plied for business purposes not exceeding rupees three per vehicle per annum."

श्री मोहन लाल गौतम---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। यह जो अभी बात सदन ने कही है वह क्या इससे कवर नहीं हो जाती?

श्री उपाध्यक्ष---कोई संशोधन स्वीकृत तो नहीं हुआ है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---वह तो उन्होंने वापस ले लिया था और फिर उसमें और इसमें फ़र्क़ है।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा---प्वाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, खंड (d) जो है उसमें इस तरह से दिया हुआ है:---

"a tax payable by the owner thereof on animals and vehicles other than mechanically propelled vehicles kept within the area of the Gaon Sabha and plied for hire, at the rate."

तो यह शब्द जो इसमें प्लाइड फार हायर लिखा हुआ है यह (ii) को भी गवर्न करता है और जो संशोधन इस वक्त पेश किया गया है वह है इन केस आफ वेहिकिल्स प्लाइड फार बिजनेस परपजेज। तो यह दोनों चीजें बिलकुल असंगत हो जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं इसके ऊपर वाद विवाद होने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बहस तो काफी हो चुकी है। दो-दो सज्जन बोल चुके हैं। चूंकि मंत्री जी ने पिछले जो संशोधन आये थे उनमें उन्होंने एक आब्जेक्शन उठाया था कि मिनिमम उसमें एक रुपया रख दिया गया है इसलिये अगर गांव सभा चाहे कि उससे कम भी रखे तो वह नहीं रख सकती। तो इस संशोधन में मिनिमम नहीं

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

है। जैसा मन्त्री जी चाहते हैं उसी क़िस्म का यह संशोधन है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--मुझे अफसोस है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 (1) के भाग (d) के उपभाग (ii) को इस प्रकार रख दिया जाय:--

"(ii) in case of vehiles plied for business purposes, not exceeding rupees three per vehicle per annum."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री धर्मसिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 की उपधारा (1) के उपखंड (e) में "Goan Sabha concerned" के बाद "not exceeding four annas" रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो वह इस प्रकार है :-

"(e) fees on persons, not being persons assessed to fee under clause (c) exposing goods for sale in markets, *hats* or *meals* belonging to or under the control of the Gaon Sabha concerned."

और अगर हम इसमें यह जोड़ देते हैं तो वह ऐसा हो जाता है कि नाट एक्सीडिंग फोर आनाज। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी तरफ जब हम ध्यान देते हैं तो और संशोधन जो हैं उनके संबंध में तो मन्त्री जी रूल्स बनायेंगे लेकिन इसमें तो किसी प्रकार का प्राविजन नही है। अब प्रश्न यह होता है कि जिस गांव सभा के अन्दर कोई मेला लगेगा या और किसी तरह की बाजार लगेगी और हफ्ते में वहां पर एक दिन या दो दिन इस प्रकार की बाजार लगी तो ऐसी हालत में वहां पर कितना टैक्स लगेगा इसका इसमें कोई प्राविजन नहीं है। वहां पर बहुत से आदमी आते हैं और जब उनकी आमदनी की तरफ देखते हैं तो पचास व्यक्ति भी आ सकते हैं सौ व्यक्ति भी आ सकते हैं, तो अगर प्रत्येक आदमी पर जो वहां आ कर सामान बेचता है चार आने लगा दिये जायं तो यह उपयुक्त होगा। इसलिये मैं इसको पेश करता हूं और माननीय मंत्री जी इस पर विचार करके इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका अर्थ तो कुछ इस तरह से मालूम होता है कि चार आने से ज्यादा साल भर में नहीं लगाया जा सकता या चार आने से ज्यादा लग नहीं सकता। क्यों कि (ई) में है "fees on persons, not being persons assessed to fee under clause (c), exposing goods for sale in markets, *hats* or *meals* belonging to or under the control of the Gaon Sabha concerned."

तो एक दफा चार आने देगा या साल भर में देगा यह साफ नहीं है। शायद उनका मतलब यह है कि एक दिन का चार आना से ज्यादा, जैसे तहबाजरी होती है, न लिया जाय। हर बाजार, हाट और मेले में चाहे वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हो या गांव पंचायत का, हम नहीं चाहते कि कोई गांव सभा ऐसी न रहे जो मेले को कंट्रोल करे और उसमें रेट न बंधता हो और कोई गांव सभा यह नहीं चाहती कि इतना ज्यादा टैक्स वह लगा दे कि वहां से दूकानदार भाग जायं। काफी सोच समझ कर वह लगाते हैं। इसलिये चार आने की रखने की यहां जरूरत नहीं है।

राजा वीरेन्द्रशाह--श्रीमन्, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से सहमत हूं। इस तरह से चार आना फिक्स कर देना बहुत ज्यादा होगा। जो खोंचा लेकर आते हैं, गांवों का यह रवइया है, उन पर दो पैसा, तीन पैसा, एक पैसा मेलों या बाजारों में लगता है। अगर आप चार आने कर देंगे तो ज्यादती होगी। मैं नहीं समझता कि क्या समझ कर माननीय सदस्य ने यह संशोधन रखा है। कौन सी गांव सभा है जरा वह बतायें जो चार आने लगाती हैं। मैं समझता हूं कि वह वापस ले लेंगे। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री धर्मसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस संशोधन को पेश किया था तो मैं समझता हूं कि कुछ गलतफहमी हो गयी। मेरा बिलकुल यह अभिप्राय नहीं था कि साल में या दो साल में एक व्यक्ति जो अपना सामान ले कर आयेगा वह चार आने दे। मैंने पहले ही कहा था कि हफ्ते में एक दो दिन पैंठ लगती हैं। जब वह सामान लायेगा तो चार आने से ज्यादा उसको न देना पड़े। वहां पर सौ आदमी आ सकते हैं और अगर चार आने के हिसाब से लगायेंगे तो ग्राम सभा की आमदनी हो सकती है। मेरा मतलब था कि जब भी पैंठ लगे, हफ्ते में एक दफा, दो दफा तो प्रत्येक बेचने वाले पर चार आने से ज्यादा टैक्स न लगे।

श्री मोहनलाल गौतम---कानून में लफ्ज आते हैं। उसमें मेरी स्पीच नहीं जाती और न धर्मसिंह जी की स्पीच जाती है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 की उपधारा (1) के उपखंड (e) में "Gaon Sabha concerned" के बाद "not exceeding four annas" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल---उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 (1) का भाग (h) निकाल दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक धारा इसमें रक्खी गई है कि अगर्चे गांव सभा कहीं पानी का इन्तजाम करे या पानी किसी को पीने को दे तो उसके ऊपर टैक्स लगाये। मैं नहीं समझता जब कि इतने टैक्सेज लगाये गये हैं तो कोई गांव सभा पानी का इंतजाम करे तो उस पर भी टैक्स लगा दिया जाय। अगर इस तरह से पानी पर टैक्स, भोजन पर टैक्स, हर चीज पर टैक्स लगा दिया जाय तो टैक्स ही टैक्स रह जायगा, कोई काम धाम नहीं रहेगा। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि पानी पर कम से कम टैक्स न लगायें।

श्री मोहन लाल गौतम---टैक्स नहीं है। पढ़ लीजिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल---वाटर रेट लगा रहे हैं। मेरा संशोधन साफ है। उसे माननीय मंत्री मानने की कृपा करेंगे। अगर कोई बात और है तो उसे समझाने की कोशिश करेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वाटर रेट है। इसमें साफ दिया हुआ है "ह्वेयर वाटर इज सप्लाइड बाई गांव सभा।" यह चीज नहीं है कि अभी कोई वाटर रेट लग गया है। सवाल यह है कि क्या आप वहां पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं। अगर नहीं तो फिर इसे निकाल दीजिये और कह दीजिये कि हम शुद्ध पानी नहीं पीना चाहते। अगर पीना चाहते हैं तो क्या कोई पर्मानेन्ट एजेन्सी बाहर से आ जाय जो एक लाख गांव हैं उनके लिये अपने खर्च से पानी की व्यवस्था करे, यह भी नहीं हो सकता। अगर हो जाय तो इस रेट को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर न हो तो सवाल यह पैदा होता है कि व्यवस्था कैसे हो। मान लीजिये जो ट्यूबवेल्स हैं उनसे प्रार्थना करने पर वहां एक-एक टैंक बना दिया जाय जिनको वह भर दिया करें। लेकिन उसमें बाद में कुछ खर्चा पड़ेगा और इरीगेशन डिपार्टमेंट कहे कि वह रेकरिंग एक्सपेंडिचर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, वह टैंक बनवा देगा और टैंक में पानी भर देगा। फिर उस टैंक से पानी ले जाने के लिये पाइप लाइन की आवश्यकता होगी। उसके लिये सामान खरीदना होगा या मरम्मत की जरूरत पड़ गई तो वह सब कहां से आयेगा। अब सवाल यह है कि आया वह गांव सभा के फंड से आये या वे लोग टैक्स दें जहां पानी पहुंचता है। म्युनिसिपैलिटीज में वाटर रेट वे नहीं देते जहां कि पानी नहीं पहुंचता। कुछ दायरा होता है, उस रेडियस के अन्दर ही लोग वाटर रेट देते हैं। लेकिन जिन मुहल्लों में पानी नहीं पहुंचता है वे वाटर रेट नहीं देते। लिहाजा गांवों में भी जो लोग पानी का फायदा नहीं उठाते तो क्या उस गांव पंचायत के सारे फंड से रुपया देना मुनासिब

[श्री मोहन लाल गौतम]

होगा और वे लोग भी इस तरह से टैक्स दें जिनको कोई फायदा नहीं पहुंचता। यह मुनासिब न होगा। हमने गांव सभाओं पर छोड़ दिया है। कोई गांव है उसमें हैमलेट्स हैं। पानी का इंतजाम हर जगह नहीं है। दस, बारह हेमलेट्स जो हैं उनसे आमदनी होती है और सारे गांव का फंड इकट्ठा है। ऐसी हालत में दो नतीजे हो सकते हैं, या तो पानी की व्यवस्था न हो और अगर पानी की व्यवस्था हो तो फिर जो खर्चा हो वह गांव फंड से दिया जाय। अगर गांव के १२ हिस्से हैं और आप ने किसी एक हिस्से के लिये पानी का इंतजाम किया है तो जो रह जाते हैं और जहां पर पानी का इन्तजाम नहीं हुआ है अगर आप उनसे कहेंगे तो वह कह देंगे कि साहब आप ने पानी तो पहुंचाया उस तरफ के लोगों को और हमारे से वसूल करते हैं। तो इस प्रकार से झंझट पैदा हो जायगा। आप कहते हैं कि सब लोग उस टैक्स को दें यानी गांव-फंड से उसको दिया जाय। यह चीज इसमें नहीं की गयी है। यहां पर तो केवल अधिकार उसको दिया जा रहा है कि अगर ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाय तो तब वह ऐसा कर सकते हैं। अगर किसी के घर में कुंआ नहीं है और वह पानी भरने के लिये कहार रख लेता है तो वह पानी भरने का पैसा तो देता ही है मुफ्त में पानी मिलना सम्भव नहीं हो सकता। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज यद्यपि इसकी आवश्यकता नहीं है हो सकता है कि आगे इस प्रकार की अवस्था आ जाय कि किसी स्थान के लिये पानी का प्रबन्ध करना पड़े। अगर इस प्रकार की व्यवस्था हुई और उसके खर्चे का प्रबन्ध नहीं हुआ तो वह खर्चा गांव सभा को देना पड़ेगा। वह इंतजाम जिस हिस्से में हो उसी हिस्से पर उसका बोझ पड़ना चाहिये और बाक़ी हिस्से पर उसका बोझ नहीं पड़े। बस इतनी बात है। जहां पर पानी का प्रबंध नहीं किया गया है अगर वह लोग मना कर दें कि हम नहीं देते तो इसमें दिक्क़त पड़ सकती है। इससे तो गांव वालों की सुविधा ज्यादा होगी।

श्री गेंदासिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वशासन मंत्री के कुछ कहने से पहले कहना चाहता था ताकि यदि वह कुछ इस पर विचार करते तो उनको आसानी होती लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि गांव में पानी बिकवाने का प्रबन्ध न कीजिये। गांव में बड़ी पुरानी प्रथा है। जो लोग पानी पिलाते हैं दूसरों को वह इस दृष्टि से दूसरों को पानी पिलाते हैं कि उसकी क़ीमत उनको इस जन्म में नहीं मिलेगी, वह दूसरे जन्म में मिलेगी। कुंआ खुदवाते हैं तो वह उसकी बहुत महंगी कीमत की आशा करते हैं। यह तो आप सस्ती क़ीमत उनसे दिलाना चाहते हैं। गांव सभा इसको कर पायेगी या नहीं इसको माननीय मंत्री जी समझते होंगे लेकिन मैं यह समझता हूं कि गांव सभा के लिये वाटर वर्क्स का प्रबन्ध करना आसान नहीं है जब कि म्युनिसिपैलिटी तो इसको आज कर नहीं पा रही है। अगर हमारे यू० पी० के गांव वाटर वर्क्स अपने यहां चला सकें तो यह बहुत अच्छी बात होगी लेकिन यह बहुत दूर की बात है।

हमारे यहां पानी बेचने की प्रथा होती तो ठीक था लेकिन यह प्रथा गांव में नहीं है और शहरों के अन्दर है क्योंकि वहां पर काम नहीं चल सकता है लेकिन गांवों में काम चल सकता है। मैं तो यह समझता हूं कि गांवों में कुंआ खोदवाने के लिये लोगों का पुण्य जगाया जाय। अगर किसी गांव में १३ टोले हैं और एक टोले के लिये कुंआ बनवाया गया है तो उस टोले से टैक्स लेना आवश्यक हो जायगा। मैं तो यह समझता हूं कि अगर १२-१३ टोले हैं वह आपस में बैठ कर इस बात का इन्तजाम करें कि अगर किसी हिस्से में पानी नहीं है तो वह पैसा इकट्ठा करके वहां पर कुंआ खुदवायें जिससे कि उनको पानी बराबर मिला करे और देखने में भी यह बात कुछ व्यावहारिक मालूम होती है। यह चीज सम्भव भी दिखाई पड़ती है न कि यह कि गांव वाटर वर्क्स का प्रबन्ध करे। यह नहीं होना चाहिये कि गांव में कुंआ खुदवाया जाय और जो उसका पानी पीने वाले लोग हैं उनसे हर महीने में या छटे महीने कुछ पैसा वसूल किया जाय। यदि आप इस प्रकार से कर देंगे तब तो मुसीबत हो जायगी। वास्तव में अगर यह

आइडिया नहीं मालूम होता है इसके अन्दर इसको रखने का, तो फिर यह बेकार शब्द यहां पर रखने से क्या लाभ है। इस कागज पर इनका बोझ क्यों रखा जाय। मैं श्री कुंवर कृष्ण वर्मा जी के खयाल से सहमत हूं क्योंकि वह खूबसूरती के बहुत कायल हैं। तो न तो इससे खूबसूरती आती है और न कोई काम की बात आती है क्योंकि इसमें कोई चीज नहीं है। इसलिये इसको यहां से निकाल दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है। हमारे मल्ल जी ने इसको पेश किया है वह तो बहुत कम संशोधन पेश करते हैं जो कम संशोधन पेश करते हैं उनका संशोधन मान लिया जाय, तो लोग एनकरेज होंगे कि कम संशोधन पेश करें और कागज का बोझा ज्यादा न बढ़ाया जाय। लेकिन स्वशासन मंत्री जी इस समय हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। वह दूसरे कान से सुन रहे होंगे और हम समझते हैं कि हरिसिंह जी भी हमारी मदद करेंगे और इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

*श्री वीरेन्द्रपति यादव—मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। जिस भावना से हमारे मंत्री महोदय ने यह (एच) क्लाज रखा है वास्तव में उनकी भावना तो ठीक है कि उन्होंने गांव वालों को लाभ पहुंचाने की गरज से यह रखा है। लेकिन आज जनता जानती है कि हमारे ऊपर टैक्स के बाद टैक्स आ रहे हैं। बहुत से टैक्स इस ऐक्ट में भी बढ़ रहे हैं और आज हमारी जनता टैक्सों के बोझ से ऊब चुकी है। दुर्भाग्य से, मुझे कहना पड़ता है कि अगर इसी तरह से ३-४ साल तक हमारी सरकार टैक्स लगाती रही तो मैं नहीं समझता कि इसका क्या परिणाम होगा। हमारे ग्राम वाले शहर वालों से १०-१५ गुने टैक्स दे रहे हैं। इर्रीगेशन टैक्स है, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स और बहुत से दूसरे टैक्स हैं जो इस विधेयक के द्वारा आ गये हैं और लगेंगे। हमारी ग्रामीण जनता अशिक्षित है और वह आपकी अच्छी भावना को नहीं समझ सकेगी। हम समझते हैं कि हमारी जनप्रिय सरकार के प्रति उनका रुख उल्टा हो जायगा। मालूम नहीं पड़ता कि हमारे गांव की परिस्थितियां इस बात को वारंट करती हैं कि वहां वाटर वर्क्स का प्रबन्ध किया जाय। मैं समझता हूं कि हमारे सामने अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं आई होगी कि गांवों में पानी की दिक्कत हमने पाई है। इसका एक दुरुपयोग गांव पंचायत द्वारा यह होगा कि गांवों में कुछ कुएं सार्वजनिक हैं, उनके लिये गांव पंचायत यह कहेगी कि यह हमारी सम्पत्ति है और अगर तुम इनसे पानी लेते हो तो हम तुम पर टैक्स लगावेंगे। इस प्रकार हमारे ग्रामीणों की दृष्टि में हमारी सरकार जो अच्छी बनी हुई है वह गिर जायगी।

श्री शिवनाथ काटजू—मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। उपखंड (एच) में गांव सभा को यह अधिकार दिया है कि वह वाटर सप्लाई पर टैक्स लगा सकती है। श्रीमान्, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार पानी के ऊपर टैक्स लगाने जा रही है, बल्कि इस आशय का एक अधिनियम बनाया जा रहा है कि जो २०-२५ वर्ष तक और सम्भवतः बहुत आगे तक चले। जब इस तरह के विधेयक बनते हैं तो उनमें सारी बातें रखी जाती हैं ताकि आगे चल कर किसी प्रकार की असुविधा न हो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब सोसाइटीज के लिये नियम बनाये जाते हैं तो उसमें ऐसी बातें भी रक्खी जाती हैं कि जिनका उपयोग उस समय न भी हो लेकिन भविष्य में अगर कोई काम सोसाइटी करना चाहे उसमें बाधा न पड़े। इसी प्रकार से यह उपखंड (एच) यहां पर रक्खा गया है कि आगे चल कर यदि किसी समय गांव सभा ऐसी सम्पन्न हो जाय कि वह वाटर सप्लाई का काम ले सके जैसा कि म्युनिसिपैलिटीज करती हैं तो उसके अन्दर बाधा नहीं पड़ेगी। मेरे माननीय मित्र ने कहा कि इसका दुरुपयोग हो सकता है कि किसी कुएं पर गांव सभा टैक्स लगा सकती है कि इस पर जो पानी पियेगा उनसे टैक्स लिया जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि इसका आशय यह कदापि नहीं है। आजकल वैज्ञानिक युग है, संभव है दो चार बरस में ऐसे साधन निकल आयें और सम्पन्न गांव सभायें इस प्रकार की सुविधायें गांव सभाओं में दे सकें जिसके द्वारा नल इत्यादि लगाये जा सकें। यह टैक्स इस विधेयक में उस समय के लिये ही रक्खा गया है। इसका आशय यह कभी नहीं है कि पानी के ऊपर टैक्स लगाया जाय। माननीय मंत्री जी जो यहां बैठे हुए हैं वे इसको स्पष्ट कर देंगे कि उनका यह आशय कदापि नहीं है। इसका मतलब केवल यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवनाथ काटजू]

है कि आयन्दा आगे चल कर इस प्रकार की सुविधा गांव सभाओं की तरफ से होने पर बाधा न पड़े। इस कारण से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस भवन में पेश हुआ है उसके समर्थन में मैं बोलना चाहता हूं। श्रीमन्, मुझे ताज्जुब हुआ जब हमारे माननीय मंत्री ने वाटर वर्क्स की पूरी स्कीम बतायी। आज हमारे प्रांत के कितने ही नगर और कस्बे ऐसे हैं जहां पर वाटर वर्क्स नहीं है, ऐसी हालत में गांवों की चर्चा करना ऐसी चीज है जो कभी संभव नहीं है। हम लोग तो अभी इस बात को सोच भी नहीं सकते। माननीय काटजू साहब ने कहा कि २५ साल में मौका आयेगा। ३-३ महीने में तो आप अमेंडमेंट लाते हैं फिर इसमें २५ वर्ष का ठेका क्यों लेते हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी इस बात को मान लें कि वहां वाटर वर्क्स की स्कीम नहीं होगी। सरकार और इस भवन की शोभा इसी में है। इससे गांवों में दुर्भावना फैलेगी कि ऐसा समय आ गया कि पानी पर भी टैक्स लगने लगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह असंगत है। सिवाय गांवों में भ्रम फैलने के इससे और कोई फायदा नहीं होगा।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जब यह संशोधन पेश किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं और उसके साथ ही साथ जो आज इस पंचायत राज ऐक्ट में संशोधन किये गये हैं वह ग्रामीण जनता के हित के लिए ही किये गये हैं लेकिन आज खेद की बात है कि यह बात समझ में नहीं आती है कि क्या हमारे प्रांत के किसान अमेरिका की भांति धनाढ्य हो गये हैं कि उन पर दुनिया भर का टैक्स लादा जा रहा है। हमारे प्रांत के मजदूर कहाँ से इतने उच्च स्तर के हो गये हैं, कहां से इतने धनाढ्य हो गये हैं कि उनसे दुनिया भर का टैक्स लिया जाय। आज एक किरायेदार किराये की गाड़ी चलाता है, उससे म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायत अलग-अलग टैक्स लेते हैं। यह कैसे उचित हो सकता है कि इतना कर वह बर्दाश्त कर सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष---यह संशोधन माननीय सदस्य के सामने नहीं है।

श्री हरिसिंह---पानी का जहां तक संशोधन है सरकार ने दुगनी आबपाशी बढ़ा दी है। किसान वैसे ही तबाह हो रहे हैं और फिर आप उस पर टैक्स पर टैक्स लगाते जाते हैं। सिवा इसके कि जो गांवों में मजदूर रहते हैं वे उन कुवों से पानी लेकर पीते हैं और उस पर भी कर लगाने की आप लोगों की नीति है और इस तरह का टैक्स लगाना है तो जहां आप टैक्स लगाइये वहां उनकी आर्थिक स्थिति को भी ऊंचा करने का प्रयत्न कीजिये। कौन सा उद्योग धंधा आपने खोला है जहां कि मजदूर अपनी मजदूरी कमा सकते हैं और कौन सा ऐसा साधन आपने किसानों के लिए उपलब्ध किया है जिससे वे ऊंचे देश के किसानों की तरह से ऊपर उठ सकें और उनकी मालीहालत अच्छी हो सके। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से कर न लगाकर आप करों में कुछ कमी कर दें ताकि यहां की जनता की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके और यहां की जनता खुशहाल हो सके। यदि ऐसी नीति रही तो यह कार्य चलने वाला नहीं है। इससे कोई मसला हल नहीं हो सकता है।

श्री जोरावर वर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि अब यह प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---श्री बलवन्त सिंह के बोलने के बाद मैं क्लोजर का प्रस्ताव लूंगा।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लिये यह बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे समय में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं जिसके बाद ही क्लोजर मूव हो जायेगा। अभी जो संशोधन मेरे कुछ दोस्तों ने पेश किये हैं मुझे उन संशोधनों पर कुछ थोड़ी

सी हंसी आती है। अगर आपको अपनी सोसाइटी को और गांव को उन्नति करना है तो उसके लिये पैसे चाहिये और पैसे के लिए आपके पास कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि सरकार कहीं से लाकर आपके गांवों के लिये पैसे रख दे। पैसा जो कुछ आना है वह सब गांवों से और देहाती जनता से ही आना है। अभी जो हमारे सामने यह पंचायत राज ऐक्ट का संशोधन है इसमें अभी कई बातें ऐसी आ रही हैं कि शायद कुछ सज्जनों को बिलकुल चौंकना पड़े। अभी तो लाइटिंग के लिये टैक्स आ रहा है। अभी लैटरिन क्लीनिंग के लिये टैक्स आ रहा है, इसके अलावा अभी कई और बातों के लिये टैक्स आ रहा है। यदि आपने पहले पानी के टैक्स के ऊपर ही उछलना कूदना शुरू कर दिया तो मेरी समझ में जब नहीं आता कि रोशनी का और आपके यहां बल्ब व पंखे लगाने का टैक्स लगेगा तब तो शायद आप भाग पड़ेंगे। इसलिये मेरा तो ख्याल यह है कि अगर सोसाइटी की उन्नति करना है और अपने गांवों को ऐसा गांव बनाना है जैसे कि संसार के उन्नत देशों के गांव जैसे हों तो आपको पानी भी चाहिये, आपको रोशनी भी चाहिये, आपको सड़कें भी चाहिये, आपको बढ़िया फ्लश लैटरिन भी चाहिये, तो उसके लिये पैसा बहरहाल आयेगा कहां से ? अगर आप यह कहें कि पैसा तो लावें टैक्स लगा कर शहर वालों पर तो वह समय तो खतम हो गया। शहर वालों ने गांव वालों पर टैक्स लगाया और अपनी म्युनिसिपैलिटियों को कामयाब बनाया। लेकिन इस समय तो वह आपका पैसा होगा और आपके इस्तेमाल में लगेगा। अगर आप यह चाहते हैं कि अपने गांवों को सुधारें, अपने गांवों में अच्छी सड़कें बनावें और अपने गांव को ऐसा गांव बनायें जिसको देख कर लोग खुश हुआ करें तब तो आपको उसके लिये परिश्रम करना पड़ेगा और अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। यह जो प्रोविजन माननीय मंत्री जी ने इस ऐक्ट में रखा है उसके लिये मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और उनका स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि मेरे भाइयों को इस पर भी जरा विचार करना चाहिये कि हमें गांवों को प्रोग्रेसिव बनाना है, उन्नतिशील बनाना है, अच्छा बनाना है तो उसके लिये बहरहाल पैसा भी चाहिये। यह तो किसी के ऊपर पाबन्दी लगा नहीं रखी गयी है कि टैक्स जरूर लगाना ही होगा। अगर कोई गांव अपने यहां वाटर वर्क्स नहीं चाहता है, अगर कोई गांव अपने यहां पानी का प्रबन्ध न करे तो इसके लिये किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि जरूर टैक्स लगाया ही जाय। अगर आप पानी के मामले में उन्नति करना चाहते हैं तो उसके लिये टैक्स लगाना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं कि बहुत से गांव ऐसे हैं जहां कि पानी का कोई भी प्रबन्ध नहीं है। अगर वहां के लोगों से दो रुपया, चार रुपया साल लिया जाता है या अब चार पैसे दो आने या दस आने के हिसाब से लिया जाय तब भी मैं समझता हूं कि अच्छे पानी का प्रबन्ध होने पर उसको हर एक गांव वाला पसन्द करेगा। खास तौर से मैं उन भाइयों के बारे में कहना चाहता हूं कि उनके कुछ गांव और बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जिनमें पानी का कोई माकूल प्रबन्ध नहीं है सरकार उनके लिए कोशिश कर रही है और ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट उन के लिए जल्द कुछ न कर सके। तो ऐसी हालत में अगर थोड़ा सा कर देकर पानी का उचित प्रबन्ध हो जाय तो वह बुरी चीज न होगी। इसलिए मैं अपने भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के जो प्राविजन हों उनसे बिदकने की कोशिश न करें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ शुक्ल—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन पर जिन्होंने अपनी राय दी है उनको मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे सदन का अधिक समय बरबाद करना नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी की दो-चार बातों का जवाब देना चाहता हूं। मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान में यह बताया कि सरकार गांवों में टैंक लगाकर या ट्यूबवेल बनाकर या सिंचाई के ट्यूबवेलों से पानी लेकर सप्लाई करेगी तो उससे खर्च बढ़ेगा और यह जरूरी होगा कि जिस लोकेलिटी में पानी दिया जाय वहां के लोगों से उस खर्च को वसूल करने के लिये टैक्स लगाया जाय। मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि गांव में ज्यादातर लोग कुओं

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

से पानी लेते हैं या जो सम्पन्न हैं वह अपने यहां हैन्ड पम्प लगाते हैं। अगर इस तरह से कहीं पाइप लगाकर पानी पहुंचाया गया और आस-पास के ४०-५० घरों पर टैक्स लगा दिया गया तो लोगों को वह टैक्स देना मंजूर न होगा और वे पसन्द करेंगे कि टैक्स न देकर तो उनका पहले से पानी लेने का तरीका कुंवें तालाब का चला आता है वही ठीक है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस तरह का टैक्स लगाना उचित नहीं है और मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस तरह के टैक्स गरीब जनता पर न लादें और अभी तो जैसी व्यवस्था चल रही है वह चलने दें। जैसा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि अभी तो म्युनिसिपैलिटीज में ही पूरी व्यवस्था पानी की नहीं हुयी है और आगे जब मौका आयेगा तो देखा जायगा। इसलिए इस वक्त इस तरह का नया तमाशा खड़ा करना मुनासिब नहीं है। इसलिए अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह या उन के साथियों को भ्रम हुआ कि वाटर टैक्स लगाने में कुंओं पर भी टैक्स लगाने की व्यवस्था सोची गयी है। यों तो कुछ भी पोलिटिकल प्रोपेगन्डे के ख्याल से समझने से इनकार किया जा सकता है लेकिन श्री वीरेन्द्र पतियादव ने जैसा अर्थ लगाया उसको सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनको यह समझ लेना चाहिये कि "Water rate is not a tax" अगर पानी सप्लाई करने में गांव सभा का पैसा खर्च हो और वह उस खर्च को अगर वसूल करे तो वह टैक्स नहीं है, वह तो उस पानी की कीमत है। कुंओं बनाकर गांव पंचायत टैक्स लगायेगी यह हमारे दिमाग में नहीं है। मैं अर्ज कर दूं कि जो माननीय सदस्य यह समझते हैं कि गांव उस वक्त तक इंतजार करेंगे कि जब तक सब शहरों में वाटर सप्लाई न हो जाय, यह बात बिलकुल गलत है। यह दलील तो बिलकुल थोथी है कि शहरों में इंतिजाम नहीं है। मैं जानता हूं लेकिन मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हमारे काफी ट्यूबवेल्स हैं जो इर्रीगेशन के लिये हैं। कई सौ ट्यूबवेल्स ऐसे हैं जो गांवों की आबादी के पास हैं वहां से बहुत शुद्ध पानी निकलता है। अगर वहां एक ओवरहेड टैंक बना कर वहां से कुछ पाइप्स ले जायं और पानी दिया जाय तो इतना शुद्ध पानी पीने को मिल जायगा कि उनका जीवन सुधर जायगा। तो अब यह बात होती है कि पैसा गांववालों को नहीं देना होगा। यह बात भी साफ है कि गांव वाले पाइप लाइन्स और-और चीजें कि जो जरूरी हैं उसका भी पैसा नहीं दे सकते लेकिन अगर पहले रुपए की व्यवस्था हो जाय तो उसके बाद यह सवाल पैदा होता है कि उनके रिकरिंग खर्च हो सकते हैं और यही मैंने निवेदन किया था कि मान लीजिये कि आप उसमें क्लोरीन डालकर शुद्ध करें या उसके कुछ मरम्मत की जरूरत पड़ जाय तो थोड़ा बहुत, दस, बीस, पचास रुपये का सवाल जो पड़ जाय जो थोड़ा बहुत खर्च हो उसका इंतजाम हो सके। मान लीजिये स्टेट गवर्नमेंट यह जिम्मेदारी ले ले तो जितने भी गांवों में वाटर वर्क्स बनेंगे उनके रिकरिंग खर्च कौन बरदाश्त करेंगे। एक गांव सभा के प्रतिनिधि की हैसियत से अगर मेरे सामने यह सवाल उठे कि जो थोड़ा बहुत खर्च होगा वह हम दे देंगे और गांव वालों को पानी देंगे तो जो रिकरिंग खर्च होगा वह गांव वाले देंगे तो हम कहेंगे कि हम इसके लिये तैयार हैं। तो जो सबसे बड़ी बात इसकी बहस के वक्त हम भूल जाते हैं और प्रोपेगन्डे के आधार पर कहते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, तो यह दलील इस सदन की शान के खिलाफ है अगर गांव सभा इसके जो रिकरिंग एक्सपेंसेज हैं बरदाश्त करती है और उसके करने से पानी की व्यवस्था हो सकती है तो यह उस ट्टान को रोकने के लिए है जिससे वाटर वर्क्स न फैले। कुंओं से वाटर रेट चार्ज करने का सवाल नहीं है।

अगर गांव सभा कहार रख कर पानी घरों में पहुंचाने के लिये तैयार हो जाय और एक आने कलसा लगावें लेकिन वह बात मेरे दिमाग में है नहीं। मेरे दिमाग में तो वाटर वर्क्स की स्कीम थी इसलिए मैंने यह सोचा। यह कहा गया कि शहर वालों के लिये तो पानी नहीं है और जब तक शहर वालों के लिये नहीं हो जायगा तब तक गांव वालों के लिए नहीं होगा। यह दलील

ठीक नहीं है। राजा साहब भी यही कह रहे हैं, महज अलफाज भर का फर्क हो जाता है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं लेकिन कहते हैं हमारी ताईद में ही। मैं समझता हूं कि इसके निकाल दिये जाने के बाद गांव वालों का नुक्सान होगा। इसमें पाइप लाइन्स की कीमत लेने का सवाल नहीं है न कोई इरादा है, महज जो वाटर रेट्स हैं, जो पानी लेते हैं उनके लिये जो रिकरिंग एक्सपेंसेज होते हैं वही लिये जायेंगे। मैं समझता हूं कि इन शब्दों के बाद मेरे मित्र गांव वालों की उन्नति के ख्याल से इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 (1) का भाग (h) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री धर्म सिंह---श्रीमन्, मेरे इसी खंड में दो प्रस्ताव हैं। यह मैं उचित समझता हूं कि दोनों को एक साथ पेश कर दूं इससे कोई हानि नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष---करिये।

श्री धर्म सिंह---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 की उपधारा (1) का भाग (i) निकाल दिया जाय तथा भाग (j) भी निकाल दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है मैं इन दोनों धाराओं को निकलवाना चाहता हूं। उसका कारण यह है कि जब हम टैक्स की चर्चा करते हैं तो यह देखते हैं कि जानवरों पर भी टैक्स और इसके अलावा जितनी भी गांव में एजेंसीज हो सकती हैं सब पर टैक्स है। तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि गांव का जो एक रहने वाला आदमी है उस पर इसका क्या साइकालोजिकल एफेक्ट पड़ेगा? ऐसी हालत में जिस तरह से आपने हर चीज पर टैक्स लगा दिया उसका नतीजा एक बुरा नतीजा हो सकता है। आप यह बात कह सकते हैं कि साहब हम तो प्राइवेट लैट्रिन्स पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। हम यह मानते हैं कि जिस व्यक्ति के घर में प्राइवेट लैट्रिन होगा उसी पर टैक्स लगेगा, यह ठीक है लेकिन उसके साथ ही साथ जो एक गांव का आदमी है उसके दिमाग के अन्दर यह चीज पैदा होगी कि हर चीज पर टैक्स है। तो मेरी समझ में यह उचित न होगा कि हर एक चीज पर टैक्स लगाकर गांव की जिन्दगी को एक बुरी जिन्दगी बनाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, लाइट की बात कही जाती है। यह ठीक है कि लाइट होनी चाहिये, नालियां भी बननी चाहिये और सड़कें भी बननी चाहिये। लेकिन जब हम देखते हैं कि दसियों टैक्स लगे हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि आदमियों पर भी टैक्स लगाया गया है, सिनेमा पर भी टैक्स लगाया गया है, जानवरों पर भी टैक्स लगाया गया है और भी बीसियों किस्म के टैक्स लगाये गये हैं, इन सब टैक्सों से जो आमदनी होगी वह किस बात पर खर्च होगी। आप म्युनिसिपैलिटी की मिसाल ले लीजिये, वहां पब्लिक लैट्रीन्स भी होती हैं, प्राइवेट लैट्रीन्स भी होती हैं, वहां की म्युनिसिपैलिटी लाइट का भी प्रबन्ध करती है, लेकिन मेरे विचार से वहां तो कोई भी किसी प्रकार का टैक्स लैट्रीन के नाते या लाइट के नाते नहीं लिया जाता है। इसलिए जब आप एक तरफ से एजेंसी बनाते हैं जिससे रुपया आता है टैक्स के रूप में तो फिर उसमें आप यह क्यों नहीं करते हैं कि वह रुपया पब्लिक लैट्रीन्स पर खर्च किया जाय या इसके अलावा गांवों में लाइट लगनी चाहिये। इसलिए अगर आप केवल टैक्स लगाने ही की बात करते हैं तो यह उचित नहीं है। अगर आप यह कर दें कि गांव में दो चार रास्तों में लालटेनें लगें उतना तो ठीक है लेकिन जैसा मैंने कहा कि गांव वालों के दिमाग में एक ऐसी चीज पैदा करना जिससे वह समझें कि चारों तरफ टैक्स ही टैक्स है उससे मैं समझता हूं कि कोई भला होने वाला नहीं है। ऐसी हालत में इस तरह की बातें लाने के बाद यहां पर टैक्स लगायें तो अधिक उपयुक्त होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर सोचें और सोचने के बाद मैं इसी तरीके से निर्णय करने के बाद इसको मानने की कृपा करें।

श्री मोहन लालगौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा में (i) और (j) जो रक्खे गये हैं उनका कारण यह है कि (i) में असल में बात यह है कि यहां जो आम तौर से कन्जर्वेन्सी टैक्स के नाम से मशहूर है, असल में यह टैक्स उस माने में नहीं है । वह सिर्फ यही है कि "fee charged if services rendered" इस तरह से इसको अगर एक्सप्लेन करूं तो नामुनासिब नहीं है। अगर कोई गांव सभायें सफाई करवायें तो मजदूरी ले लें, यही इसका मतलब है और कोई मतलब नहीं है ।

(इस समय ४ बज कर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

और कोई मतलब नहीं है ।

(i) a tax for cleaning private latrines and drains payable by the owners or occupiers of the houses to which the private latrine or drain is attached, where such cleaning is done through the agency of the Gaon Sabha;

यानी अगर गांव सभा यह करे कि कुछ आदमियों को रखे और वहां कुछ लैट्रीन्स हों तो उस पर सफाई के लिये जो खर्च होगा वह मजदूरी ले रही है । यह कोई टैक्स नहीं है । यहां यह टैक्स जो लफ्ज है वह गलत है ।

(j) a lighting rate where-the lighting of public streets, places or buildings is undertaken by the Gaon Sabha,

श्री अध्यक्ष—क्या आप टैक्स शब्द की जगह "फी" शब्द कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—असल में वह फ़ी ही है अगर फ़िट इन करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन जो दिक्कत है वह यह है कि गांव में अभी शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां सारे गांव में लालटेनें लगाई गई हों । अब जब लालटेनें लगना शुरू होती हैं तो कम से कम गरीबों की बस्ती में देर में लगेगी बाक़ी में पहले । अब उसमें तेल खर्च होता है, और एक लालटेनों की देखभाल करने वाला होता है । अब सवाल यह है कि वह कामन फंड से आये या जिस मोहल्ले में लगी हो उनसे लें । अगर आप कामन फंड से लेंगे तो दो प्रश्न पैदा होते हैं । एक यह कि क्या सारे गांव वाले और गांव में अब भी ऐसे हैं और आगे हो जायेंगे कि गांव में हैमलेट्स भी होते हैं और २५० से कम आबादी वाले होते हैं और हो सकता है कि किसी एक गांव में लालटेन लगी हो और बाकी में न लगी हो । अब माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके और सदन के सामने प्रश्न यह है कि क्या इन लालटेन का जो एक गांव में है और ७ में नहीं है उनका खर्चा ८ गांवों से जो आता है उससे दिया जाय या जिनके यहां रोशनी है वह अपना दें । मैं इस सदन के जज़बात को बहुत ज्यादा ठेस इस तरह से नहीं पहुंचाना चाहता कि यह लिस्ट लम्बी हो जाय । जितनी चाहिये आप कम कर दीजिये । मुझे कुछ नहीं । लेकिन उसके इमप्लीकेशन्स समझ लीजिये । एक तो यह कि ७, ८ जो आबादी है गांव सभा में, उसमें एक में ४५ लालटेन लगी हैं बाक़ी में नहीं लगी हैं । उनमें जो तेल खर्च होगा उस आबादी के लिये होगा और बाक़ी के लिये नहीं होगा और अगर हटा दिया जाय तो मतलब यह होगा ७, ८ यूनिट से जो रुपया आता है उससे सातों को फायदा नहीं होगा । लेकिन उसके लिये उनको पैसा देना पड़ेगा । उसका दूसरा नतीजा हुय हो सकता है कि गांवों में पैसा कम है । या तो लालटेन लगे सब में या एक में भी न लगे । यह प्रश्न हो सकता है । इसलिये या तो लालटेन लगें नहीं और लग जायं तो तेल न हो और जले नहीं । यह नतीजे हो सकते हैं । लेकिन यह तो गांव सभाओं को अधिकार दे रहे हैं । टैक्स का सवाल नहीं । अगर गांव वाले रोशनी का इन्तजाम करें, उसमें तेल के लिये पैसा चाहिये । तो उस तेल के पैसे को ले सकें । अगर आप कहें कि इसको निकाल दूं, घोर विरोध हो रहा है तो लिस्ट को कम कर दीजिये ।

अगर आप पब्लिक लेट्रीन्स को साफ़ करना चाहते हैं और जो उसको इस्तेमाल करते हैं उसको मजदूरी को दें। नहीं तो फिर गांव वाले इन्तजाम नहीं करेंगे। तो यह जो चीजें हैं अधिकार उनको हो और इन्तजाम कर सकें। लखनऊ में जो टैक्स हैं और लम्बी चौड़ी लिस्ट है और उसको निकाल दें तो लखनऊ की शकल क्या होगी आप देखें और जब टैक्स लगाने का अधिकार है उन्हें तो मेरे ख्याल में यह सब काम हो सकते हैं। आप सोच लीजिये अगर बहुत ज्यादा विरोध हो तो मैं निकालने के लिये तैयार हूं। और जहां तक (i) का संबंध है उसको अगर आप निकाल लेंगे तो दिक्कत हो जायगी। अगर सब लोग नहीं चाहते तो मैं अकेले वह जुल्म करने के लिये तैयार नहीं हूं। और अगर सब लोग जिम्मेदारी ले लें तो यह रखा जाय और यदि नहीं लेते तो जो कुछ कहें उसको मैं निकालने के लिये तैयार हूं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक आदमी दुकान पर गया और उसने आटा लिया, चावल लिया, मसाला लिया, मिर्चा लिया पचीसों सामान लिये और जब दुकानदार ने पैसा मांगना शुरू किया तो उसने कहा कि तुम्हें किस-किस चीज का दाम दूं। यही बात हमें यहां दिखाई पड़ती है। इस विधेयक के पीछे जो सुन्दर विचार धारा है और जो एक कल्पना है उसके पीछे हम लोग नहीं जाते और चीप पापुलैरिटी के चक्कर में पड़ कर टैक्स का विरोध करने हम खड़े हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि जो निर्माण हमें देश का करना है और जिस मनोभावना और साहस के साथ हमें समाज के अन्दर और गांव के अन्दर घुसना है उस साहस और शक्ति की हममें कमी दिखलायी पड़ती है। हमारे भाई, मैं यह नहीं मानता कि निर्माण कार्य में एक दूसरे से पीछे हैं लेकिन अन्दर घुस करके यह देखना कि देश का निर्माण कैसे होगा इसको वे भूल जाते हैं और उस सिद्धान्त से विचल जाते हैं, जिससे कि देश का निर्माण होना है। इस संशोधन का जो (i) और (j) है, मैंने उन्हें आदि से अन्त तक पढ़ा। मेरे ख्याल से, जो बातें विधेयक में रखी जा रही हैं वह तो केवल एक खाका दिया जा रहा है, कहीं यह नहीं कहा गया है कि ये सभी टैक्स जरूर लगाये जायंगे। वह तो अगर गांव सभा जरूरी समझेगी तो लगायेगी और अगर जरूरी नहीं समझेगी तो नहीं लगायेगी। यह कोई जरूरी नहीं है कि जो यहां एक दर्जन, दो दर्जन की लिस्ट दे दी गयी है ये सब टैक्स गांव वालों पर लगाये ही जायेंगे।

जहां तक (i) का सम्बन्ध है उस विषय में मैं एक क़दम आगे जाना चाहता हूं और मैं महात्मा गांधी के उस लेख की ओर सदन का ध्यान दिलाऊंगा जो उन्होंने सन् १९२० में जो उनका "यंग इंडिया" निकलता था उसमें लिखा था। उन्होंने यह लिखा था कि "हमारे गांव एक घूरा मात्र हैं।" उन्होंने एक बर्न साहब थे उनकी एक युक्ति का उल्लेख किया था। बर्न साहब का यह कहना था कि हिन्दुस्तान के गांवों में अगर जाना हो तो तुम घूम-घूम कर बड़े जोर-जोर से सांस लो और जिस तरफ से ज्यादा बदबू आती हो उस तरफ चले जाओ तो तुमको गांव मिल जायगा। यह बर्न साहब ने लिखा था और महात्मा गांधी ने उसका उद्धरण किया था। यह हमारे गांव की हालत है। मुझे क्षमा किया जाय, मैं देखता हूं कि हमारे गांवों में शौच का ऐसा गन्दा तरीका है कि हमारी मां, बहनें हमारे बच्चे, हम लोग स्वयं खुले में बैठते हैं। जिस पर लज्जा को भी लज्जा आती है। इन सब चीजों का नियमन होना चाहिये और ऐसे ढंग से इनकी व्यवस्था करनी चाहिये कि इनमें लज्जा और मर्यादा आ जाय। आज भी इन सब चीजों को उछृंखल छोड़ देने से कभी हमारे गांव का सुधार नहीं हो सकता है। ऐसी हालत में मैं जरूर चाहूंगा कि जो अंश लेट्रिन के बारे में विधेयक में है उसे स्वीकार किया जाय। अगर मेरा बस चले तो मैं हर गांव में महात्मा गांधी के सेवा ग्राम में जिस तरह शौच का गड्ढा बनाया जाता है उसी तरीक़े से करने का प्रबंध करूं। उसके लिये गड्ढा होना चाहिये, पर्दे होने चाहिये और उसकी सफ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे गांव की गन्दगी दूर हो और जो हमारी खाद बर्बाद होती है, अनुमान लगाया जाता है कि अरबों रुपये की खाद बर्बाद हो जाती है, उसका उपयोग हो सके। ऐसी अवस्था में जो भाई टैक्स के नाम पर भड़क रहे हों मैं उनसे निवेदन करूंगा कि.....

श्री अध्यक्ष--आप माननीय सदस्यों को विशेष उपदेश देने की कोशिश न करें तो ज्यादा अच्छा हो क्योंकि वे सभी लोग समझदार लोग ह और एक से हैं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--अध्यक्ष महोदय, मेरा उपदेश देने का अर्थ नहीं है। मैं यह बता रहा था कि हमें गांव वालों को निर्माण की ओर ले जाना चाहिये ताकि गांव में सफ़ाई हो, सुव्यवस्था हो, वहां की हालत सुधरे। मैंने यह पहले ही कह दिया कि यह मतलब नहीं है कि जितनी लिस्ट दी गयी है वे सब के सब टैक्स लगा दिये जायं। गांव सभायें जो काम करेंगी उनके लिये टैक्स लगायेंगी और जो काम नहीं करेंगी उन पर नहीं लगायेंगी। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और मूल धारा का ही समर्थन करता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अभी धर्मसिंह जी ने पेश किये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैंने बड़े गौर से माननीय सदस्य के भाषण को सुना और आपने कहा कि हम भी सोच रहे थे कि उपदेश हो रहा है और गांधी आश्रम की व्यवस्था बतलाई जा रही थी कि इस प्रकार से हम लोग रहें। हम सब चाहते हैं कि गांव की दशा ऐसी ही हो जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। मंत्री जी ने कहा था कि हम कोई टैक्स नहीं लगाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप वह सुझाव देते हैं कि बगैर पढ़े लिखे लोग उन सुझावों को देख कर आपके कहने में और फुसलाने में आ जाते हैं और जनता पर टैक्स लगा देते हैं और इसका लांछन किस पर डालें। सरकार बार-बार कहती है कि हम टैक्स नहीं लगाते हैं, पंचायतें टैक्स लगाती हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि गांव वाले कभी नहीं चाहेंगे कि गांव वालों पर टैक्स लगायें। लेकिन यह सरकार की भूलभुलैया है और सरकार ने नाना प्रकार के टैक्स तजवीज किये हैं। जो दो टैक्स बतलाये हैं उसकी तो हद्द हो गयी है। श्रीमन्, गांव सभाओं के लिये जो एक आने रुपया तय हो गया है कि एक आना रुपया मालगुजारी ली जायगी। अगर वह इतना भी प्रबन्ध नहीं करेगी तो फिर यह रुपया क्यों लिया जायगा। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जो टैक्स पास हो चुका है, अगर यह इन्तजाम भी गांव सभायें नहीं करेंगी तो फिर वह क्या काम करेंगी। क्या वह इलेक्शन लड़ायेंगी या श्रीमानों को दावत देने के लिये रुपया लगायेंगी। अगर पाखाना वगैरा भी साफ नहीं करेंगी और लालटेन का भी इंतजाम नहीं होगा। आप के पार्टी के सभी लोगों ने गांवों में कहा था कि अब तो स्वराज्य हो गया है। अब गांव-गांव में बिजली जलेगी। लेकिन जब हम टैक्स दें, तब बिजली जलेगी, जैसा कि मंत्री जी ने कहा नहीं तो अंधेरा ही बना रहेगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो हर एक व्यक्ति का पैदाइशी हक़ है उसके लिये इस तरह के टैक्स तजवीज करना ठीक नहीं है और उनको आप न लायें। मैं समझता हूं कि आप इस लिस्ट को वापस ले लें।

*श्री वीरेन्द्रपति यादव--अध्यक्ष महोदय, जो अधिनियम में संशोधन प्रस्तुत किये जा रहे हैं उनकी भावना तो बहुत सुन्दर है लेकिन प्रश्न यह है कि जो जिम्मेदारियां आप ग्राम पंचायतों को देना चाहते हैं वह उनको निभा सकेंगी या नहीं। आपने सन् ४७ से अब तक इस बात का अनुभव किया है कि हमारी ग्राम पंचायतें कहां तक सफल रही हैं। इस संबंध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं हमारी सरकार ने जो ऐक्सपेरीमेंट किया है उसको हमें पूरा करना है। लेकिन जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनका समर्थन करते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी उन खामियों और कमियों को दूर करना चाहते हैं जिनको नगरपालिका से दूर नहीं किया जा सका। जहां शिक्षित वर्ग जो शहरों में रहते हैं वहां इन बातों को पूरा नहीं किया जा सका तो फिर ग्राम पंचायतों से कैसे उम्मीद की जा सकती है। जहां तक टैक्स का सवाल है मैं समझता हूं कि गांव के लिये चाहे रेट कहें, चाहे फीस कहें लेकिन वह उसको टैक्स ही समझेंगे। शब्दों के हेर फेर में न पड़ कर उसको टैक्स ही कह दें तो अनुचित नहीं होगा। मैं जानता हूं कि नगरपालिका में जो लोग रहते हैं उनसे रोशनी का रेट कहिये, फीस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहिये, या टैक्स कहिये लिया जाता है। लेकिन जहां तक लेट्रीन का साफ़ करने का सवाल है उसके लिये कोई फीस नहीं ली जाती है। हम भी नगरपालिका में रह रहे हैं लेकिन एक ही टैक्स देना पड़ता है। जिस तरह से सरकार टैक्स लगा रही है वह अशिक्षित लोगों के अन्दर सरकार के प्रति एक विरोध की भावना पैदा कर देगा। हमने अभी पिछले दो साल के अन्दर इरिगेशन टैक्स लगाया और देखा कि जनता की क्या भावना हुई। लेकिन हम समझते हैं कि उससे इतनी बदनामी सरकार की नहीं हुई होगी जितनी कि पंचायत राज के इन टैक्सों से होगी। तो मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायतों को इस योग्य बनाइये कि वह जिम्मेदारियां निभा सकें और हमारे गांव में एक उत्साह पैदा कर सके। जिम्मेदारियां देना और उनको निभाना नहीं, इससे मैं तो समझता हूं कि हमारे ग्रामों की बदनामी तो होगी ही, लेकिन सरकार की भी होगी।

जहां तक टैक्स, रेट्स या फीस का सवाल है, मैं इन शब्दों के साथ इन सब का विरोध रना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि इस उद्देश्य की पूर्ति ५ साल के अन्दर भी नहीं हो सकती। कगर हमारे मंत्री जी चाहते हैं कि इन बातों की पूर्ति हो तो हमें इसके लिये ग्रामों को अस योग्य बना देना पड़ेगा जिससे वह अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें। हम देखते हैं इक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ओर से ऐसा संशोधन सन् १९२७–२८ में आया था कि हमारे ग्रामों के अन्दर शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर देना था। अगर तभी इस उद्देश्य की पूर्ति कर दी गयी होती तो आज जो परिस्थितियां हमारे बीच में पैदा हो रही हैं उनका अवसर न आता। इन शब्दों के साथ मैं जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, उनका समर्थन करता हूं।

श्री शिवनाथ काटजू––श्रीमन्, यहां दो संशोधन एक साथ आये हैं। एक तो 'आई' का एक 'जे' का। जैसा अभी मंत्री महोदय ने कहा कि 'आई' तो मुनासिब है, उसके मातहत यह कहा गया कि जो गांव सभा के द्वारा काम हो उसके अनुसार फीस ली जाय क्योंकि सफ़ाई के, लैट्रिन के और नालियों (ड्रेंस) के सम्बन्ध में जो काम किया जायगा उसका खर्चा गांव समाज के द्वारा ही होगा। लेकिन जहां तक 'जे' का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन यह है कि इसको माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करें कि यह डिलीट कर दिया जाय। क्योंकि गांव-सभायें एक प्रकार से छोटी-मोटी म्युनिसिपैलिटी है और जहां तक मेरा ख्याल है कोई ऐसी म्युनिसिपेलिटी या नोटिफाइड एरिया नहीं है जो केवल रोशनी के लिये एक टैक्स या कोई फीस चार्ज करती हो। यह तो उसका एक जनरल काम है और अगर रोशनी का इंतजाम हो तो उसके पास जो और टैक्सेज आते हैं उनमें से उस खर्चे को बरदाश्त किया जा सकता है। मंत्री महोदय ने कहा कि यह सम्भव है कि गांव सभा के अन्दर अगर ५-६ गांव हैं तो एक ही जगह रोशनी हो और दूसरी जगह न हो। इससे एक कटुता आ सकती है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि यह गांव सभा का कार्य है और अगर गांव सभा इस प्रकार का पक्षपात करेगी तो उसकी रोक-थाम खुद गांव सभा के सदस्य करेंगे। लेकिन रोशनी के नाम से अलग टैक्स रखना मेरे विचार मे मुनासिब नहीं है और मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इसको वापस लेना स्वीकार करेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन माननीय ब्रजभूषण मिश्र जी के उपदेश से प्रभावित हो कर कुछ कहने का उत्साह सा मिला और मैं सिर्फ यह माननीय मंत्री जी को बतलाना चाह रहा था और माननीय मिश्र जी को भी बतलाना चाहता था कि म्युनिसिपैलिटीज में जो स्ट्रीट लाइटिंग होती है उसके चार्जेज हम लोगों से नहीं लिये जाते। अगर यह हो कि स्ट्रीट लाइटिंग के चार्जेज भी होते तो हजरतगंज ऐसी जगह है कि वहां तो बड़ी-बड़ी रोशनी और बल्ब लगे होते हैं ज्यादा टैक्स पड़ता और बहुत सी गलियां ऐसी भी हैं जहां कोई रोशनी नहीं है, कम है। तो यह तो म्युनिसिपैलिटी के देखने की चीज है। वह जहां उचित समझती है वहां लगा देती है और उसके लिये कोई टैक्स नहीं है। लेकिन आज मंत्री जी का सुझाव आया कि गांव वालों पर टैक्स

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

गांव सभा लगा दे ताकि रुपया न देना पेड़े। रोशनी अगर लगाना चाहती है तो टैक्स लगा दे, लैट्रीन की सफ़ाई चाहती है तो उसके लिये टैक्स लगा दें, अगर घरों के पास कोई नाली बन गयी है तो उस पर भी टैक्स चाहो तो लगा लो। यह तो मैं मानता हूं कि अपने घरों की या लैट्रिन की सफ़ाई जो लोग कराना चाहें तो वहां पर तो उनसे टैक्स लेना चाहिये। लेकिन इस तरह के टैक्स लगा कर जैसा कि राजा साहब ने कहा कि गांव वालों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि अब भाई ऊपर से कुछ नहीं मिलेगा, अगर तुम अपने यहां कुछ करना चाहते हो, रोशनी चाहते हो, ड्रेन्स चाहते हो तो टैक्स लगाओ। इस तरह से जो गांव वालों के ऊपर भार डाला जा रहा है मैं समझता हूं कि यह बिलकुल ग़लत है और यह सब हटा देना चाहिये। एक और भी चीज़ हटा देनी चाहिये। यह क्लाज़ (२) जो है इसे भी निकाल देना चाहिये। माननीय मिश्र जी ने गांधी जी का उपदेश सुना दिया। हम भी गांधी जी के चेले रहे हैं। जिस लैट्रिन्स का उन्होंने ज़िक्र किया है उसमें तो कोई ज्यादा ख़र्चा होता ही नहीं है: इसलिये अगर माननीय मिश्र जी की यह मंशा हो कि सरकार की ओर से कुछ प्रोत्साहन उनको मिले, जहां-जहां ग्राम सभायें कायम हो रही हैं वहां-वहां उनका एक भाषण हो जाय और वह लोगों को समझायें कि गांधी जी ने यह कहा था और वह कहा था, तो अध्यक्ष महोदय, यह उपदेश हमने बहुत सुना है, मैं ज्यादा इस पर न कह कर के बैठ जाना चाहता हूं, क्योंकि समय व्यर्थ नष्ट करना हम भी नहीं चाहते। अपनी पार्टी की ओर से मैं इसका समर्थन करता हूं कि जो संशोधन माननीय धर्म सिंह जी ने पेश किया है हम उसका साथ देना चाहते हैं और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी कम से कम इसको समझ कर के स्वीकार कर लेंगे।

श्री वीरसेन--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह जितने टैक्स इस बिल के मातहत लगे हैं ऐसा मालूम होता है कि अब कोई और गुन्जायश नहीं थी कि कोई टैक्स लग सकता। मेरा यह ख्याल है कि यह चीजें जो इन दोनों क्लाजेज़ में हैं, जो कि पब्लिक ड्यूटीज़ में शामिल हैं और उसके लिये तो जो कोई भी पब्लिक बाडी हो उनके ऊपर इस बात की ज़िम्मेदारी है कि वे इन कामों को करें। मैं नहीं समझता कि आख़िर और टैक्स जो वसूल किये जा रहे हैं वह किस लिये हैं। मेरा ख्याल है कि जितने भी गांव पंचायत के काम हैं उन सब में एक-एक अहम और मोस्ट इम्पार्टेंट काम है। और जितने दूसरे काम हैं स्कूल का बनाना, या बाहरी सड़कों का बनाना, उनको तो रोका जा सकता है, लेकिन इस काम को तो सब से पहले करना चाहिये और इस काम के लिये मेरी राय यह है कि टैक्स वसूल नहीं होना चाहिये।

दूसरी चीज़ यह है कि क्लीनिंग प्राइवेट लैट्रिन्स ऐन्ड ड्रेन्स, जहां तक इसका संबंध है यह बात तो समझ में आती है कि अगर कोई प्राइवेट लैट्रिन साफ करना चाहता है तो इसकी ज़िम्मेदारी उसकी होती है कि वह उसके लिये टैक्स दे या उसका पैसा दे और उससे लेना चाहिये। लेकिन जो पब्लिक ड्रेनेज है उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाय तो यह बात तो सही नहीं मालूम होती है। लेकिन अगर इस (*i*) को नहीं निकालते हैं तो जो दूसरा हिस्सा है उसको तो अवश्य निकाल दें। इतना ज़रूर आप मंजूर कर लें। पहले हिस्से में तो यह है कि....

"a tax for cleaning private latrines and drains payable by the owners or occupiers of the houses to which the private latrines or drain is attached, where such cleaning is done through the agency of the Gaon Sabha".

जो लोग प्राइवेट लैट्रिन वगैरह साफ करायें गांव सभा की एजेन्सी द्वारा उनसे गांव पंचायत को ज़रूर टैक्स लेना चाहिये। लेकिन अगर नालियां वगैरह बनायी जाती हैं तो उन पर टैक्स नहीं लेना चाहिये।

जहां तक (*j*) का ताल्लुक़ है, वहां तक माननीय मंत्री जी सहमत हैं ही और माननीय सदन भी इस राय से मुत्तफिक है कि उसे निकाल देना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे मान लेंगे।

राजा वीरेन्द्रशाह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब बहस बन्द की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्मसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जब मैंने यह संशोधन पेश किया था तब बहुत सी बातें कहीं। हो सकता है कि जो कुछ उन्होंने कहा ठीक कहा, लेकिन मेरा तो निवेदन यह है कि जब आप चारों तरफ टैक्स लगा रहे हैं और टैक्स लगाने से जो रुपया उसमें आयेगा आप उस रुपये को लैटरीन के काम में या ड्रेन के काम पर, या जो लाइटिंग होगी उस पर नहीं खर्च करना चाहते हैं।

प्रश्न तो यह केवल है कि एक पब्लिक फंड होगा और दूसरा इस तरह का फंड होगा जो इसके द्वारा आयेगा। तो जो पब्लिक फंड है वह किस काम में इस्तेमाल करेंगे यह मेरी समझ में बिलकुल नहीं आया। मैं इतना कहते हुए इस सदन के माननीय सदस्यों से यही प्रार्थना करूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और यदि आप इसको स्वीकार करते हैं तो यह हम सब के लिए अच्छा है, उस गांव पंचायत के लिए अच्छा है, इसमें सब का लाभ है और अगर माननीय मंत्री जी इसको नहीं मानते हैं तो मुझे वापस ही लेना पड़ता है।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बदकिस्मती है कि मैं अपनी बात समझा नहीं सका और अगर सदन की यही राय है तो (*j*) को डिलीट कर दिया जाय और (*i*) रहने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 की उपधारा (1) का भाग (*i*) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खड २८ में प्रस्तावित धारा 37 की उपधारा (1) का भाग (j) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—मैं उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २३५-२५२ पर)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
१२ मई, १९५४।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६५ पर)

दिसम्बर, सन् १९५३ तथा जनवरी, १९५४ में बस्ती जिले के विभिन्न इम्पोर्टरों के पास नमक के स्टाक का विवरण पत्र

इम्पोर्टर का नाम	दिसम्बर, १९५३ बोरे	जनवरी, १९५४ बोरे
१—सर्वश्री केदार नाथ गोकुल चन्द्र, नौगढ़		२३६
२—लाला सुन्दर लाल, बस्ती	३५४	११८
३—सर्वश्री घासी राम मंगनी राम, बढ़नी	३५४	..
४—,, मदन लाल, बभानन्न	४७२	२३६
५—श्री राम लाल, बस्ती	४७२	..
६—,, अब्दुल, खलीलाबाद	७३८	४७२
७—डी० सी० डी० एफ० बस्ती	१,२९८	..
८—श्री हरनाथ, बस्ती	२४६	४६२
९—सर्वश्री मुन्नालाल शिवप्रताप, शोहरतगढ़	७७५	४७२
१०—श्री तिलक राज चड्ढा, बस्ती	११८	..
११—सर्वश्री ज्ञान दास अजोध्या प्रसाद, बस्ती	११८	..
१२—श्री केदार नाथ चौबे		११८
१३—सर्वश्री हरदयाल रामेश्वर मल, बढ़नी	७०८	२३६
१४—सर्वश्री लक्खीचन्द्र राम कुमार, उसका	७३०	११८
१५—डी०सी० सी० स्टोर, बस्ती		३५४
१६—श्री सत्य नारायण शोहरतगढ़	२३६	४७२
१७—सर्वश्री जगत राम मुन्नी लाल, बस्ती	४७२	..
१८—श्री बी० एम० त्रिपाठी, बस्ती	९४४	९४४
१९—सर्वश्री मल्टी परपज सोसाइटी, मगहर	३५४	११८
२०—,, मोहन लाल हीरालाल, खलीलाबाद	३५४	..
२१—,, भगवान दास जोखू प्रसाद, खलीलाबाद	२३६	२३६
२२—,, ब्योपार संघ लिमिटेड, बस्ती	८२६	८२६
योग	११,०४१	५,३००

नमक के फुटकर विक्रेताओं की सूची जिनको जिला सप्लाई अफसर, बस्ती द्वारा दिसम्बर, १९५३ तथा जनवरी, १९५४ में परमिट दिया गया—

फुटकर विक्रेता	स्थान
दिसम्बर, १९५३	
१—श्री राम लाल	.. सगरा
२—,, शेर बहादुर	.. सगरा
३—,, जाद नन्दन	.. नरखोरिया

फुटकर विक्रेता		स्थान
४—श्री तामेश्वर	..	बस्ती
५—,, अब्दुल रहमान	..	डुमरिया गंज
६—,, दया राम	..	भानपुर
७—,, सुक्खू	..	डुमरिया गंज
८—,, अयोध्या प्रसाद	..	,,
९—,, नारायण	..	पक्का बाजार
१०—,, दरगही लाल गुप्ता	..	डुमरियागंज
११—,, मुहम्मद यूसुफ	..	कराही
१२—,, रूप नारायण	..	डुमरियागंज
१३—,, हरद्वार राम सुन्दर	..	,,
१४—,, उमाशंकर	..	,,
१५—,, शिव शंकर	..	,,
१६—,, रामसेवक	..	माली मेनाहा
१७—श्रीमती कल्पा देवी	..	रामवापुर
१८—श्री राम फल राम	..	हलौर
१९—,, राम प्यारे	..	चिताही
२०—,, छोटे लाल	..	बंसी
२१—,, प्रताप	..	,,
२२—,, जेनरल स्टोर्स	..	अदादमन
२३—,, ,, ,,	..	रूदौली
२४—,, शुगर मिल्स	..	बस्ती
२५—,, जगदीश चन्द्र विजयकुमार	..	बंसी
२६—,, श्याम लाल	..	,,
२७—,, शम्शुल हक	..	,,
२८—,, निजामुल हक	..	,,
२९—,, कल्लन	..	,,
३०—,, नवलकिशोर	..	,,
३१—,, गोपी किशन	..	,,
३२—,, इसमाइल	..	,,
३३—,, हाफिज उल्लाह	..	,,
३४—,, बीर भद्र तिवारी	..	खलीलाबाद
३५—,, जवाहर लाल	..	हरैया
३६—,, भगवती	..	,,
३७—,, ज्ञानदास द्वारिका प्र०	..	,,
३८—,, भगवती	..	,,
३९—,, ज्ञान दास	..	,,
४०—,, मुरारी लाल	..	बंसी
४१—,, सुमेश्वर	..	,,
४२—,, विशेश्वर	..	,,
४३—,, राम देव	..	करहैया बाजार
४४—,, बाल मुकुन्द	..	डेरई
४५—,, राम कुमार	..	पूरे हिन्दू

उत्तर प्रदेश विधान सभा

फुटकर विक्रेता		स्थान
४६—श्री राम मिलन	..	पूरे हिन्दू
४७—,, सिद्धू राम	..	बसौखा
४८—,, चिन्ता राम	..	,,
४९—,, मुहम्मद हनीफ	..	बांसडीला
५०—,, श्रीमती तप्पा देवी	..	बंसी
५१—,, श्री हीरा राम मोती राम	..	वाल्टर गंज
५२—,, भीम सेन तारा चन्द	..	,,
५३—,, हीरा लाल	..	पिरैला
५४—,, राम सुरेमन	..	बनतिकरा
५५—,, राम नारायण	..	भानपुर
५६—,, राम समुझ	..	डुमरियागंज
५७—,, मुनेश्वर राम	..	खखरू
५८—,, दुखी राम	..	डुमरियागंज
५९—,, देव नारायण सिंह	..	गोथवा
६०—,, रहमान	..	हतवा
६१—,, इमाम अली	..	,,
६२—,, राम अचल	..	हरैया
६३—,, नसीबदार	..	डुमरियागंज
६४—,, जगनारायण	..	अमा बाजार
६५—,, राम धनी	..	महादेव
६६—,, शिव धनी	..	दोकम अरूवा
६७—,, हरधनी	..	डुमरियागंज
६८—,, सोम दत्ता	..	,,
६९—,, समी उल्लाह	..	रमजान नगर
७०—,, गोपी किशन	..	सियापुर
७१—,, चिन्कन	..	पंचगांव
७२—,, इसमाइल	..	देवलीहवा
७३—,, राम शंकर	..	बिर्दपुर
७४—,, रहमत उल्लाह	..	टिकौरह
७५—,, गोबरधन दास	..	माधो नगर
७६—,, अब्दुल गफ्फार	..	सिकोटवा
७७—,, निजामुल हक	..	बिर्दपुर
७८—,, अब्दुल ओफ	..	उसका
७९—,, नवलकिशोर	..	रमवापुर
८०—,, मुहम्मद हुसेन	..	बेलसर
८१—,, भागीरथी	..	सिसवाग्रान्त
८२—,, किताबुल्लाह	..	वासलात पुर
८३—,, दोस्त मुहम्मद	..	टेटरी
८४—,, विशेश्वर	..	नौगढ़
८५—,, शौकत अली	..	टेटरी
८६—,, यहसानुल्लाह	..	खजुरी
८७—,, अब्दुल हई	..	रमजान नगर
८८—,, मुहम्मद अली	..	रोहदिला

उत्तर प्रदेश विधान सभा

फुटकर विक्रेता		स्थान
८९—श्री शम्शुल हक	..	बिर्दपुर
९०—श्री दुखी राम	..	नौगढ़
९१—श्री दुखरन	..	"
९२—श्रीमती श्यामरानी देवी	..	देवरा
९३—श्री राम समुझ भुज	..	डुमरियागंज
९४—श्री वासदेव राम	..	"
९५—श्री राम सुन्दर	..	"
९६—श्री ओरी लाल	..	"
९७—श्री लक्ष्मी प्रसाद	..	"
९८—श्री राम तेज	..	"
९९—श्री पन्ना लाल	..	बंसी
१००—श्री राम देव राम गंगा प्रसाद	..	पान्डे बाजार
१०१—श्री छेदी लाल	..	पाकर
१०२—श्री राम देल राम दुलारे	..	नागर
१०३—श्री बदलू राम	..	पान्डे बाजार, बस्ती
१०४—श्री द्वारिका नाम मिश्र	..	"
१०५—श्री मोती राम	..	मंझारी
१०६—श्री नसीबदार	..	लप्सी
१०७—श्री अब्दुल रहमान	..	बासा
१०८—श्री मंगल	..	पेन्हा
१०९—श्री किशोरी लाल	..	दुधराचे
११०—श्री राम अचल	..	सरवालिया
१११—श्री बद्री प्रसाद	..	नई बाजार
११२—श्री राम देव	..	कनगई बुजुर्ग
११३—श्री अजमत	..	मौसिम
११४—श्री भग्गन	..	पकरी चली
११५—श्री राम प्यारे	..	डुमरियागंज
११६—श्री बद्री प्रसाद	..	मंझारी
११७—श्री निवार राम	..	चौखोरा
११८—श्री अशर्फी	..	सोहना
११९—श्री राम देव	..	जुलाहा भरी
१२०—श्री भगवानदास उमर	..	बिर्दपुर
१२१—श्री राम औतार	..	फलाकली
१२२—श्री बदलू	..	कोल्होई
१२३—श्री इबारत	..	सेहरीपाल
१२४—श्री गोम्ती	..	रुधौली काजी
१२५—श्री छोटे लाल	..	बस्ती
१२६—श्री बल्देव	..	पान्डे बाजार
१२७—श्री नसीबदार	..	रसूलपुर
१२८—श्री राम दास	..	गायघाट
१२९—श्री राम लखन	..	असनहरा
१३०—श्री रमा कान्त	..	बहरादरी
१३१—श्री बच्चू लाल	..	पान्डे बाजार

उत्तर प्रदेश विधान सभा

फुटकर बिक्रेता		स्थान
१३२—श्री गिरधारी लाल	..	बस्ती
१३३—श्री राम नारायण	..	लंगरा बार
१३४—श्री राम नरेश	..	तिलजा
१३५—श्री भगवानदास	..	असनार खास
१३६—श्री शाह मुहम्मद	..	फसादीपुर
१३७—श्री वली मुहम्मद	..	बिहौरी
१३८—श्री लक्ष्मी साहू	..	शाहपुर
१३९—श्री भगवती	..	कोठिली
१४०—श्री मोती	..	सरवर कलां
१४१—श्री गुर प्रसाद	..	धौशारी
१४२—श्री बजरंग लाल	..	शाहपुर
१४३—श्री मोहन लाल	..	धौहरी
१४४—श्री भग्न राम	..	सेमरा
१४५—श्री हरी राम	..	पिपरा गौतम
१४६—श्री कन्हैया	..	,, ,,
१४७—श्री राम लखन	..	पिपरा
१४८—श्री ब्रज भूषण	..	धनोघे
१४९—श्री महादेव प्रसाद	..	पिपरा गौतम
१५०—श्री जगेश्वर राम	..	,, ,,
१५१—श्री जगदीश चन्द्र विजय कुमार	..	टेटरी
१५२—श्री श्याम लाल	..	,,

जनवरी, १९५४

१—श्री अब्दुल हकीम	..	बंसी
२—श्रीमती रशीदा	..	,,
३—,, मिश्र	..	,,
४—श्री कोदई मिश्र	..	,,
५—श्री चंगुर	..	डोमरियागंज
६—श्री राम लाल	..	,,
७—श्री दीवान सिंह	..	बस्ती
८—श्री भगोती	..	डोमरियागंज
९—श्री धुनमुन	..	,,
१०—श्री मिश्री लाल	..	हेरइया
११—श्री राम नारायण लाल	..	,,
१२—सर्वश्री ओरी लाल सीताराम	..	,,
१३—श्री रजई	..	,,
१४—श्री द्वारिका	..	,,
१५—श्री भगवान दास	..	,,
१६—श्री नीवर राम	..	,,
१७—श्री बाल राम दास	..	नवगढ़
१८—श्री अब्दुल गफ्फार	..	सीकोटवा

विधान परिषद

फुटकर बिक्रेता		स्थान
१९—श्री रहेमतउल्ला	..	पिकौरा
२०—,, गोवरधन दास	..	मधवानगर
२१—,, चिनकन	..	पचगांव
२२—,, अस्लम	..	सीपुरा
२३—,, लाल मुहम्मद	..	फ़सीदीपुर
२४—,, धुरहू	..	माधोनगर
२५—,, धिराऊ	..	वंसी
२६—,, महावीर	..	खलीलाबाद
२७—,, रामलाल	..	डोमरियागंज
२८—,, नीवर	..	चोखरा
२९—,, राम आसरे	..	क्योटाली
३०—,, राम सुरीमन	..	वंटीकरा
३१—,, शिवनारायण	..	तिलगढ़या
३२—,, बलवंत सिंह	..	धिवरवा
३३—,, करतार सिंह	..	मोहन कोला
३४—,, इबारक उल्ला	..	सिसबा
३५—,, बलदेव सिंह	..	वरगदवा
३६—,, इशहाक़	..	जोग कुन्डा
३७—,, लाडू राम	..	कनकटी
३८—,, राम अधारे	..	दरोगजोत
३९—,, गुदुर प्रसाद	..	पारसा हुसेन
४०—,, जग नारायण	..	,,
४१—,, पंटी राज	..	पेन्डा
४२—,, रंगी लाल	..	पारसा हुसेन
४३—,, भगवान प्रसाद	..	डोमरियागंज
४४—,, मुन्ना प्रसाद	..	,,
४५—,, मोहम्मद यूसुफ	..	,,
४६—,, अब्दुल गफ्फार	..	वंसी
४७—श्रीमती कालती	..	उसका
४८—श्रीमती दुलारी	..	,,
४९—,, तीरथ	..	,,
५०—,, राम समुझ	..	डोमरियागंज
५१—,, दुखी राम	..	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १७४ पर।)

राजकीय चिकित्सालय	अन्य चिकित्सालय
एलोपैथिक चिकित्सालय	
१ जिला अस्पताल, मुरादाबाद ..	१ एलोपैथिक चिकित्वसालय (पुरूष) चंदौसी
२ विक्टोरिया स्त्री चिकिसालय, मुरादाबाद	२ ,, ,, (स्त्री) ,,
३ पुलिस अस्पताल, मुरादाबाद ..	३ ,, ,, (पुरुष) अमरोहा
४ जेल अस्पताल, मुरादाबाद ..	४ ,, ,, (स्त्री) ,,
५ पी० एस० सी० अस्पताल, ..	५ ,, ,, सम्भल
६ राजकीय अस्पताल, रजवपुर ..	६ ,, ,, मुन्डापाडें
७ राजकीय अस्पताल, शोजपुर ..	७ ,, ,, हसनपुर
८ ,, ,, तिलारा ..	८ ,, ,, धनौरा
९ ,, ,, सुल्तानपुर ..	९ ,, ,, कांठ
१० स्त्री चिकित्सालय, हसनपुर ..	१० ,, ,, मंवाई
११ राजकीय चिकित्सालय, दोस्तपुर ..	११ ,, ,, अछरौना
	१२ ,, ,, कटघर
	१३ ,, ,, सलेमपुर
	१४ ,, ,, वितारा
	१५ ,, ,, राजा का सहसपुर
	१६ ,, ,, गंगसारा
	१७ ,, ,, सुरज नगर
	१८ ,, ,, ठाकुरद्वारा
आयुर्वेदिक चिकित्सालय	
१ कुडरकी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, .. अकराला	१ सेवा समिति मुरादाबाद तिलक धर्मार्थ औषधालय, मुरादाबाद।
२ सेदरा ,, ,, ..	२ आर्य धर्मार्थ औषधालय अमरोहा, जिला मुरादाबाद।
३ पवाँस ,, ,, ..	३ आलक्षमा नारायण वैद्य मन्डी सुअनारा, धनौरा, मुरादाबाद।
४ गजरौसी ,, ,,	
यूनानी चिकित्सालय	
१ सिरसा यूनानी चिकित्सालय	
२ सहसपुर ,, ,,	

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ २२७ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम तथा भौमिक अधिकार से सम्बद्ध अन्य विधियों को संशोधित करने का

उत्तर प्रदेश अधिनियम १,१९५१ ।

विधेयक

यह आवश्यक है कि यहां आगे चलकर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम तथा भौमिक अधिकार से सम्बद्ध अन्य विधियों को संशोधित किया जाय ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १,१९५१ ।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार (extent) उन क्षेत्रों को छोड़कर जो ७ जुलाई, १९४९ ई० को यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के अधीन किसी म्युनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया के या कैन्टूनमेंट्स ऐक्ट, १९२४ के अधीन कैन्टूनमेंट के अथवा यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के अधीन किसी टाउन एरिया के अन्तर्गत थे, समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (जिसे आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में इस अधिनिम के निदेश (provisions) ऐसे अपवादों अथवा परिष्कारों के अधीन होंगे (shall be subject to such exceptions or modifications) जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता हो, और जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित करके निर्दिष्ट करे ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा किन्तु मूल अधिनियम की धारा २ में निर्दिष्ट क्षेत्रों में यह उपधारा (२) के अधीन ऐसे किसी अपवाद अथवा परिष्कार के अधीन ऐसे दिनांक को प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिये और इस अधिनियम के विभिन्न निदेशों के लिए विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १,१९५१ की धारा २ का संशोधन

२—मूल अधिनियम की धारा २ की उपधारा (१) के खंड (ड) के वर्तमान उपखंड (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(४) कोई क्षेत्र जो प्राविंसेज ऐंड स्टेट्स (एवसार्प्शन आफ इंक्लेव्ज आर्डर) १९५० में परिभाषित किसी इंक्लेव (अन्तर क्षेत्र) के जो उक्त आर्डर के अधीन संयुक्त प्रांत में मिला लिया गया हो, ५ जनवरी, १९५० को अन्तर्गत था, अथवा"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ३ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में :

(क) खंड २२ के पश्चात् निम्नलिखित खंड २२-क के रूप में रख दिया जाय :

"(२२-क) "स्वीकृत शिक्षा संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी शिक्षा संस्था अथवा शिक्षा संस्थाओं के वर्ग से है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस रूप में प्रख्यापित करे,

(ख) खंड (२८) के अन्त में पूर्ण विराम (फुलस्टाप) के स्थान पर अर्ध विराम (सेमीकोलन) रख दिया जाय और उसके पश्चात् शब्द "और" रख दिया जाय, और

(ग) खंड (२८) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (२९) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

(२९) भाग १ में जहां भी "अधिकार अभिलेख" (record of rights) का प्रसंग आया हो उसके अन्तर्गत यथावश्यक यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३३ के अधीन तैयार किये गये "ऐनुअल रजिस्टर्स" (वार्षिक रजिस्टर) का भी प्रसंग हैं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २० का संशोधन।

४—(१) मूल अधिनियम की धारा २० में:—

(क) —खंड (क) उपखंड (१) में शब्द "उपधारा (ख) के खंड (१)" के स्थान पर शब्द "खंड (ख) के उपखंड (१)" रख दिया जाय,

(ख) खंड (क) के उपखंड (२) में शब्द "उपधारा (ख) के खंड (१) के" स्थान पर शब्द "खंड (ख) उपखंड (१)" रख दिये जायं, और

(ग) खंड (ख) के उपखंड (१) में संख्या "३२" के स्थान पर संख्या "३३" रख दी जाय।

(२) निहित होने के दिनांक से ठीक पूर्व के दिनांक पर यू० पी० टेनेन्सी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड (Proviso) में अभिदिष्ट भूमि के अध्यासी (occupant) के रूप में अभिलिखित कोई व्यक्ति मूल अधिनियम की धारा २० के खंड (ख) के उपखंड (१) के अधीन ऐसी भूमि का अधिवासी नहीं हो सकेगा, अतएव उक्त उपखंड में कोष्टक में आये शब्द "लागू होती है" के पश्चात् शब्द "अथवा जो यू० पी० टेनेन्सी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट भूमि से भिन्न हो" बढ़ा दिये जायं और इस प्रकार किये गये संशोधन के विषय में यह समझा जायगा कि वह मूल अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रभावशाली था।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २१ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा २१ में :

(१) उपधारा (१) के खंड (ज) से शब्द "धारा १० की उपधारा (२) में या" तथा शब्द "के खंड (ड)" निकाल दिये जायं।

(२) उपधारा (१) के खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (झ) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(झ) यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा २५२ की उपधारा (१) के अन्तर्गत किसी न्यायालय द्वारा पट्टे (lease) के अधीन पट्टेदार (lessee)"

(३) उपधारा (२) में शब्द "भूमि पर" और "कब्जा" के बीच में शब्द "वर्षानुक्रम से आसामी के रूप में" रख दिये जायं।

६—मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (१) का खंड (ख) निकाल दिया जाय। उत्तर प्रदेश अधिनियम १,१९५१ की धारा २३ का निकाला जाना

७—मूल अधिनियम के अध्याय २ के पश्चात् निम्नलिखित नये अध्याय २ "क" के रूप में रख दिया जाय: उत्तर प्रदेश अधिनियम १,१९५१ में नये अध्याय 'क' का रखा जाना।

"अध्याय २ क

इवैकुई प्रापर्टी (निष्क्रांत सम्पत्ति)

२६—(क) इस अध्याय तथा अनुसूची ५ में विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, शब्द और पद "कस्टोडियन", "इवैकुई" और "इवैकुई प्रापर्टी" का वही अर्थ होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० में क्रम से (Custodian Evacuee) और (Evacuee Property) का है। परिभाषायें। अधिनियम की इवैकुई प्रापर्टी पर प्रवृत्ति।

२६—ख—इस अधिनियम के निदेश इवैकुई प्रापर्टी पर अनुसूची ५ में दिये गये संशोधनों के अधीन प्रवृत्त होंगे।"

८—मूल अधिनियम की धारा ८२ की उपधारा (२) से शब्द "अधिकार अभिलेख (record of right) के संगत उद्धरण (relevant extracts) और "निकाल दिये जाय। उत्तर प्रदेश अधिनियम १,१९५१ की धारा ८२ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा ११७ में—
(क) मद (४) निकाल दी जाय, और
(ख) दूसरे प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय: उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ११७ का संशोधन।

"और यह भी प्रतिबन्ध है कि राज्य सरकार इस धारा के अधीन किसी उपर्युक्त भूमि अथवा वस्तु के विषय में सामान्यता अथवा किसी गांव समाज के सम्बन्ध में किसी भी समय इस ही प्रकार विज्ञप्ति को संशोधित अथवा निरस्त कर सकती है अथवा ऐसी भूमि अथवा वस्तु को अपने अधिकार में वापस ले सकती है (resume) और जब भी राज्य सरकार भूमि अथवा वस्तु को इस प्रकार अपने अधिकार में वापस लेवें तो गांव समाज को भूमि में या उस पर किये गये विकास के प्रतिकर अतिरिक्त यदि कोई हो, उक्त प्रकार वापस लेने के निमित्त कोई प्रतिकर पाने का अधिकार न होगा और न उसको कोई प्रतिकर दिया जायगा।

१०—मूल अधिनियम की धारा ११७—क की उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (५) के रूप में बढ़ा दिया जाय :— उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा ११७ (ग) का संशोधन।

"(५) धारा ११७ की उपधारा (१) के प्रथम और द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंडों के निदेश आवश्यक परिवर्तनों सहित उपधारा (१) के अधीन स्थानिक अधिकारिकी में निहित भूमि तथा अन्य वस्तुओं की वापसी के विषय में प्रवृत्त होंगे।"

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा ११८ का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा ११८ की उपधारा (१) में शब्द "प्रबन्धक" और शब्द "और" के बीच में अर्धविराम चिन्ह (कामा) और तत्पश्चात् शब्द "संरक्षण" रख दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा ११९ का संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा ११९ में शब्द "अधीक्षण" और शब्द "और" के बीच में अर्धविराम चिन्ह (कामा) और तत्पश्चात् शब्द "संरक्षण" रख दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ म नयी धारा १२३—क का रखा जाना।

१३—मूल अधिनियम की धारा १२४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १२३—क के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"१२३—क—(१) इस अधिनियम के अधीन संगठित गांव पंचायत, किसी संयुक्त समिति अथवा अन्य किसी समिति का प्रत्येक सदस्य इस अधिनियम के अधीन गांव समाज में निहित किसी भी सम्पत्ति के खोने, ह्रास (waste) अथवा दुरुपयोग के लिये उत्तरादायी होगा यदि ऐसा खोना, ह्रास अथवा दुरुपयोग उसके गांव पंचायत, संयुक्त समिति अथवा अन्य समिति के सदस्य होते हुए उसकी उपेक्षा अथवा मिथ्याचार (neglect or misconduct) का फल हो और नियत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके उसके विरुद्ध गांव पंचायत द्वारा प्रतिकर के लिए वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।

(२) यदि नियत अधिकार की उपधारा (१) के अधीन वाद प्रस्तुत करने की स्वीकृति दे देती है, अथवा स्वीकृति नहीं देती है तो सम्बद्ध सदस्य अथवा गांव पंचायत जैसी भी दशा हो, ऐसी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से ३० दिन के भीतर राज्य सरकार के पास अथवा नियत अपील अधिकारी (prescribed appellate authority) के पास उक्त स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर सकता है अथवा कर सकती है।

(३) राज्य सरकार स्वयमेव उपधारा (१) में उल्लिखित वाद प्रस्तुत कर सकती है।"

गांव पंचायत की सम्पत्ति अथवा धन के खोने, ह्रास अथवा दुरुपयोग के निमित्त दंड।

१४—मूल अधिनियम की धारा १२८ की उपधारा (२) में (१) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (च) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(च) दुराचरण (misbehaviour) के कारण भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों अथवा सभापति (chairman) का मुअत्तल किया जाना (suspension) अथवा हटाया जाना (removal)"

(२) खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (टट) के रूप में रख दिया जाय:

"(टट) गांव समाज में निहित भूमियों और वस्तुओं की क्षति और उन पर अनधिकार कब्जे (encroachments) के अवधारण की, अनधिकार कब्जे को हटाने की तथा क्षति के लिए प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान की सरसरी प्रक्रिया।"

१५—मूल अधिनियम की धारा १३४ की उपधारा (१) में वर्तमान स्पष्टीकरण को पुनः परिगणित करके "स्पष्टीकरण १" के रूप में रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में रखा जाय :

"स्पष्टीकरण २—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, निहित होने के दिनांक से ठीक पूर्व के दिनांक पर सीरदार द्वारा देय लगान निम्नलिखित होगा :

(क) धारा २४६ की उपधारा (१) के खंड (क) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट भूमि के सम्बन्ध में सभी वृद्धियों (increases) को कार्यान्वित करने के पश्चात् उपलब्ध धनराशि और

(ख) उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर धारा २४७ का प्रतिबन्धात्मक खंड प्रवृत्ति होता हो, उस धारा के अधीन मौरूसी दरों (hereditary rates) पर अवधारित धनराशि ।"

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा १३४ का संशोधन।

१६—मूल अधिनियम की धारा १३७ के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में रख दिया जाय :

"और प्रतिबन्ध यह है कि धारा १३४ के स्पष्टीकरण २ में अभिदिष्ट दशाओं में सीरदार उस अवधि के लिए जबकि धारा २४६ या २४७ के अनुसार कम की हुयी धनराशि देय हो, समय-समय पर देय नराशि के आधे का देनदार होगा ।"

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा १३७ का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा १३९ में :

(१) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय, और

(२) निम्नलिखित तीसरे प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"और प्रतिबन्ध यह भी है कि धारा २४७ के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट दशाओं में राज्य सरकार को देय धनराशि, सभी वृद्धियों (increases) कार्यान्वित करने के पश्चात् खाते के देय मालगुजारी की दसगुनी होगी और प्रमाण पत्र (certificate) मिलने पर अथवा उसके पश्चात् देय मालगुजारी प्रत्येक कृषि वर्ष के लिये देय मालगुजारी की आधी होगी ।"

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा १३९ का संशोधन।

१८—मूल अधिनियम की धारा १४० के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १४०-क के रुप में बढ़ा दिया जाय :

१४०-क—संयुक्त प्रांतीय कश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान, १९४९ ई० की धारा ३-क की उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार जब किसी शिकमी काश्तकार ने क्षेत्रपति द्वारा भूमि के लिए देय लगान का १५ गुना जमा कर दिया हो, और उक्त विधान (ऐक्ट) की धारा ६ के अधीन उसे प्रख्यापन (declaration) मिल चुका हो तो राज्य सरकार उस व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर जो उक्त धारा ३-क की उपधारा (२) के अधीन रुपया जमा करने के प्रार्थना-पत्र के दिनांक पर उनका क्षेत्रपति था, उसको उस प्रकार जमा की हुयी धनराशि की एक तिहाई धनराशि दे देगी ।"

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा १४०-क का रक्खा जाना ।

क्षेत्रपति को प्रतिकर का भुगतान ।

१९—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १५३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

१५३—(१) जब तक कि इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट व्यवस्था न की गयी हो सीरदार अथवा असामी के स्वत्व का संक्रमण न हो सकेगा ।

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा १५३ का रखा जाना।

सीरदार अथवा असामी के स्वत्व का क्रम न हो सकेगा ।

(२) कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन की शिक्षा देने के प्रयोजन के लिये किसी स्वीकृत शिक्षा संस्था को, सीरदार दान द्वारा अपनी भूमि का संक्रमण कर सकता है ।

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ में नयी धारा १५३-क का रखा जाना ।

२०—मूल अधिनियम की धारा १५३ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १५३-क के रूप में रख दिया जाय :

१५३-क—यदि दो या दो से अधिक सीरदारों के पास संयुक्त रूप से कोई खाता हो तो उनमें से कोई (relinquishment) एक या एक से अधिक किसी दूसरे अथवा किन्हीं दूसरों के पक्ष में अपना अथवा अपने स्वत्व का परित्याग कर सकता है अथवा कर सकते हैं ।

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा १५४-क संशोधन ।

२१—मूल अधिनियम की धारा १५४ में शब्द "पक्ष में" और शब्द "कोई" के बीच में शब्द "चाय के बाग से भिन्न भूमि का" रख दिये जायं ।

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की १५६ का संशोधन ।

२२—मूल अधिनियम की धारा १५६ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(१) कोई भूमिधर, सीरदार अथवा असामी निम्नलिखित दशाओं को छोड़कर अपने खाते की भूमि लगान पर किसी अवधि के लिये नहीं उठायेगा :

(क) धारा १५७ में व्यवस्थित दशाओं में अथवा

(ख) कृषि उद्यानकरण अथवा पशुपालन की शिक्षा देने के लिये किसी स्वीकृत शिक्षा संस्था को ।

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा १७८ से १८२ तक का निकाला जाना ।

२३—मूल अधिनियम की धाराएं १७८ से १८२ तक निकाल दी जायं ।

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ में नयी धारा १८७-क का रखा जाना

२४—मूल अधिनियम की धारा १८७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १८७-क के रूप में रख दी जाय:

"१८७—क (१) सूचना मिलने पर अथवा अन्य किसी प्रकार जब कलेक्टर यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी भूमिधर अथवा सीरदार के खाते में सम्मिलित भूमि लगातार विगत ३ वर्षों से कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन के, जिनमें मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है, प्रयोजनों के लिए प्रयोग में नहीं लायी गयी है तो जब तक धारा १४३ के अधीन तत्सम्बन्धी प्राख्यापन न प्राप्त कर लिया जाय भूमिधर अथवा सीरदार से इस बात का कारण बताने को कहा जा सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को वह भूमि कृषि के प्रयोजनों के लिए लगान पर क्यों न उठा दी जाय ।

(२) उपधारा (१) के अधीन नोटिस में, भूमि के उपर्युक्त प्रयोग में न लाये जाने पर विश्वास करने के कारण वह अवधि जिसके लिए उसे असामी को उठाये जाने का प्रस्ताव है तथा अन्य ऐसे ब्योरे जो कलेक्टर की राय में सम्बद्ध भूमिधर अथवा सीरदार की सूचना के लिये आवश्यक हों उल्लिखित होंगे ।

(३) यदि भूमिधर अथवा सीरदार उपस्थित होकर कलेक्टर को संतुष्ट कर देता है कि :

(क) भूमि का प्रयोग उपधारा (१) में उल्लिखित अवधि के भीतर कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन के जिनमें मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन भी सम्मिलित हैं, प्रयोजनों के लिए हुआ है,

(ख) उसके इस भूमि को इस प्रकार प्रकोग में न लाने का पर्याप्त कारण था, अथवा

(ग) वह उपधारा (१) में उल्लिखित नोटिस की तामील के दिनांक से ६ मास के भीतर भूमि का प्रयोग कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन के, जिसमें मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन भी सम्मिलित हैं, प्रयोजन के लिए करेगा, अथवा धारा १४३ के अधीन प्रख्यापन प्राप्त कर लेगा ।

तो कलेक्टर खंड (क) और (ख) की दशा में तत्काल नोटिस विसर्जित (discharge) कर देगा और खंड (ग) की दशा में उक्त नोटिस की तामील के दिनांक से ६ मास के लिए आज्ञा को स्थगित कर देगा ।

(४) यदि भूमि उपर्युक्त किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग में आई हो तो उपधारा (३) के अधीन निश्चित अथवा अन्य किसी ऐसे दिनांक पर जिसपर मामले पर विचार किया जाय, कलेक्टर नोटिस विसर्जित (discharge) कर देगा, अथवा, यदि वह कारण अभिलिखित करके अधिक अवधि प्रदान न करे तो भूमि प्रबन्धक समिति को निर्देश करेगा कि वह नियत रीति तथा शर्तों के अनुसार किसी असामी को भूमि उठावे और धारा १३३ के खंड (ख) में वर्णित वर्ग के असामी से सम्बद्ध इस अधिनियम के सभी निदेश ऐसे असामी पर प्रवृत्त होंगे मानों उसे भूमिधर अथवा सीरदार ने स्वयमेव भूमि उठायी हो ।

(५) यदि उपधारा (१) के अधीन नोटिस के प्रत्युत्तर में भूमिधर अथवा सीरदार उपस्थित न हो और कलेक्टर ऐसी अन्य जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे संतुष्ट हो कि भूमिधर या सीरदार उपधारा (१) में अभिदिष्ट अवधि तक भूमि को उपर्युक्त प्रकार से प्रयोग करने में असफल रहा है, तो वह यदि नोटिस को विसर्जित करने का निर्णय न करे, भूमि प्रबन्धक समिति को नियत की जाने वाली रीति से तथा शर्तों पर किसी असामी को भूमि उठाने के लिये निर्देश कर सकता है, तथा धारा १३३ के खंड (ख) में वर्णित वर्ग के असामी से सम्बद्ध इस अधिनियम के सभी निदेश ऐसे असामी पर प्रवृत होंगे मानो उसे भूमिधर अथवा सीरदार ने स्वयमेव भूमि उठायी हो ।

(६) उपधारा (४) या (५) के अधीन असामी को भूमि उठाये जाने की निर्देश करने वाली आज्ञा के विरुद्ध कमिश्नर को अपील हो सकेगी ।

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा १९८ का संशोधन।

२५—मूल अधिनियम की धारा १९८ में:—

(१) उपधारा (१) में खंड (क) के पहले निम्नलिखित नये खंड (१-क) के रूप में रख दिया जाय—

"(१—क) कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन की शिक्षा देने प्रयोजनों के लिये, स्वीकृत शिक्षा संस्था,

(२) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(२) परगना अधिकारी उपधारा (१) के अधीन की गयी प्रदेशना (allotment) के विषय में नियत रीति से जांच स्वयमेव कर सकता है और उपधारा (१) के अधीन दी गयी गांव सभा की आज्ञा से विक्षुब्ध किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर तो उक्त जांच अवश्य ही करेगा, और यदि वह संतुष्ट हो कि गांव सभा ने तात्विक अनियमितता (substantial irregularity) से काम किया है अथवा अन्य किसी प्रकार इस अधिनियम के अधीन निदेशों के विरुद्ध कार्य किया है तो वह इस सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे।"

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा १, १९५१ की धारा २०२ का संशोधन।

२६—मूल अधिनियम की धारा २०२ में :

(१) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(ख) कि वह धारा २१ की उपधारा (१) के खंड (क), (ख) (ग) (ङ) (छ) तथा (झ) में अथवा उक्तधारा की उपधारा (२) में अथवा धारा १३३ के खंड (ग) या (घ) में उल्लिखित किसी वर्ग का है और उसके पास भूमि वर्षानुक्रम से (year to year) है या ऐसी अवधि के लिये है जो बीत गयी है या प्रचलित वित्तीय वर्ष (current financial year) के अन्त के पूर्व बीत जायगी।"

(२) खंड (च) में शब्द और संख्या "धारा २१" और शब्द "के खंड (ञ)" के बीच में शब्द "की उपधारा (१)" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम १,१९५४ की धारा २०९ का संशोधन।

२७—मूल अधिनियम की धारा २०९ में शब्द "भूमिधर, सीरदार, आसामी गांव सभा या कलेक्टर के, जैसी भी दशा हो, वाद पर बेदखल हो सकेगा और क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा" के स्थान पर शब्द "उक्त खंड (क) में अभिदिष्ट दशाओं में सम्बद्ध भूमिधर, सीरदार अथवा आसामी के, और उक्त खंड (ख) में अभिदिष्ट दशाओं में गाँव सभा अथवा कलेक्टर के वाद पर बेदखल हो सकेगा और क्षतिपूर्ति (damages) का भी देनदार होगा" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा २१२ का संशोधन।

२८—मूल अधिनियम की धारा २१२ के शब्द "कलेक्टर या" निकाल दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ में नयी धारा २१२-क का रखा जाना।

२९—मूल अधिनियम की धारा २१२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा २१२—क—के रूप में रख दिया जाय :

२१२—क—(१) कोई गांव सभा धारा २१२ के अधीन वाद प्रस्तुत करने के बजाय धारा २१२ में अभिदिष्ट भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति की भूमि से बेदखली के लिये प्रार्थना पत्र कलेक्टर को प्रस्तुत कर सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना पत्र उक्त धारा द्वारा प्रदत्त बाद के अधिकार को हटा कर न होगा किन्तु उससे अतिरिक्त होगा और उसमें नियत किये जाने वाले ब्योरे दिये जायेंगे।

सार्वजनिक उपयोग की भूमि से व्यक्ति की बेदखली के सम्बन्ध में सरसरी प्रक्रिया ।

(३) यदि प्रार्थनापत्र में दिये गये ब्योरों से तथा प्रार्थी के शपथ वक्तव्य (statement on oath) पर विचार करने के लिये पश्चात् कलेक्टर संतुष्ट हो कि कार्यवाही करने का पर्याप्त कारण है तो वह उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध प्रार्थना-पत्र दिया गया हो कलेक्टर द्वारा निश्चित अवधि के भीतर उपस्थित होने और इस बात का कारण बताने के लिए कि उसके विरुद्ध बेदखली की आज्ञा क्यों न दी जाय, आज्ञा देगा और उसमें अपने उक्त संतोष के कारण लिख देगा ।

(४) यदि उपधारा (३) के अधीन नोटिस के अनुसार वह व्यक्ति उपस्थित न हो अथवा उपस्थित हो किन्तु नोटिस पर विवाद (contest) न करे तो कलेक्टर भूमि से उसकी बेदखली की आज्ञा दे सकता है।

(५) यदि वह व्यक्ति उपधारा (३) के अधीन नोटिस के अनुसार उपस्थित हो और आपत्ति (objection) प्रस्तुत करे तो कलेक्टर गांव सभा और आपत्ति करने वाले की तथा उस सामग्री की, जो वे प्रस्तुत करें, सुनवाई करेगा।

(६) यदि ऐसी सुनवाई के पश्चात् कलेक्टर को संतोष हो कि धारा २१२ में अभिदिष्ट भूमि पर वह व्यक्ति खातेदार अथवा बागदार के रूप में प्रविष्ट (admit) किया गया था अथवा मध्यवर्ती होते हुये वह ८ अगस्त, १९४६ को अथवा उसके पश्चात् भूमि पर स्वयं खेती करने लगा या अथवा भूमि पर उसने बाग लगाया था तो वह उस व्यक्ति को ऐसा प्रति कर दिये जाने पर, जो नियत किया जाय, भूमि से बेदखल किये जाने की आज्ञा दे देगा ।

(७) यदि धारा २१२ के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया हो अथवा उक्त धारा के अधीन बेदखली की दी आज्ञा दी गयी हो तो वह पक्ष, जिसके विरुद्ध ऐसी आज्ञा दी गयी हो, अपने अधिकार को स्थापित करने के लिये वाद निविष्ट कर सकता है (may institute a suit) किन्तु वाद के फल को न बाधित करते हुये उपधारा (४) या (६) में दी गयी आज्ञा निर्णायक (conclusive) होगी।

उ० प्र० अधि नियम १,१९५१ की धारा २१५ का संशोधन।

३०—मूल अधिनियम की धारा २१५ के उपधारा (३) में शब्द "जो उक्त भूमि में लागू मौरूसी दरों के १३३ १/३ प्रतिशत के बराबर हो" के स्थान पर शब्द "जो उस भूमि पर लागू मौरूसी दरों से गणना की गयी धनराशि के दुगुने से अधिक न हो" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा २२९ का संशोधन।

३१—मूल अधिनियम की धारा २२९ में शब्द "वादी" के स्थान पर शब्द "गांव सभा" रख दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ में एक नयी धारा २२९ क-का जोड़ा जाना। खाते पर अनाधिकारप्रवेश।

३२—मूल अधिनियम की धारा २२९ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा २२९-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :

२२९-क—यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी खाते से या उसके किसी भाग से बेदखली की डिग्री या आज्ञा इस अधिनियम के या यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ के निदेशों के अधीन निष्पादित की जा चुकी हो, उक्त खाते पर इस प्रकार प्रवेश करे या प्रवेश करने की कोशिश करे, जो विधि के निदेशों के अधीन या अनुसार न हो, तो उसके विषय में यह समझा जायेगा कि उसमें इंडियन पेनल कोड की धारा ४४१ के अर्थ में काबिज व्यक्ति को धमकाने या परेशान करने के उद्देश्य से (with intent to intimidate o rannoy the person in possession) ऐसा किया है।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३२ का संशोधन।

३३—मूल अधिनियम की धारा २३२ की उपधारा (१) में संख्या और शब्द "१८ मास" के स्थान पर शब्द "तीस मास" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में एक नयी धारा २३२-क का रखा जाना।

३४—मूल अधिनियम की धारा २३२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा २३२- क के रूप में रख दिया जाय :

२३२-क—धारा २०९ के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार लागू होंगे मानो अधिवासी असामी रहा हो।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३३ का संशोधन।

३५—मूल अधिनियम की धारा २३३ में संख्या और शब्द "१३३ १/३ प्रतिशत के बराबर" के स्थान पर शब्द "का दूना" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३३ -क का संशोधन

३६—मूल अधिनियम की धारा २३३-क में संख्या और शब्द "१३३ १/३ प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "दूने" रख दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३५ का संशोधन।

३७—मूल अधिनियम की धारा २३५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"२३५—(१) उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ के प्रारम्भ होने पर सुविधानुसार यथाशीघ्र राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा सब अधिवासियों को आदेश देगी कि वे विज्ञप्ति में निर्धारित अवधि में, जिस भूमि के वे अधिवासी हों, उसके उन्हें भूमिधर ता सीरदार प्रख्यापित करने के लिये परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र दें।

(२) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर अधिवासी को अधिकार होगा कि वह भूमि का भूमिधर या सीरदार प्रख्यापित किये जाने के लिए प्राथना-पत्र दे ।

(३) उपधारा (२) के अधीन दिया गया प्रार्थना-पत्र ऐसे आकार में होगा और उसमें ऐसे ब्यौरे होंगे जो नियत किये जायं और उसके साथ निम्नलिखित धनराशि जमा करना आवश्यक होगा—

(क) यदि अधिवासी का क्षेत्रपति भूमिधर हो तो ऐसी धनराशि जो लागू मौरूसी दरों से लगाये गये लगान की १५ गुनी के बराबर हो, और

(ख) यदि अधिवासी का क्षेत्रपति सीरदार हो तो ऐसी धनराशि जो उक्त क्षेत्रपति द्वारा उक्त भूमि के लिये देय मालगुजारी के क्रमशः १५ गुनी या ५ गुनी के बराबर हो, यह देखते हुए कि अधिवासी भूमिधर, प्रख्यापित किये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र देता है या सीरदार प्रख्यापित किये जाने के लिये :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई खाता दो या अधिक अधिवासियों के पास संयुक्त-रूप से हो, तो देय धनराशि कुल खाते के उपर्युक्त अवधारित अथवा देय लगान का १५ गुना या ५ गुना, जैसी भी दशा हो, होगी ।

(४) उपधारा (२) या (३) में किसी बात से किसी अधिवासी को सीरदार प्रख्यापित किये जाने का अधिकार न होगा यदि उसका क्षेत्रपति उक्त भूमि का भूमिधर है ।

(५) धारा १३४, १३५ और १३७ के निदेश सिवाय उनके जो किस्त में रुपया जमा करने के सम्बन्ध में है । जहां तक सम्भव हो, उपधारा (२) के अधीन प्रार्थना-पत्र देने की और उसकी सुनवायी के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

(६) यदि असिस्टेंट कलेक्टर को संतोष हो कि प्रार्थना-पत्र उचित प्रकार से दिया गया है तो वह क्षेत्रपति को नोटिस जारी करेगा कि वह उसके विपरीत कारण बताए । यदि क्षेत्रपति नोटिस के प्रत्युत्तर में उपस्थित नहीं होता अथवा वह उपस्थित हो कर आपत्ति करता है और उसकी सुनवायी करने पर असिस्टेंट कलेक्टर को संतोष हो जाता है कि प्रार्थी प्रख्यापन का अधिकारी है तो वह प्रख्यापन कर देगा । धारा १३४, १३५ और १३७ के निदेश जहां तक हो सके इस धारा के अधीन प्रार्थी की सुनवायी में लागू होंगे ।

(७) ऐसे अधिवासी को जो इसके लिये निर्धारित अवधि में उपधारा (२) और (३) के अनुसार प्रार्थना पत्र नहीं देता है और उक्त दिनांक पर या उससे पहले रुपया जमा नहीं करता है, क्षेत्रपति के बाद पर, भूमि से अवधि व्यतीत होने पर बेदखली हो सकेगी, मानो वह ऐसा व्यक्ति था जो इस अधिनियम के निदेशों के प्रतिकूल तथा, क्षेत्रपति की अनुमति बिना क़ब्ज़ा किये हुए या रक्खे हुए था ।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३६ का संशोधन ।

३८—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २३६, धारा २३६ की उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित की जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(२) यदि किसी अधिवासी ने धारा २३५ के निदेशों के अनुसार सीरदार के अधिकार और स्वत्व उपार्जित कर लिये हों तो राज्य सरकार क्षेत्रपति को अधिवासी द्वारा उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन जमा की हुयी कुल धनराशि दे देगी ।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३७ का निकाला जाना।

३९—मूल अधिनियम की धारा २३७ निकाल दी जाय।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २४६ का संशोधन।

४०—मूल अधिनियम की धारा २४६ की उपधारा (१) में—(१) खंड (क) में शब्द "उक्त दिनांक" के स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक" रख दिये जायं,

(२) खंड (ग) के अन्त के प्रतिबन्धात्मक खंड को खंड (क) के प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में संक्रमित किया और पढ़ा जाय, और

(३) खंड (क) के प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"और यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि उपर्युक्त लगान लागू मौरूसी दरों के अनुसार लगाये गये लगान की धनराशि के दुगने से अधिक हो तो मालगुजारी उस धनराशि के बराबर होगी जो ऐसी दरों के अनुसार लगायी गयी हो।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २४७ का संशोधन।

४१—मूल अधिनियम की धारा २४७ में :

(१) शब्द "रहते हुए भी" और शब्द "किसी सीरदार" के बीच में शब्द "किन्तु उक्त धारा की उपधारा (१) के खंड (क) के प्रतिबन्धात्मक खंड को बाधित न करते हुए" रख दिये जायं।

(२) निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में अन्त में बढ़ा दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह भूमि जो सीरदार को उठायी गयी हो, ऐसी भूमि रही हो जिस पर उसको क़ब्ज़ा दिये जाने के दिनांक से ठीक पहले लगातार तीन वर्षों से अधिक तक खेती न की गयी हो, तो कलेक्टर भूमि के प्रकार और वर्ग का ध्यान रखते हुए यह आदेश दे सकता है कि निहित होने के दिनांक से ऐसी अवधि तक जो सात वर्षों से अधिक न हो, उक्त भूमि के लिये, देय मालगुजारी क्रमिक मान (graduated scale) के अनुसार या अन्यथा ऐसी कम की हुयी धनराशि होगी जिसे वह निश्चित करे।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २४७ का संशोधन।

४२—मूल अधिनियम की धारा २४७-क में शब्द "के सहित" और शब्द "के सम्बन्ध में" के बीच में आए हुए शब्द "लगान" के स्थान पर शब्द "भूमि" रख दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २६८ का संशोधन।

४३—मूल अधिनियम की धारा २६८ की उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (३) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(३) इसी प्रकार राज्य सरकार असामी द्वारा गांव समाज को देय लगान किसी भी अवधि के लिये छोड़ सकती है या स्थगित (suspend) कर सकती है।"

४४—मूल अधिनियम की धारा २६४ की उपधारा (२) के खंड (क) के पश्चात नये खंड (कक) के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय :—

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २६४ का संशोधन।

"(कक) धारा २४७ के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन मालगुजारी के अवधारण में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत।"

४५—(१) मूल अधिनियम की धारा वर्तमान धारा ३०५ को पुनः परिगणित करके धारा ३०५ की उपधारा (१) के रूप में रख दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ३०५ का संशोधन।

(२) पुनः परिगणित धारा ३०५ की उपधारा (१) में शब्द "ऐसे सिद्धांतों पर" के स्थान पर शब्द "जो उपधारा (२) के अनुसार अवधारित किया जाय," रख दिये जायं, और

(३) पुनः परिगणित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (२) के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"(२) प्रतिकर की धनराशि, भूमिधरों की दशा में मौरूसी दरों के अनुसार मूल्यांकन की २५ गुनी या उनके द्वारा देय मालगुजारी की ५० गुनी, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी और सीरदारों की दशा में उन्नति एवं पेड़ों के लिए ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त जो प्रार्थी तथा फार्म के सदस्यों में तय हो जाय या जो उनमें मतभेद होने की दशा में कलेक्टर द्वारा निश्चित किया जाय उक्त मूल्यांकन की १० गुनी होगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमिधर या सीरदार द्वारा देय मालगुजारी मौरूसी दरों के अनुसार मूल्यांकन से कम हो, तो भूमिधरों की दशा में मूल्यांकन तथा मालगुजारी के अंतर के १० गुना के बराबर धनराशि और सीरदारों की दशा में ऐसे अन्तर की ५ गुनी धनराशी, प्रतिकर में बढ़ा दी जायगी।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ३१४ का संशोधन।

४६—मूल अधिनियम की धारा ३१४ की उपधारा (४) के अन्त में आये हुए शब्द "कर सकता है" के स्थान पर शब्द "करेगा" रख दिया जाय।

४७—मूल अधिनियम की धारा ३३२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ३३२-क और ३३२-ख के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नयी धारा ३३२-क और ३३२-ख का रखा जाना।

३३२-क—(१) यदि किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत किये गये किसी भूमि संबंधी वाद में यह प्रश्न उठे कि वाद का कोई पक्ष उस भूमि का असामी है या नहीं और यदि उस प्रश्न का निर्णय किसी अधिक्षेत्र युक्त न्यायालय (court of competent jurisdiction) द्वारा उसके पूर्व न हो चुका हो, तो दीवानी

दीवानी न्यायालय में असामी अधिकारोंकाअभ्युक्ति (plea) उठाये जाने पर प्रक्रिया।

न्यायालय उस प्रश्न के सम्बन्ध में विचारणीय विषय (issue) निचत करेगा और वाद का अभिलेख (record) परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्ट के पास उस विचारणीय विषय का ही निर्णय करने के लिये भेज देगा।

स्पष्टीकरण---आसमी होने की अभ्युक्ति (plea) से जो स्पष्टतः असमर्थनीय (untenable) हो और जो केवल दीवानी न्यायालय के अधिक्षेत्र को हटाने के अभिप्राय से उठायी गयी हो, यह न समझा जायगा कि उपर्युक्त प्रकार का प्रश्न उठता है।

(२) परगने का अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर विचारणीय विषय को, यदि आवश्यक हो, पुनः निश्चित करके केवल ऐसे विचारणीय विषय का ही निर्णय करेगा और उस संबंध में अपनी उपपत्ति (finding) सहित अभिलेख को उस दीवानी न्यायालय के पास वापस भेज देगा जिसने उसे प्रस्तुत किया हो।

(३) तब दीवानी न्यायालय अभिदिष्ट विचारणीय विषय (issue) पर परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर की उपपत्ति (finding) को स्वीकार करने के वाद निर्णय आरम्भ करेगा।

(४) असिस्टेंट कलेक्टर के अभिदिष्ट विचारणीय विष पर उसकी उपपत्ति (finding) अपील के प्रयोजनों के लिये, दीवानी न्यायालय की उपपत्ति (finding of civil court) का भाग समझी जायगी।

धारा ३३२-ख अधिवासियों पर लागू होना।

३३२-ख---इस धारा के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ, ऐसे वाद के संबंध में लागू होंगे, जिसमें यह प्रश्न उठे कि वाद का कोई पक्ष भूमि का अधिवासी है या नहीं।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ३३७ का संशोधन।

४८---मूल अधिनियम की धारा ३३७ में शब्द "भागों में" और शब्द "स्थिति हो" के बीच में शब्द "या मिर्जापुर जिले के उस भाग में जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है" रख दिये जायं।

उ० प्र० १, १९५१ की अनुसूची २ का संशोधन।

४९---मूल अधिनियम की अनुसूची २ में :--

(क) क्रम संख्या ६-क के सामने इन्दराज के स्तम्भ ४ में शब्द "असिस्टेंट कलेक्टर" के पश्चात् शब्द "प्रथम श्रेणी" बढ़ा दिये जायं,

(ख) क्रम संख्या १४ के सामने इन्दराज के स्तम्भ ३ में सदैव (ditto) के चिन्ह के स्थान पर शब्द "परगना के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर" रख दिये जायं, और

(ग) क्रम संख्या १८ के सामने इन्दराज के स्तम्भ २ में से वर्ण, शब्द "तथा कोष्ठक (ख) और (ग)" निकाल दिये जायं।

५०--मूल अधिनियम की अनुसूची ४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी अनुसूची ५ के रूप में बढ़ा दिया जाय:--

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में अनुसूची ५ का बढ़ाया जाना।

अनुसूची ५

(धारा २६ ख)

इवैकुई प्रापर्टी (निष्क्रांत सम्पति) पर लागू होने के संबंध में अधिनियम के संशोधन।

१--यदि कोई भूमि किसी एवैकुई (निष्क्रांत) के पाकिस्तान को जाने के समय उसकी खुदकाश्त के रूप में अभिलखित थी, तो अध्याय २ के प्रयोजनों के लिये ऐसी भूमि के संबंध में यह समझा जायगा कि वह निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उसी इवैकुई की खुदकाश्त थी, यद्यपि वह इवैकुई उस भूमि पर बाद में निरन्तर खेती न भी करता रहा हो।

२--(१) ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसी भूमि के संबंध में जो इवैकुई प्रापर्टी हो, धारा १६ के अधीन मौरूसी काश्तकार समझा गया हो, उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर कस्टोडियन को निम्नलिखित धनराशि देगा:--

(क) यदि वह उक्त प्रारम्भ से पूर्व उक्त भूमि का भूनिधर बन गया हो, तो ऐसी भूमि के उक्त धारा के अनुसार अवधारित लगान के पांच गुना केबराबर धनराशि, और

(ख) यदि वह भूमिधर न बना हो, तो इस प्रकार अवधारित लगान के १५ गुना के बराबर धनराशि।

(२) उप-परिच्छेद (sub-para) (१) के अधीन दी गयी धनराशि कस्टोडियन द्वारा संबद्ध इवैकुई के लेखे (account) में जमा की जायगी और उसकी सम्पत्ति का भाग समझी जायगी।

(३) यदि उप-परिच्छेद (sub-para) (१) के अधीन धनराशि का देनदार व्यक्ति उपर्युक्त धनराशि उस अवधि के भीतर इस सम्बन्ध में अनुमति दी गयी हो, न दे तो उस भूमि में जिसका वह ऐसा मौरूसी काश्तकार समझा गया था, उसके सब अधिकार, आगम तथा स्वत्व अपहृत (forfeit) हो जायेंगे और १९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अध्याय २ के निदेश ऐसी भूमि के सम्बन्ध में सप्रभाव होंगे और यह समझ जायगा कि वे सदैव सप्रभाव रहे हैं मानो धारा १६ का विधान कभी नहीं किया गया था।

(४) यदि कोई व्यक्ति धारा १६ के अधीन किसी भूमि के केवल एक अंश (share) का ही मौरूसी काश्तकार समझा गया हो तो उप-परिच्छेद (sub-para) (१) तथा (३) में आये हुये भूमि के अभिदेशों (references to) का यह अर्थ लगाया जायगा कि वे केवल ऐसे भाग के ही अभिदेश हैं।

(५) ऐसी धनराशियां जो उपधारा (१) के खंड (क) में अभिदिष्ट व्यक्ति धारा १३४ के अधीन या संयुक्त प्रांतीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान, १९४९ के अधीन भूमि में भूमिधरी अधिकारों के उपार्जन के लिए पहले ही दी गयी हों या जो इसके पश्चात दी जायं, राज्य सरकार द्वारा, अधिक से अधिक लगान के दस गुने तक, कस्टोडियन को दे दी जायंगी और उनके सम्बन्ध म उप-परिच्छेद (Sub-para) (२) के निदेश लागू होंगे।

३—यदि कस्टोडियन ने ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५२ के अधीन या उसके अनुसार किसी ऐसे आस्थान की जो इवैकुई प्रापर्टी हो, किसी भूमि को पट्टे पर उठाया हो तो पट्टों, उनके निरसन और बेदखली से सम्बन्ध ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५२ के निदेश इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, उनके सम्बन्ध में सप्रभाव होंगे ।

४—(१) ऐसा व्यक्ति जो धारा २० के खंड (ख) के अधीन किसी ऐसी भूमि का जो इवैकुई प्रापर्टी हो, अधिवासी बन गया हो, उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर कस्टोडियन को ऐसी धनराशि देगा जो ऐसी भूमि के लिए उसके द्वारा देय लगान के २० गुना के बराबर हो ।

(२) उपपरिच्छेद (१) के अधीन दी गयी धनराशि कस्टोडियन द्वारा सम्बन्ध इवैकुई के लेखे में जमा की जायगी और उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह उसकी सम्पत्ति का भाग है ।

(३) यदि वह व्यक्ति, जो उप-परिच्छेद (sub-para) (१) के अधीन धनराशि का देनदार हो, उस अवधि के भीतर जिसकी इस सम्बन्ध में अनुमति दी गयी हो, उसे न दे तो उस भूमि में जिसका वह अधिवासी था, उसके सब अधिकार, आगम तथा स्वत्व अपहृत (forfeit) हो जायेंगे और १९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अध्याय २ के निदेश ऐसे भूमि के सम्बन्ध में सप्रभाव होंगे और यह समझा जायगा कि वे सदैव सप्रभाव रहे हैं मानों धारा २० का खंड (ख) का कभी विधान ही नहीं किया गया हो ।

(४) यदि कोई व्यक्ति धारा २० के खंड (ख) के अधीन किसी भूमि के केवल अंश (share) का ही अधिवासी हुआ हो तो उप-परिच्छेद (sub-para) (१) और (३) में आये हुए भूमि के अभिदेशों (references to) का यह अर्थ लगाया जायगा कि वे केवल ऐसे अंश के ही अभिदेश हैं ।

(५) यदि कोई व्यक्ति धारा २१ की उपधारा (२) के अधीन ऐसी भूमि का जो इवैकुई प्रापर्टी हो, अधिवासी बन जाय तो इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये कस्टोडियन द्वारा उसी प्रकार और उसी हद तक बेदखल किया जा सकेगा जैसे कि ऐसा व्यक्ति जिसने कस्टोडियन से भूमि पट्टे पर ली हो और बेदखली से संबद्ध ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५२ के सब निदेश उसको उसी प्रकार लागू होंगे ।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१ का संशोधन ।

५१—किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्ति के संबंध में जिसके संबंध में १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ४ की अधीन विज्ञप्ति जारी हो गई हो, यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ उस क्षेत्र के निहित होने के दिनांक से अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित सीमा तक संशोधित हो जायगा और एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है ।

उ० प्र० अधिनियम ३१, १९५२ की धारा २ का संशोधन ।

५२—उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ की धारा २ के खंड (ख) में शब्द तथा संख्या "धारा १८ या १९" के पश्चात् शब्द "या धारा २० के अधीन अधिवासी" रख दिये जायं और यह समझा जाय कि वे सदा ही रखे हुये थे ।

अनुसूची

यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ का संशोधन
धारा ५१

क्रम-संख्या	धारा	परिष्कार या संशोधन
१	२१०	(१) उपधारा (१) के खंड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय——
		b (i) to the Commissioner from orders passed by a Collector or an Assistant Collector First Class or Assistant Collector in-charge of sub-division;
		(ii) to the Collector from orders passed by an Assistant Collector Second Class or Tahsildar.
		(२) खंड (c) निकाल दिया जाय:
		(३) उपधारा (४) निकाल दी जाय ।
२	२१३	धारा २१३ निकाल दी जाय।
३	२१४	उपधारा (३) निकाल दी जाय ।
४	२२७	खंड (५) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (5-A) के रूप में बढ़ा दिया जाय——
		"(5-A) to enquire into and decide applications made under section 39".;
५	२३४	खंड (b) निकाल दिया जाय।

उद्देश्य और कारण

जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के निदेशों के प्रवर्तन (application) से निष्क्रांत सम्पत्ति सम्बन्धी विधि (इवैकुई प्रापर्टी ला) के निदेशों को कार्यान्वित करने में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं । इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उक्त अधिनियमों में कुछ परिवर्तन और भूमि व्यवस्था अधिनियम के मालगुजारी सम्बन्धी निदेशों के अनुसार कार्यवाही करने के लगभग दो वर्षों के अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि उक्त अधिनियम में वर्णित भूमि व्यवस्था योजनाओं में कुछ सुधार किये जा सकते हैं । विशेषतः अधिवासियों के विषय में और ऐसे खातों के क्षेत्र के सम्बन्ध में जिनमें खेती नहीं हुयी है । यह भी ज्ञात हुआ है कि यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ तथा उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ के कुछ निदेशों में साधारण संशोधन आवश्यक हैं जिससेकि वे १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की योजना के अनुरूप हो जायं । अतएव यह विधेयक उपर्युक्त प्रयोजनों के निमित्त प्रस्तुत किया जा रहा है ।

चरण सिंह,

माल मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ४९ एल० ए०—१९५४—८५० ।